

बढ़ते पर्यटन का रोजगार एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव

डॉ. पंकज नेमा

एम कॉम, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स, महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, करेली

पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन (Recreational) या फुरसत के क्षणों का आनंद (Leisure) अनुयाही उठाने के उद्देश्यों से करता है। विश्व पर्यटन संगठन (World Tourism Organization) के अनुसार वे लोग पर्यटन है जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने के लिये आते हैं, यात्रा ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिए मनोरंजन, व्यापार, अन्य उद्देश्यों के लिये आते जाते हैं, वह यात्री किसी खास क्रिया से सम्बंधित नहीं होता है। पर्यटन दुनिया भर में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गया है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट है कि मानव के विकास, सुख और शांति की संतुष्टि व ज्ञान के लिए पर्यटन का अति आवश्यक माना गया है। ऋषि मुनियों ने भी पर्यटन को प्रथम महत्व दिया है। प्राचीन गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि तपस्वियों ने भी यह कहा कि बिना यात्रा के मानव अन्धकार प्रेमी होकर रह जायेगा, बिना विश्व घुमे दर्शन ज्ञान ही अधूरा है। पंचतंत्र नामक भारतीय साहित्य दर्शन में कहा गया है "विधाकित्तम शिल्पं तावन्नाप्यनोती मानवः सम्यक् यावद ब्रजति न भुमो देशा-देशांतर।"

अध्ययन क्षेत्र में किये गये कार्य की एक संक्षिप्त विवेचना। निश्चित तौर पर भारत का पर्यटन और रोजगार एवम् वैश्विक संबंधों की स्वयंप्रद पर्यटन मुहैया कराती है, इस दृष्टि से विश्व में भारत 5 वाँ स्थान है, भारत देश में विरासत के धनी राष्ट्र के रूप में जाना व पहचाना जाता है क्योंकि पुरातात्विक विरासत केवल दर्शनिक स्थल भर नहीं है, उसके साथ वह राजस्व प्राप्ति का एक स्रोत और लोगों को रोजगार प्राप्ति का माध्यम भी है। जैसे : हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वहन मार्ग, खानपान, वस्त्र अनेक सामग्रियों का विक्रय इत्यादि से रोजगार के साथ-साथ राष्ट्र को एक अच्छी खासी धनराशि पर्याप्त होती है।

“वर्तमान में पर्यटन को आर्थिक विकास के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया गया है। पर्यटन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है। न सिर्फ यह बड़े स्तर पर रोजगार प्रदान करता है,

बल्कि श्रम शक्ति के पलायन को भी रोकता है। पर्यटन का भुगतान संतुलन, रोजगार सकल आय और उत्पादन पर एक सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। भारत में पर्यटन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद विदेशी पर्यटकों के बारे में हम अपने आपको काफी पिछड़ा हुआ पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन में हमारी भागीदारी एक प्रतिशत से भी कम होती है। किंतु यदि कुछ सुधार आधारभूत सुविधाओं में किया जाए तो हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। पर्यटन को बड़े स्तर पर विस्तृत कर इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है अंततः अतिथि देवो भवः का मूल मंत्र भी तभी सार्थक हो सकेगा”।

आज की आपाधापी वाले समय में मन व्यस्तताओं से बचकर कुछ एकांत के क्षण अपने लिए निकाल ही लेता है। मानव मन सदा से ही प्रकृति का साथ चाहता है और शांति व सुकून की खोज में वह कभी पर्वतों को लांघता है, कभी मरुस्थल को टोहता है तो कभी नदियों को जीता है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुरसत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्यों से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार “पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिए मनोरंजन, व्यापार व अन्य उद्देश्यों से किया जाता है”। पर्यटन दुनिया भर में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गया है।

प्रो. माउंट के अनुसार “पर्यटन का अर्थ समस्त मानवीय क्रियाओं के क्षेत्र तथा समस्त प्राकृतिक पहलुओं में जिज्ञासा रखना या खोज करना है।”

पर्यटन शब्द का प्रयोग 1811 में किया गया एवं पर्यटक का 1840 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1944 में पर्यटन आंकड़ों के अनुसार इसे तीन रूपों में वर्गीकृत किया है – घरेलु पर्यटन, जिसमें किसी देश के निवासियों की केवल उनके देश के अंदर की यात्रा शामिल है। आउटबाउंड पर्यटन – जिसमें निवासियों की दूसरे देश में यात्रा शामिल है। इन बाउंड पर्यटन

जिसमें गैर निवासियों की किसी देश में यात्रा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यटन के तीन बुनियादी रूपों को मिलाकर इसकी तीन विभिन्न श्रेणियाँ व्युत्पन्न की हैं। ये हैं— घरेलू पर्यटन, इनबाउंड पर्यटन और राष्ट्रीय पर्यटन। हाल में पर्यटन उद्योग इनबाउंड पर्यटन से इंटराबाउंड पर्यटन की ओर स्थानांतरित हो गया है। कुछ राष्ट्र नीति निर्माताओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिये इंटराबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। जैसे – संयुक्त राज्य में “See America”,

कनाडा में – “Get Going Canada”

फिलीपींस में – “Wow Phillippines”

भारत में – “Incredible India”

हमारा भारत देश ऐतिहासिक धरोहरों का देश है यहां के मंदिर, उद्यान, ऐतिहासिक इमारतें नदियां, पहाड़ आदि की सुंदरता अतुलनीय है। बहुरंगी सभ्यता एवं संस्कृति वाले देश के सभी आयामों को समझने का प्रयास इतना आसान नहीं है। प्राचीन काल से ही भव्य देवालयों और धर्म स्थलों से भरपूर भारत स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो पूरे भारत में देशी और विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण है। पूरी दुनिया के अलग अलग स्थानों से लोग भारत में खूबसूरत स्थानों पर घूमने, देखने और पर्यटन के लिए आते हैं वे अपने शहरों में वापस जाकर भारत के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में अपने शब्दों में बयां करते हैं। वे अपने देश में भारत के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में प्रशंसा करते हैं और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।

भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला ओर बहुसांस्कृतिक देश है हालांकि, यह विविधता में एकता के लिए भी प्रसिद्ध है। वास्तु कला संबंधी और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध देशों में से एक है। यहां परिधान, खान-पान, संस्कृति, परंपरा, भाषा, रहन-सहन का स्तर आदि में विभिन्न धर्मों की उपस्थिति के कारण पूरे देश में विविधता पायी जाती है। ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण दृश्यों को देखने के लिए भारत एकदम सही स्थान है। भारत विविधता में एकता के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत संस्कृति ओर परंपराओं का देश है यहां लोग परंपराओं का विशेष आदर करते हैं यह परंपराएं हमारी जड़े हैं, जो हमें हमारी संस्कृति ओर देश से बांधे हुए है। हमारे देश में

अतिथि का विशेष सम्मान किया जाता रहा है भारत की यह परंपरा आज भी वैसी ही है। उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं परंतु भारत ने हमेशा देशी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकृष्ट किया है और यही आकर्षण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। पर्यटन जो कि न केवल एक अवकाश और मजेदार गतिविधि है इसके बजाए यह उद्योग भी है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और देश के लिए आय को उत्पन्न करने में मदद करता है। पर्यटन ने हमें नई संस्कृति का पता लगाने, नये लोगों से मिलना और विभिन्न स्थानों पर मजेदार और साहसिक कार्य करने का अवसर प्रदान किया। पर्यटन इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश में रोजगार के अवसर भी मौजूद हैं। पर्यटन के विकसित होने से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। यात्रा, परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य, मोन्यूमेंटल संरक्षण, गाइड स्थानीय व्यवसाय, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग सहित पर्यटकों की आवश्यकताओं और रुचि के कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हैं। आजकल स्वास्थ्य शिक्षा, सेमिनार के क्षेत्र भी इसके पूरक बनकर उभरे हैं। एक अनुमान के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में प्रति 10 लाख रुपये के निवेश पर रोजगार के 78 नए अवसर उत्पन्न होते हैं। आज दुनिया एक विशिष्ट आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। रोजगार के परंपरागत साधन असर खो रहे हैं। ऐसे में अब नए क्षेत्रों की तलाश की जा रही है जो न केवल रोजगार दे सकें, बल्कि दुनिया को आर्थिक संकट के दौर से भी निकाल सकें। ऐसा ही क्षेत्र पर्यटन है। यह क्षेत्र न केवल बड़े स्तर पर रोजगार प्रदान करता है बल्कि श्रमशक्ति को पलायन से भी रोकता है।

विश्व के कई देशों जैसे इजिप्त, थाइलैण्ड और कई द्वीप राष्ट्रों जैसे फिजी के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने माल और सेवाओं के व्यापार से ये देश बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त करते हैं और सेवा उद्योग में रोजगार के अवसर पर्यटन से जुड़े हैं। इन सेवा उद्योगों में परिवहन सेवाएं जैसे क्रूज पोत और टैक्सियाँ, निवास स्थान जैसे होटल और मनोरंजन स्थल और अन्य आतिथ्य उद्योग सेवाएं जैसे रिजोर्ट शामिल हैं।

पर्यटन को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 सितम्बर को “वर्ल्ड टूरिज्म डे” मनाया जाता है। 1980 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन ने “वर्ल्ड टूरिज्म डे” की शुरुआत की। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन को लेकर

लोगों में जागरूकता लाना है। साथ ही यह बताना कि पर्यटन किस तरह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करता है, इसलिए वर्ल्ड टूरिज्म डे को हर साल अलग अलग थीम पर मनाया जाता है।

भारत का पर्यटन और स्वास्थ्यप्रद पर्यटन मुहैया कराने की दृष्टि से विश्व में 5 वां स्थान है। भारत जैसे विरासत के धनी राष्ट्र के लिए पुरातात्विक विरासत केवल दार्शनिक स्थल भर नहीं होती वरन् इसके साथ ही यह राजस्व की प्राप्ति का स्रोत और अनेक लोगों को रोजगार देने का माध्यम भी होती है।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 2010 में भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 64,889 करोड़ रुपये थी। रिपोर्ट के अनुसार 2014 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। पर्यटन से जुड़े और भी कई अन्य स्रोत हैं जो आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। जी.डी.पी. में इस क्षेत्र की 6 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी पर्यटन के आर्थिक महत्व को दर्शाता है।

पर्यटक शोध अथवा अनुसंधान के उद्देश्य से पर्यटक की श्रेणी में आते हैं। यहां पर्यटक मानव के संदर्भ में स्थानीय रूप से जन्म-मृत्यु दर, स्वास्थ्य, आवास, धर्म, त्योहार, रीति-रिवाज, शिक्षा, भोजन, मानव बस्तियों की बनावट आदि संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। पर्यावरण पर्यटन मानव प्रकृति और संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है। पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं से भरा है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है। तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों का ढांचागत सुविधाओं का विकास कर न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।

पर्यटकों के लिए कैम्पिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को काम मिल सकता है इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी। खान-पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी। खान-पान की सूची में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल व सब्जियाँ, दूध, पोल्ट्री अंडे तथा

मछलियों स्थानीय रूप से प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ ग्रामवासी यह प्रयास करके इन चीजों की आपूर्ति कर रोजगार के रूप में अपना सकते हैं। कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के रूप में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। ये आने वाले पर्यटकों को आस-पास के स्थानों की सैर करा सकते हैं, स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं तथा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की तरह अपने समुदाय और लोक जीवन का परिचय दे सकते हैं। स्थानीय पर्यटन स्थलों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके ये नाम कमा सकते हैं। स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित कर पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इन कारीगरों को अपने हस्तशिल्प और बनाए गए परिधानों को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने के अवसर दिए जा सकते हैं।

पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त साधन है दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पता चल सके कि पर्यटन विकासशील देशों के लिये कितना सार्थक और महत्वपूर्ण है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में पर्यटन मोटी कमाई के चलते एक फलता-फुलता उद्योग बन गया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और इसमें स्थानीय पर्यावरण में सुधार लाने तथा परिवहन, होटल और हस्तशिल्प, खान-पान जैसे क्षेत्रों में सेवाओं और माल की गुणवत्ता बेहतर करने की शक्ति नीहित है।

पर्यटन से स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आती है। इससे पर्यटकों तथा उनके मेजबानों के बीच बेहतर और समझदारीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इससे विदेशी मुद्रा की मोटी कमाई होती है जो किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि दुनिया के 83 प्रतिशत विकासशील देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख साधन है पर्यटन, सेवा क्षेत्र का एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। भारत अतुलनीय प्राकृतिक स्थलों के साथ ही वैश्विक स्तर पर एक बड़े जैविक आयामों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार अनेक विविधताओं से भरा स्थान है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि के क्षेत्र में

संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है। नए पर्यटन स्थलों का ढांचागत सुधार व सुविधाओं का विस्तार करके न केवल शहरी अपितु ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।

पर्यटन संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर इस क्षेत्र में आ रही प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है तथा इस क्षेत्र में विकास की और अधिक संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। विगत वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पर्यटन को उद्योग के रूप में अपनाने में भारत प्रयत्नशील रहा है। इससे देश को काफी लाभ भी हुए है।

पर्यटन आर्थिक विकास का एक हिस्सा है बृहत पर्यटन आर्थिक विकास है। क्योंकि पर्यटन सामाजिक आर्थिक विकास को पहिए लगा देता है। आर्थिक विकास विशेषकर दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए पर्यटन का विशेष महत्व है। पर्यटन निम्न आय वर्ग और महिलाओं के लिये भी आय के बेहतर स्रोत विकसित करने में सक्षम है।

पर्यटन द्वारा किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है तथा पर्यटन का राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्व को जानने हेतु कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है –

- आर्थिक प्रगति – पर्यटन उद्योग द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार का संवर्धन होता है। इससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा पैदा करने में लाभ मिलता है। वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय पर्यटन वर्ष में 9 प्रतिशत बढ़कर 42 अरब डॉलर हो गया।
- पर्यटन सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की आय का एक सतत् स्रोत है। पर्यटन रोजगार सृजन में भी मदद करता है। विशेष रूप से होटल, उद्योग, आतिथ्य उद्योग, सेवा क्षेत्र, मनोरंजन और परिवहन उद्योग में रोजगार की शुरुआत की।
- पर्यटन के बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता है। किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने पर उस स्थान की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। वहां हर प्रकार की सुविधाओं का

विकास शीघ्र हो जाता है। परिवहन व अन्य साधनों की कनेक्टिविटी, हवाई अड्डे के सुधार और किसी अन्य गतिविधि के लिए रास्ता बनाकर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है।

- पर्यटन सामाजिक व सांस्कृतिक आदान-प्रदान का बेहतर तरीका है। यह सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करता है। इससे एक दूसरे के लिये सम्मान व सहिष्णुता की भावना पनपती है।
- पर्यटन हमारे देश की सुंदरता, कला, इतिहास और संस्कृति को स्पष्ट करने में मदद करता है। इसके माध्यम से स्थानीय भाषाएं कौशल व कला को पर्यटन के जरिए व्यापक प्रदर्शन मिलता है।

पर्यटन एक देश में आने और जाने के लिए दुनिया भर में कई आगंतुको को आकर्षित करता है और आमंत्रित करता है। एक देश की आर्थिक प्रगति में भी मदद करता है, पर्यटन सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक बढ़िया तरीका है। इसलिए हर देश को पर्यटन को जितना संभव हो सके उतना ही प्रोत्साहित करना चाहिये क्योंकि पर्यटन हमें तलाशने और दुनिया की सुंदरता की खोज करने की सुविधा देता है।

विश्व पर्यटन संगठन W.T.O. ने 1975 में विश्व के पचास देशों की अधिकारिक सदस्यता के साथ विश्व स्तर पर पर्यटन उद्योग के संरक्षक के रूप में अपनी गतिविधियों का आरंभ किया। इस संगठन का एक मूल दायित्व लोगों के बीच संपर्क बनाना एवं इस लोकप्रिय उद्योग को बढ़ावा देना है, विभिन्न आयामों वाले इस उद्योग की विशेषताओं जैसे कि नए प्रस्तावों की प्रस्तुति आर्थिक व सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ उसकी विशेषताओं के विवरण हेतु विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता है।

प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन संगठन के सदस्य इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सम्मेलनों एवं बैठकों में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं। इसी संदर्भ में W.T.O. के सदस्यों ने निर्णय लिया कि एक विस्तृत संदेश द्वारा विश्व समुदाय का ध्यान पर्यटन की ओर आकृष्ट कराएं और सरकारों समाज विश्वविद्यालयों एवं इस विषय से संबंधित समस्त विभागों को इसकी ओर प्रोत्साहित करें ताकि आम लोगों के जीवन में पर्यटन अपना स्थान बना ले। इसके अतिरिक्त यह संदेश भी दिया जाए कि सदस्य देश इस संदेश के अंतर्गत

पर्यटन उद्योग से संबंधित अपनी योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें।

पर्यटन को जारी रखने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पानी का उपलब्ध होना अति महत्वपूर्ण है कि जिसमें विस्तृत रूप से होटलों और रेस्टोरेंटों की श्रृंखलाओं से लेकर परिवहन एवं मनोरंजन के साधन भी शामिल होते हैं।

विश्व पर्यटन संगठन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में घोषणा की है कि वैश्विक आर्थिक समस्याओं के बावजूद अधिकांश देशों में पर्यटन उद्योगों में विस्तार हो रहा है। प्रतिवर्ष करोड़ों लोग विश्व के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाते हैं।

इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में विभिन्न पर्यटन कार्यक्रमों का आयोजन प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान भारत की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से देश में जागरूकता लाने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों के सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें – श्रीनगर में गोल्फ ओपन टूर्नामेंट, लेह में सिंधु दर्शन, नई दिल्ली में विरासत महोत्सव, हैदराबाद में अखिल भारतीय शिल्प मेला, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय विरासत महोत्सव, हिमाचल प्रदेश में पैरा ग्लाइडिंग प्रदर्शनी और पर्यटन सम्मेलन, देहरादून में विशाल लोक महोत्सव विरासत का आयोजन कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय नौका प्रदर्शनी इत्यादि प्रमुख हैं।

27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर "संस्कृतियों का संगम" विषय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी "मेरे लिए पर्यटन का महत्व" जैसे विषय पर निबंध व फोटो प्रतियोगिता का आयोजन करता है।

भारत में राष्ट्रीय पर्यटन नीति :- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2002 की घोषणा कर चुकी है। इसमें अन्य बातों के अलावा देश को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि विकासपूर्ण विश्व यात्रा और व्यापार का लाभ उठाया जा सके तथा पर्यटन के लक्ष्य के रूप में देश की उन विस्तृत संभावनाओं का दोहन किया जा सके जिनका उपयोग अभी तक नहीं हो सका है।

भारत में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में पर्यटन के विकास में और तेजी लाने के लिए निम्नानुसार पहलुओं पर जोर दिया गया –

- रोजगार के अवसर पैदा करना।
- आर्थिक विकास और ग्रामीण पर्यटन पर बल देने के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष और बहुपक्षीय प्रभावों का दोहन करना।
- घरेलू पर्यटन को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना।
- देश को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना।
- निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी को पहचानना।
- देश की बेजोड़ सभ्यता, विरासत और संस्कृति पर आधारित समेकित पर्यटन सर्किटों का निर्माण तथा विकास करना।
- यह सुनिश्चित करना कि देश में पर्यटक गण स्वयं को भौतिक रूप से रोमांचित मानसिक रूप से तरोताजा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध, आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत और हमारे देश को अपने अंतरतम में महसूस करें।

इसके अतिरिक्त भारत में सेवाकर्मियों में क्षमता निर्माण (सी.बी.एस.पी.) मंत्रालय ने 2002 में उन सेवाकर्मियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सीबीएसपी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया जिसने होटलों, ढाबों, खान-पान केंद्रों, रेस्टोरेंटों में कार्य करने वाले सेवाकर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा "प्रियदर्शनी परियोजना" नाम से एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को टैक्सी चलाने, टैक्सी सेवा के संचालन और दुकानें आदि चलाने जैसे कामों का प्रशिक्षण देकर पर्यटन को उद्यम के रूप में स्थापित करना है जिससे महिलाएं इसे व्यापार के रूप में अपना सकें।

भारत में पर्यटन विभाग ट्रेवल एजेन्टों, टूर ऑपरेटर्स एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स और पर्यटक परिवहन ऑपरेटर्स को कार्यक्रम के तहत मान्यता प्रदान करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य व लक्ष्य इन श्रेणियों के पर्यटन में गुणवत्ता स्तर और सेवा को प्रोत्साहन देना है ताकि भारत में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिल सके। होटल क्षेत्र पर्यटन उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें रोजगार पैदा करने और विदेशी मुद्रा

अर्जित करने की बहुत अधिक क्षमता है। इनके विकास को ध्यान में रखकर सरकार ने आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत होटल उद्योग को करों से रियायतें प्रदान कर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। नई आर्थिक नीति के तहत होटल उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी हिस्सेदारी को आसान बना दिया है।

परिणाम/निष्कर्ष :- पर्यटन से स्थानीय/बाहरी लोगों में बेरोजगार की स्थिति घटी और अनेक पर्यटन के स्थलों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनीय मनोवृत्तियों में परिवर्तन तथा सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार के उपायों में स्वतंत्र भारत में पर्यटन के दौरान रोजगार से समाज में कुशल स्थिति प्राप्त हुई है। शिक्षित एवं अनपढ़ व्यक्तियों को सशक्त माध्यमों से भारत में मुद्रित धन प्राप्त और रोजगार की कुशल स्थिति प्राप्त हुई। पर्यटन क्षेत्र में लगभग दोगुनी संख्या में महिलाएं कार्यरत एवं वैश्विक स्तर पर भी लाभदायक सिद्ध और औद्योगिकरण विकास का भी पुनःनिर्माण जागृत हुई।

सुझाव :- इन शोध निम्नलिखित सुझाव सम्मिलित कर सकते हैं।

1. पर्यटकों के लिए कैम्पिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को काम मिल सकता है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी। खान-पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता की सहायता लेनी पड़ेगी।
2. भोजन की सूची में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल और सब्जियों, मीट, दूध, पोल्ट्री, अंडे तथा मछलियों स्थानीय रूप से प्राप्त की जा सकती है। या जनता से उसकी प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिये और सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली पत्र द्वारा या जनता की भावनाओं की प्रतिक्रियाओं को आकलन कर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कार्य को प्राथमिता देना। समीक्षा हेतु प्रेरित करना।
3. प्राचीन स्तंभों और ईमारतों का रखरखाव होना बहुत जरूरी है।
4. पर्यटन संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र में आ प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को दूर कर इस उद्योग में विकास की और अधिक संभावनाओं की तलाश की जा सकती है।
5. पर्यटन के दर्शनीय स्थलों को फिल्माकन करने से पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा ऐसे सभी स्थानों के फिल्माकन के लिए कार्य किये जावेगे।

निष्कर्षत :- यह कहा जा सकता है कि पर्यटन का महत्व प्रत्येक देश में स्वीकार किया जा चुका है। पर्यटन केवल देश विदेश में परिभ्रमण ही नहीं अपितु मनोरंजन, अध्ययन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान स्वास्थ्य लाभ अथवा अन्य व्यक्तिगत कारण इसके मूल में होते हैं। भारत में विगत पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन को उद्योग के रूप में अपनाने से काफी लाभ भी हुआ है लेकिन पिछले कुछ समय में विदेशी पर्यटकों से अपराधों के मामलों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे भारतीय पर्यटक उद्योग प्रभावित हुआ है। विदेशियों से हुई बढसलूकी विदेशी महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण से पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे पूरे विश्व में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। इससे देश में पर्यटक उद्योग से होने वाले राजस्व में कमी आयी ही है साथ ही साथ विदेशियों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार हमारे देश की उस परंपरा पर बढनुमा दाग लगाता है जिसमें "अतिथि देवो भवः" का भाव नीहित रहता है। हमारी संस्कृति ही हमारे देश की आत्मा है। इसे विदेशी भी महसूस करें। ऐसी स्थितियां व व्यवहार निर्मित करना हम भारतीयों की जिम्मेदारी व कर्तव्य है।

संदर्भ सूची :-

- [http://www.princeedwardisland.\(a\) topic](http://www.princeedwardisland.(a) topic)
- <http://www.carrier7India.com>
- <http://www.patrika.com>
- <http://www.hindinews18.com>
- Chou M.C. (2013) July
- Economic Modelling, Vol.33 pg. 226-232.
- Vyas Rajesh Kumar (2014) Bharat Mein Paryatan, Published by Prabhat Prakashan.
- Gleusercontent.com
- <http://www.fermanaghmagh.com>
- <http://www.arlingtonma.gov>tourism>.
- <http://www.tourismandmore.com>.
- <http://www.tourspackage.com>
- <http://www.sarijankari.com>
- <http://www.revoiceindia.com>

ज्योत्स्ना मिलन की कहानियों में अभिव्यक्त स्त्री जीवन के विविध आयाम

आरती परमार

शोधार्थी, हिन्दी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

कथा-साहित्य आज के समय का सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यांग है, जो अपने विकास के क्रम में अनेक प्रकार के साहित्यिक रूपों को आत्मसात किये हुए हैं और इन्हीं साहित्यिक रूपों में कहानी अपनी कलात्मक सहजाकर्षण, मनोरंजकता से सम्पन्न श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। मनुष्य अपने जीवन-संघर्ष के क्रम में अपनी सुखानुभूतियों तथा विशेषकर दुःखानुभूतियों को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करने का अभिलाषा रहा है, उसकी यही अभिव्यक्ति जब कलामय और शब्दमय हो जाती है, तब साहित्य की संज्ञा से विभूषित होती है और इसी साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक रूप या एक विधा कहानी कही जाती है। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म माना जाता है और कहानी कहना तथा सुनना मनुष्य का स्वभाव बनते हुए देखा गया है। यही कारण है कि आज प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ सुनते, पढ़ते तथा लिखते हुए देखा गया है। कहानी के क्षेत्र में प्रख्यात लेखिका ज्योत्स्ना मिलन ने अपनी कलम का जादू बिखेरा है। कहानी मनुष्य के जीवन में रोचकता प्रदान करती है। कोई भी कहानी मनोरंजन के साथ ही उचित मार्ग भी प्रशस्त करती है। कहानी का रूप प्राचीन समय से लेकर पुराणों, उपनिषदों, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि में देखा जाता रहा है। एक सशक्त साहित्यकार कहानियों के माध्यम से जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करने का प्रयास करता है। मनुष्य की अभिव्यक्ति का संबंध कहानी से जुड़ा होता है। मनुष्य जीवन की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त व सही माध्यम कहानी को ही मानता है। आधुनिक युग में मनुष्य जीवन की अनेक रचनाओं का यथार्थ चित्रण ज्योत्स्नाजी ने अपनी कहानियों में उद्धृत किया है। कहानी के माध्यम से कहानीकार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व पारिवारिक क्षेत्र का पहलू चित्रित करती है।

“आजकल की हिन्दी कहानियाँ, जिनको गल्प, आख्यायिका, लघुकथा भी कहते हैं, भारत की पुरानी कहानियों की ही संतति हैं, किन्तु विदेशी संस्कार लेकर आई है। जिसकी सामग्री तो प्रायः देशी रहती है, किन्तु काट-छाँट अधिकांश में विलायती ढंग का होता है।”¹ पहले के समय में कहानी का रस हम उसके चमत्कार

में देखते थे, किन्तु आज हम कहानी में चरित्र-चित्रण, भावों का उतार-चढ़ाव आदि में इसका रूप देखते हैं। ज्योत्स्नाजी ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में घटने वाली घटनाओं को पात्रों के हाव-भाव, विचारों की समस्याओं आदि के माध्यम से कहानी का चित्रण किया है।

“हिन्दी कहानी अपने विशिष्ट रूप में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आरम्भ होती है। आधुनिक हिन्दी कहानी का उत्थान वैसे वास्तव में बीसवीं सदी के प्रथम दशक में होता है।”² यानी इसका वास्तविक आरम्भ उपन्यास के समान ही पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से ही माना जाता है, किन्तु कहानी का आरम्भ आधुनिक की ही देन कहा गया है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन सदैव एक जैसा नहीं दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार कहानी के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है। कहानी के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट करने हेतु अनेक विद्वानों ने उसे अपने-अपने मतानुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में अज्ञेय ने कहा है कि “कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है। जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, शिक्षा है, जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती।”³ कहानी को मनुष्य के जीवन की एक प्रतिच्छाया कहा गया। साथ ही जीवन को एक अधूरी कहानी के रूप में चित्रित करते हुए लेखक ने मनुष्य के ज्ञान को कभी समाप्त न होने की चर्चा अपने लेखन के माध्यम से की है। वहीं प्रेमचन्द के अनुसार “कहानी वह ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक महफिल प्रारंभ होते ही अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा को दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता।”⁴ लेखक ने ध्रुपद की तान के माध्यम से गायक की प्रतिभा को उजागर करते हुए क्षण भर में मनुष्य के हृदय को माधुर्य भाव से भर देने वाली कहानी को लेखक ने रात भर सुनने वाले गाने से न मिलने वाले आनन्द से भी श्रेष्ठ बताने का सटीक प्रयास किया है। आगे हम ज्योत्स्ना मिलन की कहानियों में स्त्री जीवन के विविध आयामों की चर्चा करेंगे –

हिन्दी साहित्य की प्रख्यात लेखिका ज्योत्सना मिलन की कहानियों में स्त्री जीवन के अनेक आयाम दिखाई देते हैं। आधुनिक युग में भी हमारा भारतीय समाज और उसमें मौजूद वातावरण या परिवेश कई प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, इन समस्याओं ने जीवन के विविध क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि को तो जकड़ा ही है, साथ ही इन क्षेत्रों में कई परिवर्तन भी तीव्रता के साथ दिखाई दिए हैं। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या स्त्रियों से संबंधित है जिसे आज भी कई प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। ज्योत्सना मिलन ने अपनी कहानियों में महिलाओं की स्थितियों को उभारने का प्रयास किया है। लेखिका ने समकालीन भारतीय महिलाओं की उत्कृष्टता और आधुनिका दोनों रूपों का संयोग अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। नारी जीवन के अनेक पक्षों को उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। उन्होंने कहानियों में महिलाओं की स्थितियों का ऐसा रोचक वर्णन प्रस्तुत है, जिससे उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना जा सके। ज्योत्सनाजी के लेखन के संदर्भ में यह तथ्य स्पष्ट है— “इनका लेखन सदा शब्दों के संसार में ले जाता है, जहाँ वे अकेली होती हैं, जहाँ उन्हें नए आकार और नई जगह दिखाई देती है। शब्दों की इस ताकत को उनके उपन्यास, कहानी, कविता में स्पष्टतः देखा जा सकता है।”⁵ समकालीन महिला कथाकार ज्योत्सनाजी ने अपना साहित्य लेखन कभी भी जल्दबाजी में नहीं लिखा, बल्कि वह तो रचनाओं को बहुत ही धैर्य, सुगमता और विशिष्ट तरीके से तैयार करती है। उनकी कहानियों की यह विशेषता है कि उन्होंने ऐसी कहानियों को रचा, जो महिलाओं को ताकतवर और स्वच्छंदतावादी दृष्टि प्रदान करती है। कृष्णबलदेव वैद्य ने ज्योत्सनाजी की कहानियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं— “जाहिर है ज्योत्सनाजी ने नारी समस्या प्रधान कहानियाँ नहीं लिखी; ऐसी कहानियाँ लिखी है जिनमें से कई ताकतवर कहानियों में हमें कई टूटती हुई और टूटने से इंकार करती हुई नारियों के न भूलने वाले चित्र दिखायी देते हैं, दहला देने वाले अनुभव चित्रित मिलते हैं।”⁶ उनकी कहानियों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की नारी को देखा जा सकता है, स्त्रियों की स्वतंत्रतावादी विचारधारा को, ज्योत्सनाजी ने अपनी ‘शंपा’ नामक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में शंपा एक ऐसी पात्र है, जो अपने दुबले-पतले शरीर को लेकर बहुत ही चिंतित रहती है। वह अपने संबंधों को मुक्त करना चाहती है। उसके भीतर शारीरिक वासना के प्रति घृणा है जिससे

वह उबरना या बाहर निकलना चाहती है। वह अपने शारीरिक दोष के प्रति निराशा व्यक्त करती हुई कहती है— “यह तो मेरा वह दौर है जब मैं नहीं चाहती कि किसी का भी स्थान मेरी और जाए। मैं चाहती हूँ कि वह रोजमर्रापन हो जाऊँ जो आदतन निभाता है, जिसे कई आँख उठाकर नहीं देखता, जिसमें कुछ भी नयापन अब नहीं बचा है। यहाँ तक कि मैं चाहती हूँ अतीक भी मुझे न देखे, न छुए।”⁷ कहानी में शंपा के इस विचार से स्पष्ट होता है कि ज्योत्सनाजी की कहानियों की नारी पात्र सही रूप में स्वयं को वैवाहिक जीवन में रखते हुए भी पति के ख्याल और सोच से मुक्त रखना चाहती है। उनके पात्रों से यह संदेश मिलता है कि शादी, घर, पति के अतिरिक्त भी हमारी स्वतंत्र जिंदगी है और उसे हमें उन्मुक्त होकर व्यतीत करना चाहिए। शंपा की तरह ही ज्योत्सनाजी की अगली कहानी ‘मोहलत’ में भी ‘नीला’ नामक स्त्री पात्र भी ऐसी ही है, जो स्वयं को स्वतंत्र, स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित रहती है।

स्वतंत्रवादी दृष्टि के अतिरिक्त ज्योत्सनाजी की कहानी में पारिवारिक जीवन में स्वयं को समर्पित रहने वाली स्त्रियों के बारे में भी देखने को मिलता है। उन्होंने ‘बा’ नामक कहानी में ऐसी नारी का वर्णन किया है, जो स्वयं को घर के कामकाज में व्यस्त रहते हुए घुटन का अनुभव करती है और कुछ समय घर से कहीं दूर एकांत में रहना चाहती है, अपने दाम्पत्य जीवन की इसी समस्या को समझने हेतु ‘बा’ का यह कथन दृष्टव्य है— “मन्दिर गई हुई बा अधिक-से-अधिक घण्टे भर में तो लौट ही आती। वो घर और बा एक-दूसरे के पर्याय थे। बा को अगर ले जाकर शहर के बाहर छोड़ दिया जाए तो वे खुद अपने घर को शहर में नहीं खोज सकती। किसी से पूछने में भी कई दिक्कतें थी। बापू का नाम मालूम था पर बोलना असंभव था।”⁸ बा के मन में आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वह कहीं भी आने-जाने से डरती थी। साथ ही आने-जाने में उसे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था क्योंकि भारतीय संस्कृति के कारण पत्नी अपने पति का नाम नहीं ले सकती थी। यही कारण था की बा के द्वारा भी अपने पति का नाम नहीं ले पाने के कारण उसे शहर में कहीं दूर से अपने घर पर जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था।

सामाजिक रिश्तों का निर्वाह करने वाली स्त्रियों के आयामों को भी ज्योत्सनाजी ने अपनी कहानियों में चित्रित किया। प्राचीन समय से ही हमारा

समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। समाज के प्रत्येक कार्यो में पुरुष ही अपना वर्चस्व स्थापित करता आया है, लेकिन आज महिलाएँ भी पुरुष के समान उन कार्यो को करने लगी है। ज्योत्स्नाजी ने अपनी कहानी 'संभावित रूकमा तथा प्रमुख स्त्री को बीच में' में मरणोपरांत की जाने वाली रस्मों में स्त्रियों की सहभागिता को चित्रित करने का प्रयास किया है। उनकी अधिकांश कहानियों का सरोकार सामाजिक जीवन से अधिक है, उनकी कहानियों में अश्लीलताओं की कोई जगह नहीं है, उन्होंने सामाजिक दायरे में रहकर लेखन किया है। नारी को हमेशा से ही अपने जीवन में कई समझौते करने पड़ते हैं, वह हमेशा त्याग का प्रतीक बनती आयी है। नारी के इसी त्याग को ज्योत्स्नाजी की कहानियों में भी पूर्णतः देखा जा सकता है। फिर चाहे वह त्याग प्रेम का हो, पुत्र का हो या कुछ और। वह समय-समय पर अपने जीवन में कोई न कोई त्याग अवश्य करती है। नारी के इसी त्याग करने की भावना को ज्योत्स्नाजी ने अपनी कहानी 'फैसला' के माध्यम से उद्धृत किया है— "दीदी, मैं सच कहती हूँ मैं शादी नहीं करूंगी, सोनू-गुड्डू मुझसे कुछ इस तरह जुड़े है कि उनसे अलग होना मेरे लिए आसान न होगा।"⁹ इस तरह अपने प्यार का त्याग करने वाली नारी की व्यथा को चित्रित किया है। भूमा अपनी बहन के बच्चों का पालन-पोषण करने हेतु अपने प्यार का त्याग कर देती है और अपने जीजा से ब्याह कर लेती है और अपना जीवन उन्हीं के साथ व्यतीत करती है। नारी में व्याप्त त्याग की भावना को भी ज्योत्स्नाजी की कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है।

स्पष्ट है कि ज्योत्स्ना मिलन ने अपनी कहानियों में नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को उद्धृत करने का भरपूर प्रयास किया है, उन्होंने महिलाओं से संबंधित वैवाहिक जीवन की समस्या, दाम्पत्य जीवन, विवाह विच्छेद की समस्या, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नारी, हीनता की भावना, प्रेम और विवाह की समस्या, संयुक्त परिवार का विघटन आदि समस्याओं के अतिरिक्त भी आधुनिक युग में मौजूद स्वच्छंद रहने की समस्या, नैतिक मूल्य, नारी की चाह, सामाजिक रिश्ते, नारी की आकांक्षाएँ जैसे अनेक आयामों को उजागर करने का सार्थक प्रयास किया है। वास्तव में ज्योत्स्नाजी का कहानी लेखन वर्तमान समय के अनुसार महिलाओं की वैचारिक सोच को विकसित करती है। उन्होंने अपनी संवेदनाओं को निजी अनुभवों द्वारा महसूस करते हुए, उन्हें रचनात्मक लेखन के रूप में व्यक्त किया है। मुख्यतः कह सकते हैं कि ज्योत्स्नाजी की कहानियों में

प्रस्तुत महिला पात्रों का मुख्य ध्येय समाज की प्रत्येक नारी को जागरूक बनाना है, जिससे वह अपने अधिकारों के लिए सदैव सचेत व सजग रहे, अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व को जाने और पहचाने। ज्योत्स्नाजी ने अपनी कहानियों में अभिव्यक्त नारी जीवन के विविध आयामों के द्वारा नारी के उभरते आधुनिक रूप को बखूबी उजागर करने का प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची :-

1. सं. महेन्द्र उमाशंकर सतीश : हिन्दी कहानी : सिद्धांत और विवेचन, साहित्य रत्नभण्डार, आगरा, पृष्ठ-1
2. डॉ. सविता सतीश : विष्णु प्रभाकर का कहानी साहित्य, साहित्य सागर, कानपुर, पृष्ठ-13
3. डॉ. पूरनचन्द टण्डन, डॉ. ममता सिंगला : साहित्यिक विधाओं के सिद्धांत, पृष्ठ-113
4. सं. महेन्द्र उमाशंकर सतीश : हिन्दी कहानी : सिद्धांत और विवेचन, साहित्य-रत्न-भण्डार प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण 1966 पृष्ठ-9
5. ज्योत्स्ना मिलन : कहते-कहते बात, अंतिम पृष्ठ
6. ज्योत्स्ना मिलन : अंधेरे में इंतजार, पृष्ठ-8
7. ज्योत्स्ना मिलन : अंधेरे में इंतजार, पृष्ठ-37
8. ज्योत्स्ना मिलन : उम्मीद की दूसरी सूरत, पृष्ठ-11
9. ज्योत्स्ना मिलन : खण्डहर तथा अन्य कहानियाँ, पृष्ठ-35

कहानी साहित्य की वर्तमान चुनौतियां

कंचन देवी

शोधार्थी, हिंदी एवं भाषाविज्ञान विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर

आज के मध्यवर्गीय जीवन चेतना पर कहानीकारों ने बहुत से उपेक्षितों को अपनी संवेदना दी है। एक जमाने में जिस प्रकार वेश्याओं और पतिताओं के उद्धार का उत्साह था, उसी प्रकार आज के कुछ संवेदनशील कहानीकारों ने कुजड़ों, नटों, मुसहरों, हिजड़ों, नर्तकों आदि यायावरी मनुष्य का उद्धार किया है। इस प्रकार कोई अपनी संवेदना केवल किसानों को देता है तो कोई शहर के निम्न मध्य वर्ग को, कोई परिवार के बूढ़े-बूढ़ियों को तो कोई अनमेल ब्याही महिलाओं को, कोई चिर कुमारी कन्याओं को तो कोई केवल अपने को चाहे वह जो हो, सूची और भी लम्बी हो सकती है, लेकिन यदि इसको लेकर कहानीकारों ने आपस में बहस न की होती तो इसकी जरूरत भी नहीं होती। यह सभी संवेदनाएँ साहित्यकार की वृहत्तर मानव संवेदना का दायरा पूरा करती है इसलिए इनमें परस्पर विरोध देखना वस्तुतः अपनी संवेदना की संकीर्णता साबित करना है। संवेदना एक नैतिक दायित्व है जिसके अनुसार आज के मध्यवर्गीय जीवन चेतना की उपेक्षितों और कल के अपेक्षितों के लिए साहित्य रचना की आवश्यकता है।

मानव ने खुद अपने आस-पास सामान्य या विशिष्ट व्यवस्था ओढ़ ली है वह उसे बदल सकता है यह भी नहीं तो अपने को उससे मुक्त कर सकता है मगर ऐसा सम्भव नहीं होता ऐसी हालत में कुण्ठा और आक्रोश अपने और व्यवस्था दोनों के खिलाफ तीव्र घृणा और विक्षोभ से फूटते हैं। अपने आप और आस-पास को तोड़ने-फोड़ने में निकलते हैं। लेकिन जहाँ कोई जिम्मेदार ही न हो या जिम्मेदारी इतनी व्यापक हो की किसी एक जगह उंगली न रखी जा सके, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की लापरवाही और असामर्थ्य ही कहकर संतोष खोजा जा सके। अकाल और सूखे से घिरे लोग इसी स्थिति में मृत्यु का सामना करते हैं।

आज के अधिकांश कहानियों के नायक मचलते, उमंगते, बनाते-बिगाड़ते, नौजवान नहीं नायक हैं गलित शरीर, क्षयग्रस्त, शक्तिहीन बूढ़े लोगों का वर्तमान के सामने घुटने टेकते, टूटते-हारते, अतीत में जीते हुए बूढ़े और ये निष्क्रिय, असमर्थ भविष्यहीन जीवन का दाँव हारे बूढ़े कभी हताश, दिशाहार, घुटनों

पर कुहनियाँ टिकाएँ हथेलियों के सहारे सिर पकड़े, नवयुवक के रूप में आते हैं कभी सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त आयु वृद्धों के रूप में नयी कहानी का नायक अतीत में जीता है, वह स्थानों से नहीं, स्मृतियों से आक्रांत है। जब कभी भी वह वर्तमान में आता है तो ऐसे चिचियाते निरीह कबूतर के रूप में आता है मानों काल अपने क्षणों की उंगलियों से उसके एक-एक पंख को नोच रहा हो और हर पंख के नोचे जाने के दर्द व आसन्न मृत्यु के जकड़ महसूस करता है। उदाहरण के रूप में नयी कहानी के कुछ कहानियाँ खेल-खिलौने बादलों के घेरे, हंसा जाई अकेला, राजा- निरबंसिया, जहा लक्ष्मी कैद आदि जो अतीत में जीने की मजबूरी का कारण प्रायः पलेश बैंक पद्धति पर लिखी गई हैं।

समकालीन कहानी में परंपरा का नया मोड़ साहित्य बोध की अपेक्षा संवेदना बोध ही अधिक सारमय संज्ञा है इसीलिए साहित्य बोध का उल्लेख करके लेख में वास्तव में आधुनिक संवेदना की चर्चा किये। क्या संवेदना के साथ नयी या पुरानी ऐसा कोई विश्लेषण लगाना उचित है ? क्या संवेदना ऐसे बदलती है ? क्या मानव मात्र एक नहीं है ? और इसीलिए क्या उसकी संवेदना भी एक नहीं है।

निस्सन्देह मानव एक है, चेतना स्वयं विकासशील है। संवेदना वह यंत्र है जिसके सहारे जीव व्यष्टि अपने से इतर सब कुछ संबंध जोड़ती है – वह संबंध एक साथ एकता का भी है और भिन्नता का भी।

तकनीकी प्रभाव और परिवर्तनों ने भी व्यक्ति मानव का यथेष्ट डाला। तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप गाँव से शहर की ओर एक निरन्तर प्रवाह का आरम्भ हुआ इस प्रवाह के कारण बड़े संयुक्त परिवार टूटकर – छोटे संयुक्त परिवार (स्काल, ज्वाइंट फैमिली) और इकाई परिवार (न्यूक्लियर फैमिली) या वैयक्तिक परिवार बनने लगे हैं। इसी विकेन्द्रीकरण के दौर में सामाजिक मानदण्ड टूटे परम्परा और नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ और पारिवारिक सामाजिक दायरों में एक विशिष्ट परिवर्तन नजर आने लगा। मानव प्राणी की संवेदना न केवल जीवों से और जड़ परिस्थितियों से प्रतिक्रिया करता है। मनुष्य परिस्थितियों

को अपने अनुकूल बनाने का चेतन और अवचेतन प्रयत्न करता है। ज्यों-ज्यों उनमें संवेदना विस्तार करती है त्यों-त्यों उसका विवेक विकसित होता है। अच्छा और बुरा, ऊँचा और नीचा मंगलमय और अमंगल, समाज हितकारी और असांजिक ऐसी अनेक कोटियों के विचार उसके कर्म को ही नहीं, उसकी संवेदना को भी नियंत्रित करने लगते हैं क्योंकि वह अपनी भावनाओं को बुद्धि और विवेक को, कसौटी को परखने लगता है।

नयी कहानी वास्तविकता देखकर ईमानदार व्यक्ति दिल पर धक्का महसूस करता है क्या यही वह यथार्थ है जिसके चित्रण पर आदर्श बताकर हमने सारे पुरानों को एक तरफ फेंक दिया था यह बुढ़ापा नये कथाकारों का अपना बुढ़ापा है या हमारा सारा वर्तमान ही बूढ़ा हो गया है ? इसे किसी भविष्य के सपने नहीं दीखते ? इसे वर्तमान से कड़वी शिकायत भी नहीं है ? क्या उसके सुख-दुःख, प्रेम-रोमांस की कहानियाँ केवल पीछे ही थी और अब हर बार ठोकर से जाग उठती है ? और केवल बीते हुए को दुहराता वह दिशाहीन, लक्ष्यहीन आस-पास से अचेत केवल घिसट रहा है।

आलोच्य अवधि के कहानीकारों ने एक ओर पुराने मूल्यों के प्रति रोमानी दृष्टि की अभिव्यक्ति की, तो दूसरी ओर युगीन संक्रमण के अधिक से अधिक दबाव का अनुभव भी किया है। इस दबाव के फलस्वरूप तनाव, मूल्यों की तलाश और विविध संदर्भों की कहानियाँ लिखी गईं। मोहन राकेश तनावों के कहानीकार हैं। राजेन्द्र यादव की कहानियों में वैयक्तिकता पर सामाजिकता हावी रहती है – अभिमन्यु की आत्मकथा, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे-छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना आदि कहानी संग्रह हैं। जबकि कमलेश्वर तनावों के बीच मूल्यान्वेषण के लिए सचेष्ट रहते हैं। कमलेश्वर की कहानियों में युगीन संक्रमण का मूल्यान्वेषी स्वर मिलता है – 'देवा की माँ' पुरानी पीढ़ी के जीवन का सशक्त चित्रण हुआ, तो 'नीली झील' में मानवीय संवेदना को उसकी विस्तृत में लिया गया है और उदयप्रकाश की 'पीली छतरी वाली लड़की' मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है।

जीवन-मूल्य आधुनिकता से टकराकर या नष्ट हो गए या 'नया चोला' धारण करने के लिए बाध्य हो गए। जिस आदर्शपरक आस्था और अभिजात्य गौरव के प्रतिमोह स्वाधीनता संघर्ष की प्रेरक शक्ति बने थे, कालांतर में वे सब कुण्ठा व घुटन में बदल गये।

नयी पीढ़ी के लेखिकाओं की कहानियों में परिवार उनकी विभिन्न स्थितियों में परिवार में घटने वाली घटनाओं, परिवार के सदस्यों की मनः स्थितियों, उनकी सुदशा-दुर्दशा आदि के अन्तरंग, मार्मिक और प्रमाणिक विवरण का चित्रण मिलता है। इसमें एक चीज तो प्रायः सभी लेखिकाओं की कहानियों में मिलती है वह है स्त्री की स्थिति, दूसरी चीज है – परिवार में वृद्ध माता-पिता की स्थिति। बदलते हुए आर्थिक, सामाजिक परिवेश में परिवार इकाई परिवार बन रहे हैं, जिनमें पारस्परिक सहिष्णुता क्षीण हो रही है। जब पति-पत्नी परस्पर सामंजस्य बैठाने और एक दूसरे को सहने के लिए तैयार नहीं है, तब वृद्धों का कौन सहेगा, उनके साथ सामंजस्य बैठायेगा ? अनेक लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में वृद्धों की दुर्दशा का चित्रण किया है – राजी सेठ, मंजुल भगत, नमिता सिंह, चित्रा मृद्गल, नासिरा शर्मा, अल्का सरावगी आदि की कहानियों में परिवार के अंतरंग चित्र और वृद्धों के अकेलेपन उनकी आर्थिक परनिर्भरता और नयी पीढ़ी के द्वारा उनकी उपेक्षा के कारण होने वाली उनकी दुर्दशा के मार्मिक चित्रण मिलता है। इस प्रकार लेखिकाओं की कहानियों में वस्तुगत विविधता है यद्यपि उनकी कहानियों की धुरी स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के द्वन्द्व और विविध आयाम हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉ. नागेन्द्र, पृ. 732
2. साहित्य-धारा, प्रकाश चंद्र गुप्त, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय बनारस
3. संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर
4. हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रभात प्रकाशन
5. साहित्य और समाज, डॉ. रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारती प्रकाशन
6. साक्षात्कार, साहित्य अकादमी, भोपाल
7. हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद दिवेदी, राजकमल प्रकाशन
8. राष्ट्रीय चेतना की चुनौती, कुलदीप अग्निहोत्री, प्रभात प्रकाशन
9. आधुनिकता : संवेदना और सम्प्रेषण – स.ही. वात्स्यायन अज्ञेय, पृ. 28
10. कहानी स्वरूप और संवेदना – राजेन्द्र यादव, पृ. 120-121
11. कहानी स्वरूप और संवेदना, राजेन्द्र यादव, पृ. 174

चन्देल वंश में शैव धर्म का उद्भव

प्रियंका पाण्डेय

शोधार्थी, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ अधिकांश धर्मों का संगम देखने को मिलता है। इनमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसाई धर्म, सिक्ख धर्म, पारसी धर्म त शामिल हैं। गहन अध्ययन करने से इन धर्मों से सम्बन्धित उपधर्मों की भी जानकारी मिलती है। मानव समाज में धर्म की महत्ता होने के बाद भी धर्म की उत्पत्ति के विषय पर विद्वानों में मतभेद है। जिस प्रकार समय के विषय में कुछ नहीं कह सकते, कि इसका प्रारम्भ कब हुआ ? इसी प्रकार धर्म का उल्लेख करने में भी कठिनाई होती है। सरल शब्दों में धर्म ईश्वर के प्रति एक आस्था है, जिसमें मनुष्य एक अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास बनाये रखता है। यह अलौकिक शक्ति सभी धर्मों में उभयनिष्ठ कारक होती है। कहीं न कहीं समस्त धर्म किसी अतिसंवेदी शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। इस प्रकार विश्वास एवं संस्कार धर्म के दो मुख्य भाग होते हैं। इसके द्वारा प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर रूपी शक्ति की आराधना की जाती है एवं विश्वास रखा जाता है कि मानव समाज का अहित होने से यह शक्ति मनुष्यों की रक्षा करेगी। धर्म का अर्थ सभी धर्मों में अलग-अलग होता है। हिन्दू धर्म में जीवन के दायित्वों अधिकारों के सही रूप में निर्वहन को ही धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना धर्म है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की शिक्षाओं द्वारा मानव जीवन को शुद्ध रखने की प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी धर्म की व्याख्या भिन्न रूपों में की गयी है। निनियन सम्राट ने यह स्वीकार किया है, कि यदि आप मानव जीवन और उसके इतिहास को समझना चाहते हैं, तो उसके धर्म को समझना आवश्यक है। धर्म शब्द की उत्पत्ति 'धृ' धातु से हुयी है, जिसका अर्थ धारण करना होता है। अर्थात् धर्म वह है, जो समस्त विश्व को धारण करता है। धर्म की परिभाषा भारतीय एवं विदेशी विचारकों ने अपने-अपने शब्दों में प्रस्तुत की है। भारत में धर्म की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद के मंत्रों में यह शब्द लगभग छप्पन बार प्रयोग किया गया है। इसकी उत्पत्ति मनुष्य की कल्पनाओं से प्रारम्भ होती है। धर्म मूलतः सामाजिक प्रक्रिया है, जो सामूहिक रूप से भावनाओं को प्रकट करता है। धर्म का प्रमुख कार्य सामाजिक एकता को समृद्धि करना है। मनुस्मृति में

“समस्त वेदों को ही धर्म का मूल कहा गया है।” श्रीमद्भागवत् के अनुसार” जो कुछ वेद में कहा गया है: वही सत्य है तथा इसके विपरीत सब असत्य है।” महर्षि कणाद एवं जैमिनी सूत्र भी वेद को ही धर्म मानते हैं। साथ ही साथ भारतीय विचारकों में डॉ. मैत्रा ने” मूल्यों की सिद्धि में आस्था को धर्म कहा है।” श्री अरविन्द के शब्दों में धर्म के अन्तर्गत परमपिता परमेश्वर की खोज करना होता है। जैन मार्ल के अनुसार धर्म की दस हजार परिभाषाएँ हैं, इनमें से कुछ व्यापक एवं कुछ संकीर्ण होती है। धर्म की वही परिभाषा अधिक उपयुक्त होती है, जो धार्मिक चेतना के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित हो। इसलिए डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी ने इन परिभाषाओं को ज्ञानमूल का, भावनामूलक, संकल्पमूलक, मूल्यसम्बन्धी एवं समाजशास्त्रीय परिभाषाओं में विभक्त किया है।

धर्म की परिभाषा को लेकर विदेशी विचारकों ने भी मत प्रस्तुत किये। प्रसिद्ध समाज शास्त्री फेयर चाइल्ड के अनुसार “उच्च अलौकिक शक्ति एवं शक्तियों के विचारों एवं मानव से उनके सम्बन्धों की धारणाओं के आस-पास निर्मित सामाजिक संस्था धर्म है।” इसी प्रकार जॉनसन ने भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि” कम या अधिक रूप में धर्म उच्च अलौकिक क्रम या प्राणियों, शक्तियों, स्थानों एवं अन्य सत्त्वों के सम्बन्ध में विश्वासों एवं व्यवहारों की एक स्थिर प्रणाली है।” इन विचारकों के अतिरिक्त पाश्चात्य विचारकों में फिलिन्ट, जेम्स, गैलवे आदि पाश्चात्य विचारकों एवं दर्शन शास्त्रियों ने धर्म की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम बतलाया है, जिसके नशे में जनता को सुला दिया जाता है। आक्सफोर्ड डिक्शनरी में धर्म के अर्थ को बतलाया गया, जिसमें व्यक्ति का एसी उच्चतर अदृश्य शक्ति पर विश्वास करता है जो उसके भविष्य पर नियंत्रण करती है और जो उसकी आज्ञाकारित, शील, सम्मान तथा आराधना का विषय है। इसी विषय पर जॉन डिवी ने लिखा है कि ऐतिहासिक धर्म लागो की सामाजिक संस्कृति की स्थितियों से, जिसमें वे पैदा होते हैं एवं रहते हैं, सम्बद्ध रहा है। इसलिए एरिकफ्रेम ने धर्म को निरंकुश तथा मानवीय धर्म में विभक्त किया है। इसमें

ईश्वरीय शक्ति के समक्ष समर्पण निरंकुश धर्म और मनुष्य एवं उसकी शक्ति पर आधारित धर्म मानवीय धर्म कहलाता है। ये परिभाषाएँ प्रस्तुत करने से यह प्रतीत हो जाता है कि धर्म की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। आगस्त काम्ते ने धर्म के वैज्ञानिक रूप को प्रस्तुत किया। इसकी परिभाषा पर कैंट एवं फिटशे नामक विचारक भी एकमत न हुए।

जहाँ कैंट ने धर्म को सदाचार कहा वहीं फिटशे ने इनका विरोध करते हुए धर्म को व्यावहारिकता से अलग बतलाया है। धर्म को उद्भव एवं विकास के विषय पर आधुनिक मानव की जिज्ञाशाएँ बढ़ गयी हैं। अतः इसके उद्भव पर भी अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मत प्रस्तुत किये। हीगल, जेम्स फ्रेशर तथा मेक्डोनल धर्म की उत्पत्ति जादू-टोने से मानते हैं, परन्तु कालान्तर में इसके असफलता के कारण ईश्वर की अवधारणा स्वीकार की गयी। अतः टाइलर महादेय ने जीववाद के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया एवं यह मान्यता प्रकट की कि सूर्य, तारे, वृक्ष, नदियाँ, बादल, हवा सभी में जीव है। इस प्रकार देवताओं की कल्पना की गयी। इसको आगे बढ़ाते हुए अनेक देवता के स्थान पर एक देवता की अवधारणा स्वीकार हुयी। कुछ विचारकों ने भय को धर्म की उत्पत्ति का कारण माना है। दुर्खीम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति से पूर्व ही धार्मिक कर्मकाण्डों एवं रीति-रिवाजों का उद्भव हुआ। वर्तमान में धर्म के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। मैक्समूलर द्वारा वर्णित कथन सत्य है कि धर्म का अध्ययन तब तक अधूरा है, जब तक इसे भारत के सन्दर्भ में न देखा जाये। हिन्दू धर्म प्राचीन काल में ही भारतीय समाज को तीव्रता से प्रभावित कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने भी धर्म की उत्पत्ति के विषय में अपने मत प्रस्तुत किये हैं। फ्रायड के मतानुसार” ईश्वर की उत्पत्ति ही इस कारण हुयी कि मनुष्य अपनी प्रतिभा में ही देवों की सृष्टि इस उद्देश्य से करने को लिए बाध्य हुआ कि वह उन्हें अपने पिता के स्थान पर मान्यता दे सके तथा अपनी बाल्यकालीन आश्रय भावना को आधार प्रदान कर सके। कार्लजुंग तथा थियोडोर श्राडर भी फ्रायड के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। डॉ. आर.के. त्रिपाठी के अनुसार” यह सर्वत्र स्वीकार किया गया है कि धर्म का प्रारम्भ कुछ रहस्यमयी शक्तियों के एहसास से हुआ है, जिसे ओटो ने अत्यधिक रहस्यमयी (Mysterium Tremendum) कहा है। भारत वर्ष में पूर्व मध्यकालीन साहित्यों में चन्देल वंश का उल्लेख अवश्य होता है। चूँकि इन्होंने धार्मिक सद्भावना को प्रस्तुत करते हुए अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया। इनकी धार्मिक

नगरी के रूप में प्रसिद्ध खजुराहो वर्तमान में छतरपुर, म.प्र. में स्थित है। इस काल में विभिन्न धर्मों को अंगीकार किया गया। पाषाण काल से प्रारम्भ करके पूर्वमध्यकाल में इस क्षेत्र की धार्मिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। धीरेन्द्र वर्मा कृत हिन्दी साहित्य कोशानुसार धर्म सृष्टि प्रचारार्थ उत्पन्न पाँच पदार्थों में से है, जो ब्रज को वक्षस्थल के दाहिने भाग से उत्पन्न हुआ है एवं धर्म ही प्रथम देवता है, जिन्होंने दक्ष की तरह कन्याओं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तृप्ति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही तथा मूर्ति से विवाह किया। ये तेरह वृत्तियाँ मानवोचित हैं जिन्हें धर्म कहा गया। धर्म को 'वृष' के आकार का कहा गया, जिसके चार पैर, गुण, द्रव्य, क्रिया और जाति है और ये चारों ही किसी वस्तु या व्यक्ति का धर्म हाता है। शैव धर्म का सम्बन्ध शिव से बतलाया गया है। धर्म का विकास बाद में हुआ, परन्तु शिव से सम्बन्ध रखने वाले पुरातत्विक साक्ष्य पाषाण काल से मिलना प्रारम्भ हो जाते हैं।

गत वर्षों में मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों के उत्खनन से प्रदेश में ऐसे अनेकों स्थल मिले जहाँ से पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। छतरपुर से भी पाषाण कालीन एवं ताम्रपाषाण कालीन अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुये हुए। ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थलों के रूप महेश्वर, नवदाटोली, कायथा, नागदा, एरण, त्रिपुरी जैसे स्थल इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पुरुष देवता का अंकन प्राप्त होता है। इस पुरुष देवता के दोनों तरफ एक व्याघ्र, एक हाथी, एक गैंडा और एक भैंसा दिखाया गया है, साथ ही उसके सिंहासन के नीचे दो हिरन भी दिखाये गये हैं। इस आधार पुरुष देवता को पशुपति की संज्ञा दी गयी। चूँकि भगवान शिव का एक अन्य नाम पशुपति भी प्राप्त होता है। अतः इससे प्रारम्भिक कालों में शिव की उपासना के संकेत प्राप्त होते हैं।

इसके अतिरिक्त पकी हुयी मिट्टी की अनेकों लघु स्त्री प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुयी हैं। इन अवशेषों में अनेकों पत्थर के लिंगों का अंकन भी प्राप्त हुआ है। जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में लिंग पूजा का भी प्रचलन था। लिंग मानव जनेन्द्र है, जिसकी उपासना का प्राचीन सभ्य संसार में बहुत प्रचार था। आदिमानव के अप्रौढ़ विवेक ने मैथुन कर्म, पशुओं और धान्य की उर्वरता के बीच एक कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित कर दिया। चूँकि इसे उर्वरता से समेकित किया

गया। इन्हीं कारणों से लिंगोपासना का उद्भव हुआ, जिसका एक रूप जनेन्द्रिय उपासना भी है। जननेन्द्रियों की उपासना भारत वर्ष के अतिरिक्त भी होती थी। असीरिया में 'अशरेह' की उपासना की जाती थी, जिसका आकार स्त्री योनि के समान था। यह देवता 'बाल' एवं देवी अशतारेथ के संयोग का प्रतीक था। इसी प्रकार बेबीलाने एव निनवहे में भी इस प्रकार के नमने प्राप्त हुये हैं। ग्रीस में शिव का एक अन्य नाम डायनोसियस प्राप्त होता है, जो उर्वरा पृथ्वी का देवता है, एवं जिसकी गर्माहट और रसों से विशेषकर जीवन का संचार होता था। मोहनजादेड़ों एवं अन्य स्थानों के उत्खनन से अनेकों पत्थर के छल्ले भी प्राप्त हुए हैं, जो सम्भवतः लिंग-योनि के जुड़वा प्रतीकों में योनि का काम देते थे। आरेल स्टाइन द्वारा खाजे गये साक्ष्यों के अनुसार मेसोपोटामिया की खुदाई में भारत वर्ष में निर्मित ताबीज, मिट्टी के बर्तन, देवदार का प्राप्त होना तथा भारत की खुदाई में मेसोपोटामिया की बनी बरमे से छिदी एक मिट्टी की टिकिया और अन्य वस्तुओं से यह सिद्ध होता है कि इनकी सभ्यताओं में घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य रहा होगा।

वैदिक आर्यों के भारत वर्ष में प्रवेश की तिथि में विद्वानों में मतभेद रहा है। इनके प्रवेश के पश्चात भारत में लिंगोपासना को स्वीकार किया गया, क्योंकि इन्हें उर्वरता के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए लिंगोपासना के मूल रूप को परिवर्तित करके इसे रुद्र के साथ समेकित किया गया। शिव का एक अन्य चित्र ताम्रपट पर प्राप्त हुआ है, जिसमें वे यात्री के रूप में प्रदर्शित हैं तथा उनके सम्मुख दो सर्प हैं और उनके गले में सर्प की एक माला भी है। तत्कालीन समय में लिंग का स्थान वैदिक देवता रुद्र ने प्राप्त किया एवं स्त्री देवी के रूप में अम्बिका के रुद्र की भगिनी सिद्ध किया गया। वैदिक कालों में शिव का विभिन्न रूपों में वर्णन प्राप्त होता है, एवं इनसे सम्बन्धित कथानकों का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में शिश्नदेवाः शब्द का दो बार प्रयोग हुआ। इसमें शिव का रुद्र नाम से उल्लेख है। ये प्रारम्भ में मध्यम श्रेणी के देवता थे। ऋग्वेद में रुद्र से सम्बन्धित तीन सूक्त प्राप्त होते हैं। जबकि अन्य देवताओं के साथ उनका उल्लेख पचास से अधिक बार किया गया है। शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि इनकी भुजा और अवयव दृढ़ एव समृद्ध हैं, ओंठ सुन्दर हैं तथा बाल घुँघराले हैं, जिससे इन्हें कपर्दिन कहा गया है। उनका आकार आँखों को चौधिया देने वाला है। ये आयुध भी रखते हैं जिससे पशुओं एवं मानवों का

संहार करते हैं। इसी कारण ऋषियों ने अपने आयुधों को स्वयं से दूर रखने के लिए उनसे प्रार्थना की एवं पशुओं तथा मानवों की रक्षा करने का आग्रह भी किया। रुद्र का विभिन्न देवताओं के साथ सम्बन्ध दिखलाया। चूँकि इन्हें सहस्रत्रों औषधियों का संरक्षक कहा गया है, जिससे इनका एक नाम महाभिषिक भी प्राप्त होता है। रुद्र का निकटतम सम्बन्ध मरुतों के साथ भी है जिनके वे पिता हैं तथा एक बार उनके लिए त्रयम्बक विश्लेषण भी आया है। यहाँ पर त्रयम्बक का अर्थ तीन बहनों अथवा तीन माताओं वाला प्रतीक होता है, जो विश्व के तीन विभागों का द्योतक है। आर्यों के द्वारा लिंगोपासना को स्वीकार करके उसे रुद्र से समेकित किया गया। जिससे ऋग्वेद के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में लिखित ग्रन्थों में भी शिव का उल्लेख प्राप्त होने लगा। इस काल में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण इत्यादि की रचना हुयी।

सबसे प्राचीन ग्रन्थ के रूप में वृहदारण्यक उपनिषद में अन्य देवताओं के साथ रुद्र का नाम एक या दो बार ही मिलता है। परन्तु श्वेताश्वर उपनिषद में उनके नामों के विभिन्न रूप ईश, महेश्वर, शिव और ईशान प्राप्त होने से उनके उत्कर्ष का परिचय प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कथन के अनुसार देवासुर संघर्ष में असुरों ने पृथ्वी, आकाश और द्यौ को तीन दुर्गों में परिणित कर दिया जो क्रमशः लाहे, चाँदी और स्वर्ण के थे। इन्हें ध्वंश करने का श्रेय शिव को दिया जाता है। इस कथा का विस्तृत रूप महाभारत के कर्णपर्व में प्राप्त होता है। प्राचीन काल के उपनिषदों में उनसे सम्बन्धित उल्लेख मिलते हैं। मात्र श्वेताश्वर उपनिषद से उस काल के रुद्र की उपासना का संकेत प्राप्त होता है। मैत्रायणी उपनिषद में रुद्र का सम्बन्ध तमोगुण और विष्णु का सम्बन्ध सतागुण से किया गया, साथ ही प्रश्नोपनिषद में रुद्र को परिरक्षिता की संज्ञा भी दी गयी। विकास के क्रम में दार्शनिक विचारधाराओं का उद्भव हुआ। जिससे बहुदेववाद की परिकल्पना के स्थान पर एकेश्वरवाद को अपनाया गया। एकेश्वरवाद के अंतर्गत परमब्रह्म की स्वीकार किया गया। विभिन्न देवों के स्थान पर समाज अलौकिक शक्ति के रूप में परमब्रह्म की पूजा करने लगा। चूँकि श्रौत सूत्र ब्राह्मण कर्मकाण्डों के सारांश मात्र हैं। अतः इनमें रुद्र की उपासना का सामान्य स्वरूप ही प्राप्त होता है। गृहसूत्रों में इनका अधिक विस्तृत वर्णन किया गया। शाख्यायन श्रौतसूत्र में सर्वप्रथम रुद्र की पत्नी का उल्लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें रुद्र के स्त्री देवी का उल्लेख है, जिसे भवानी, शर्वानी, ईशानी, रुद्राणी और आर्गयी भी कहा

गया है। शिव से सम्बन्धित कथाओं का उल्लेख पुराणों में भी प्राप्त होता है। सौर पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण में शिव से सम्बन्धित कथाओं का उल्लेख मिलता है। मत्स्य एवं पद्म पुराण में मध्यप्रदेश के स्थानों का भी उल्लेख है, जिसमें महेश्वर तथा त्रिपुरा का नाम आता है। इसमें त्रिपुर को बाणासुर का नगर कहा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार देवों के आग्रह पर असुरों के अभिमानी तथा उदण्ड हाने के कारण शिव ने नर्मदा के तट पर स्थित महेश्वर नामक स्थान पर इन्हें समाप्त करने का निश्चय किया। बाणासुर को यह ज्ञात होते ही उसने भगवान शिव की उपासना की। जिससे प्रसन्न होकर शिव ने वरदान स्वरूप उसके तीन पुरों में से दो पुरों को ही ध्वस्त किया। जिसका एक अवशेष शैल पर्वत तथा दूसरा अवशेष अमरकण्ठक पर्वत पर गिरा। शांख्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार यजुर्वेद के शत रूद्रीय सूक्त में भी गणों का उल्लेख किया गया है। इन गणों को अघोषिन्यः, प्रतिघोषिन्यः, संघोषिन्यः तथा क्रण्याद (मृत मांस भक्षी) की उपाधियाँ दी गयीं। इन उपाधियों के आधार पर इन्हें भतू-पिशाच की श्रेणी में रखा गया। चूँकि अथर्ववेद में इन्हीं के निवारणार्थ रूद्र का आहवाहन किया जाता था। अतः रूद्र को इनसे सम्बन्धित बतलाया गया है। अग्निपुराण में शिव की संज्ञा चण्डेश्वर से भी की गयी है। शतरूद्रीय सूक्त के द्वारा शिव के लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है। इन्हें शिल्पकार, बढ़ई, लोहार, कुम्भकार, शिकारी, तथा जंगली लोगों का संरक्षक कहा गया है। उन्हें सेनाओं का प्रमुख तथा पशुओं के स्वामी की संज्ञा भी दी गयी है। अथर्ववेद में रूद्र को चिकित्सा शास्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें रूद्र को अग्नि और शिव के साथ प्रस्तुत किया गया है, जबकि भव एवं सर्व रूद्र से पृथक हुए दो देवता माने गये हैं। परम पिता ने भव को ब्राह्मणों के पूर्वी क्षेत्र का रक्षक, सर्व को दक्षिणी क्षेत्र का रक्षक, पशुपति को पश्चिमी क्षेत्र का रक्षक उग्र को उत्तरी क्षेत्र का रक्षक, रूद्र को निचले क्षेत्र का तथा ईशान को मध्य क्षेत्र का रक्षक बताया था। जहाँ अथर्ववेद में प्राप्त होने वाले सात नाम पृथक देवताओं के थे, वहीं ब्राह्मण ग्रन्थों में ये एक ही देवता से सम्बन्धित बतलाये गये। साथ ही एक अन्य नाम 'अशनि' भी उसमें जोड़ा गया। रूद्र के इन आठ नामों में सर्व, उग्र, रूद्र और अशनि इनके क्रोधी स्वरूप को एवं भव, पशुपति, महादेव, ईशान इनके सौम्य स्वरूप को प्रस्तुत करता है। श्वेताश्वर एवं अथर्वशिरा उपनिषद के वर्णन से शिव की महिमा में वृद्धि होने का उल्लेख मिलता है। किसानों ने अपनी आस्तिक भावना में रूद्र

शिव को परम ब्रह्म की संज्ञा दी एवं यह घोषित किया कि रूद्र ही सृष्टि के कर्ता-धर्ता हैं। महाकाव्य रामायण में शिव को उत्तर भारत का ही नहीं दक्षिण भारत का भी प्रसिद्ध देवता माना गया। उन्हें महादेव, शम्भू, भूतनाथ तथा त्रयम्बक कहा गया है। सम्पूर्ण रामायण विष्णु से सम्बन्धित होने के बाद भी इसमें महादेव की महत्ता को स्वीकार किया गया है।

महाभारत के विस्तार के साथ ही शिव की उपलब्धियों का वर्णन करके उन्हें विष्णु के बराबर स्थापित कर दिया। द्रोण पर्व में कृष्ण एवं अर्जुन के द्वारा जयद्रथ की हत्या के लिए पाशुपत शस्त्र को प्राप्त करना अतिआवश्यक था अतः अर्जुन महादेव के पास गये। महाभारत के अधिकांश स्थानों से रूद्र को महादेव के रूप में प्रस्तुत किया गया एवं उन्हें असीम शक्तियों का संरक्षक भी कहा गया। इस प्रकार मोहनजोदड़ों सभ्यता से उत्तर वैदिक काल तक शिव का उल्लेख प्राप्त होने से उनकी उपासना का संकेत प्राप्त होता है। अतः भारत में निरन्तर इसके विकास का क्रम बढ़ता रहा एवं पूर्व मध्य काल तक इस धर्म ने विकास के नये आयामों का अंगीकार किया। वैदिक काल के पश्चात् भारत वर्ष का नया इतिहास प्रारम्भ होता है। इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा भी दी जाती है। इसके पीछे कई कारण प्राप्त होते हैं। लोहे की खाजे ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन लाने में सहायता की। इसके अतिरिक्त इस काल में धार्मिक क्षेत्र में भी नये विचारों या सम्प्रदायों जैसे- बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक सम्प्रदाय, अक्रियावादी सम्प्रदाय, उच्छेदवादी, नियतवादी, संदेहवादी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ।

इन धर्मों के आगमन से धार्मिक कर्मकाण्डों से सम्बन्धित धर्मों के विकास में कमी आयी परन्तु शैव धर्म की उपासना इन कालों में भी होती रही। 600 ई.पू. से 600 ई. के मध्य में महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में शैव धर्म के विकास की चर्चा की गयी है। महाजनपद काल या बौद्ध काल में सम्पूर्ण भारत वर्ष सोलह महाजनपदों में विभक्त हो गया, जिसका वर्णन अंगुत्तर निकाय में प्राप्त हो ता है। इन जनपदों में अवन्ति एवं चेदि जनपद अत्यन्त महत्वपूर्ण थे, जिनकी स्थिति मध्य प्रदेश में बतलायी गयी है। महात्मा बुद्ध के समय में अवन्ति का शासक प्रद्योत था, जिसे चंड प्रद्योत भी कहा जाता था। इस शासक का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। चूँकि अग्निपुराण में भगवान शिव को चंड या चण्डेश्वर की

उपाधि दी गयी है। इस आधार पर प्रद्याते के शैव मतावलम्बी होने का संकेत मिलता है। संस्कृत साहित्य में प्रद्योत को महासेन की उपाधि प्रदान की गयी है। यह उपाधि स्कन्द से सम्बन्धित बतलायी गयी है। अतः तत्कालीन समाज में शिव एवं स्कन्द की उपासना के साक्ष्य प्राप्त हाते है। पाणिनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में कुछ वैदिक एवं उत्तर वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं के नामों में भी सर्व, भव, रुद्र, इत्यादि के नाम प्राप्त हुए है, जिन्हें शिव से सम्बन्धित बतलाया गया है। एक तरफ साक्ष्यों की कमी के कारण डॉ. आर.जी. भण्डारकर ने बुन्देलखण्ड में शैव धर्म के आगमन को अस्वीकार कर दिया। परन्तु दूसरी तरफ जंगलों में विचरण करने वाले ब्राह्मणों या उन समुदायों के जो आर्यों से सम्बन्धित नहीं थे एवं निशाद जनजाति से शिव का सम्बन्ध बतलाया है। इस प्रकार शिव को ब्राह्मणों, गणों जंगली जनजातियों का देवता बतलाया गया तथा इन्होंने शिव की उपासना प्रारम्भ की। यदि पुरातात्विक साक्ष्यों पर विचार किया जाये तो बुन्देलखण्ड के शैल चित्रों में शिव से सम्बन्धित त्रिशूल का अंकन प्राप्त हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में शैव धर्म की उपस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मौर्य काल में भी शैव धर्म से सम्बन्धित साक्ष्य प्राप्त हुए। मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में हेराक्लीज तथा डायनोसियस नामक देवता का उल्लेख मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से पूर्व सम्राट अशोक शैव धर्मावलम्बी था।

मध्य प्रदेश से अशोक के अभिलेख प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का अंग था। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में भी शिव का उल्लेख किया गया है। भीटा से प्राप्त प्रथम शताब्दी ई. के पंचमुखी शिवलिंग पर ब्राह्मी में नागश्री लेख प्राप्त होने से शैव मत में नाग सम्प्रदाय के समाहित होने का संकेत मिलता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम में उज्जैन तक तथा उत्तर पश्चिम में तक्षशिला और औदुम्बर देश तक इसका प्रसार हो गया था। शैव धर्म के विषय में पुराणों में अत्यन्त ही व्यापक रूप में वर्णन किया गया है। लिंग पुराण, शिवपुराण, वामन पुराण को प्रमुखता दी गयी है। वामन पुराण में ही शैव धर्म के चार मतों शैव पाशुपत, कापालिक एवं कालादमन का वर्णन किया गया है। आगम शास्त्रों एवं गृहसूत्रों में इस मत का उल्लेख प्राप्त होता है। विदेशी शासकों के भारत आगमन का लक्ष्य भारत विजय के साथ-साथ यहाँ बसना एवं शासन करना भी था। इन शासकों ने भारत में बसने के लिए यहाँ के सम्प्रदायों को आत्मसात करना प्रारम्भ

किया। विदेशी शासकों के सिक्कों पर शैव धर्म से सम्बन्धित अंकन के प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन भारतीय समाज में शैव धर्म अधिक प्रचलित था। इन शासकों के आगमन के पश्चात नये सम्प्रदायों का भी जन्म हुआ, जिनमें अघोर सम्प्रदाय, अर्द्धनारीश्वर सम्प्रदाय के साक्ष्य प्राप्त हुए। हुविशक के एक सिक्के पर प्राप्त अंकन में शिव के हाथ में चक्र के साथ त्रिशूल होने से हरिहर की परिकल्पना का उदय हुआ। गुप्त काल प्रारम्भ होते-होते शैव एवं वैष्णव धर्म का विकास तीव्र गति से हुआ। जिस प्रकार पूर्व गुप्त काल में शैव धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ। उसी प्रकार गुप्त काल में वैष्णव धर्म को राजाश्रय प्रदान किया गया। परन्तु अन्य धर्मों के प्रति इन शासकों ने सदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। इस काल में शिव से सम्बन्धित स्थापत्य एवं विभिन्न प्रकार के लिंगों अर्थात् एक मुखी चतुर्मुखी, पंचमुखी का निर्माण करवाया गया। इन शासकों के आगमन से पूर्व भारशिव नामक वंश का भी अस्तित्व था। नाम के अनुरूप ये शासक अपने कंधों पर शिवलिंग धारण करते थे। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त को शैव धर्म से प्रभावित बतलाया गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसस्ति में इसके संगीत कला की प्रशंसा तुम्बरु से की गयी है, जो कि गांधार में तांत्रिकों द्वारा शैव धर्म के स्तम्भ के रूप में माने गये है। पी.सी. बागची ने भी महाभारत के आधार पर गान्धार देश में तुम्बरु शिव के होने का उल्लेख किया है। साथ ही, चन्द्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहिक मंत्री वीरसेन शाव के द्वारा उदयगिरि गुफा में शिव के मंदिर का निर्माण कराया। मथुरा स्तम्भ लेख में उपमितेश्वर तथा कपिलेश्वर नामक दो शिवलिंगों की स्थापना का वर्णन है। कुमार गुप्त प्रथम के मंत्री एवं बलाधिकृत पृथ्वीसेन द्वारा शिव मंदिरों के दान दिये जाने का भी उल्लेख है। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों जैसे शकरगढ़ भमूरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पावती मंदिर से मध्य भारत में शैव धर्म के विकास के साक्ष्य प्राप्त होते है। गुप्त कालीन साहित्यों में भी शैव मत का वर्णन किया गया, जिसमें कालिदास कृत मेघदूत, कुमार सम्भव प्रमुख है। शिव कालिदास के भी प्रिय थे, इसलिए उनकी कृतियाँ शिव की उपासना से प्रारम्भ होती है। गुप्तों के समकालीन शासकों में मग शासक बल्लभी के मैत्रक, मौखरी शासक, वाकाटक नरेश, शालंकायन, नल कदम्ब आदि वंशों के शासकों द्वारा लिखित अभिलेखों में शिव का किसी न किसी रूप में उल्लेख हुआ है। जिसके आधार पर इन शासकों को शैव धर्म का समर्थक कहा जाता है। गुप्त शासकों के

पश्चात् शैव धर्म का विकास तीव्र हो गया। शक्ति के देवता होने से भारतीय शासकों के द्वारा शैव धर्म को अधिक प्रश्रय प्रदान किया गया। शासकों ने शिव से सम्बन्धित उपाधियाँ भी धारण करना प्रारम्भ कर दी। बांस खेड़ा ताम्र पत्र में हर्ष को 'परममाहेश्वरोमाहेश्वर' की उपाधि से सम्बोधित किया गया एवं ह्वनेसांग ने भी वाराणसी को शैव धर्म का केन्द्र बताते हुये वहाँ लगभग सौ शिव मंदिर तथा 1000 से अधिक शैव धर्मानुयायी होने की बात प्रस्तुत की है। तत्कालीन अभिलेखों में शिव को विभिन्न नामों से भी सम्बोधित किया गया। कलचुरि अभिलेख में इन्हे परमब्रह्म, देवदेव, तथा जगतगुरु एवं भेड़ाघाट अभिलेख में कल्याणपति तथा भालेन्दु की संज्ञा दी गयी। राजपूतों द्वारा स्थापित अधिकांश अभिलेखों का प्रारम्भ 'ओम नमः शिवाय' से किया गया एवं उन्हें नीलकण्ठ, महादेव, पशुपति, उमापति, सदाशिव, परममाहेश्वर, अर्द्धनारीश्वर, रामेश्वर, केदारेश्वर नामों से सम्बोधित किया गया। इस काल के शासकों द्वारा प्रचलित सिक्कों तथा स्थापत्यों में शिव का अंकन शैव धर्म की प्रतिष्ठा को प्रस्तुत करता है। चन्देल शासकों ने शैव धर्म के विकास में पूर्ण योगदान दिया। इन्होंने स्थाण्वीश्वर से कन्नौज तक एवं बुन्देलखण्ड के खजुराहो कालिंजर तक अनेकों शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। इस काल में शैव धर्म का विभाजन भी हो गया। वीरशैव या लिंगायत तथा कश्मीरी शैव सम्प्रदाय का प्रारम्भ भी यहीं से हुआ। प्रारम्भ से ही शैव धर्म उत्तर एवं मध्य भारत में प्रचलित था। चन्देल वंश के समय कालिंजर को नीलकण्ठ शिव का निवास स्थान कहा जाता था। यशोवर्मन के पश्चात् इसके उत्तराधिकारी धंग के काल से शैव धर्म को चन्देलों द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। धंग के काल में निर्मित विक्रम संवत् 1059 (1002-03) ई. के खजुराहो अभिलेख 'आमे नमः शिवाय' से प्रारम्भ है एवं शिव के विभिन्न रूपों रुद्र, दिगम्बर, शलूधर, महेश्वर एवं पशुपति का वर्णन है। साथ ही, शम्भू मंदिर का भी वर्णन किया गया है, जिसमें धंग ने दो शिवलिंगों की स्थापना की थी। चन्देल शासकों की एक उपाधि 'परममाहेश्वर' भी थी। इस अभिलेख में वर्णित मंदिर को खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर के रूप में स्वीकार किया गया। अभिलेखानुसार धंग ने शिव का ध्यान करते हुए प्रयाग में जल समाधि धारण की, जो उसके शैव धर्म की आस्था का प्रतीक है। विश्वनाथ मंदिर के समीप वैद्यनाथ नामक एक अन्य मंदिर भी शिव को समर्पित है, जो विक्रम संवत् 1058 (1001-02) का है एवं ग्रहपति कुटुम्ब के कोकल्ल ने निर्मित करवाया था। परमर्दिदेव

ने भी शिव का गुणगान करते हुए अपने विश्वास को प्रस्तुत किया। चन्देल शासकों द्वारा खजुराहो में शैव धर्म से निर्मित विभिन्न स्थापत्यों का निर्माण करवाया। इन स्थापत्यों में कन्दरिया महादेव मंदिर स्थापत्य जगत का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त खजुराहों का मतंगेश्वर एवं दूल्हादेव मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। खजुराहों के साथ-साथ चन्देल शासकों द्वारा अजयगढ़ महोबा में भी शैव मंदिरों का निर्माण करवाया गया।

चन्देल कालीन अभिलेखों में शिव का उल्लेख अनेकों बार मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आगर के निकट स्थित बटेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण परमर्दिदेव के मुख्यमंत्री सलक्ष्ण के द्वारा करवाया गया। कालिंजर के नीलकण्ठ मंदिर की गुफा के द्वार पर काले पत्थर पर संस्कृत भाषा में एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें परमर्दिदेव ने पुरारी अर्थात् शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। अजयगढ़ से प्राप्त प्रस्तर स्तम्भ पर कायस्थ परिवार से सम्बन्धित सुभद्र द्वारा शिव (केदार) के लिए एक मंदिर निर्मित कराने का वर्णन है, जो चन्देल शासक के द्वारा मंत्री एवं कोषधिकाधिपति नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त देवगढ़ प्रस्तर अभिलेख, महोबा अभिलेख, कालिंजर अभिलेख तथा खजुराहो अभिलेखों का प्रारम्भ "आमे आमे नमः शिवाय" से किया गया है। बुन्देलखण्ड में शैव धर्म के कापालिक सम्प्रदाय का महत्व अधिक था। कृष्ण मित्र द्वारा रचित प्रबोधचन्द्रादेय में भी इसका उल्लेख किया गया है। खजुराहो स्थापत्य पर बने कामुक अलंकरण समाज में कापालिक सम्प्रदाय की महत्ता को प्रस्तुत करते हैं। चन्देलों के काल में छतरपुर जिले में स्थित खजुराहों को धार्मिक राजधानी बनाया गया। इनमें शैव धर्म से सम्बन्धित मतंगेश्वर मंदिर प्रारम्भिक काल का है। श्रीकृष्ण मित्र के अनुसार इसका निर्माण यशोवर्मन के पिता हर्ष ने प्रारम्भ कराया था। इसके अतिरिक्त खजुराहो स्थित विश्वनाथ, कन्दरिया एवं दूल्हादेव मंदिर भी भगवान शिव के निवास स्थल का अद्भुत उदाहरण है। इनका निर्माण काल क्रमशः 975-1000 ई. 1025-1050 ई. तथा 1100 से 1150 ई. माना गया है। चन्देल राजधानी महोबा में निर्मित सभी हिन्दू मंदिर पूर्णतः नष्ट हो गये, परन्तु कनिंघम महादेय ने शिव मंदिर से सम्बन्धित अवशेष प्राप्त किये तथा शिवलिंग टुकड़े (अग्र) के साथ काले पत्थर से निर्मित बैल की प्रतिमा को भी पहचाना। इसके अतिरिक्त महोबा से दो मील दूर राहिल गाँव में भी एक शिव मंदिर की पहचान की गयी। स्तम्भों पर निर्मित मंडप बनाकर मंदिर के

विस्तार का श्रेय चन्देल शासकों को ही दिया जाता है। अजयगढ़ में स्थापित चार में से तीन मंदिर शिव को समर्पित हैं। खजुराहो मंदिर समूह में शिव के अन्य रूपों का अंकन भी प्राप्त होता है। इन मंदिरों के आलों में शिव को भद्र रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त शिव एवं पार्वती की स्थानक मुद्रा प्रतिमा, ललितासन मुद्रा प्रतिमा तथा चतुर्भुजी शिव की प्रतिमाएँ प्राप्त हुयी है। पूर्वमध्य काल में शिव मंदिरों में लिंगोपासना को अधिक महत्व दिया गया। खजुराहो स्थापत्य में अधिकांश स्थानों पर शिव पूजन का अत्यन्त ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। चन्देलों द्वारा काले पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर से निर्मित शिवलिंगों से लिंगोपासना का महत्व दिखता है इसके अतिरिक्त मानव मुख के साथ निर्मित लिंग चन्देल राज्य में प्राप्त होते हैं। कालंजर के नीलकंठ महादेव मंदिर के शिवलिंग में चाँदी के नेत्र निर्मित कराये गये थे। इस काल में शिव के लिंग रूप की उपासना अधिक हुयी परन्तु मानव रूप में इनके पूजन का उदाहरण बहुत कम प्राप्त होता है। खजुराहो के दूल्हादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर मध्य में शिव के मानव रूप का अंकन है इसके अतिरिक्त महादेव मंदिर एवं शिव विश्वनाथ मंदिर में भी इसके उदाहरण प्राप्त हुए हैं। शिवसागर झील के तट पर बीस व्यक्तियों के द्वारा शिव की उपासना का अंकन किया गया है। इनमें ग्यारह एक तरफ एवं नौ दूसरे तरफ खड़े हैं। साथ ही लक्ष्मण मंदिर के पीछे एक अन्य पूजन का दृश्य अंकित है, यह भी लिंगोपासना से सम्बन्धित है। विश्वनाथ मंदिर के पदरक्षिणापथ एवं अर्द्धमंडप के छज्जे पर लिंगोपासना करते हुए व्यक्ति को दिखलाया गया है जो मंत्रोच्चारण करता हुआ प्रस्तुत किया गया है। कन्दरिया मंदिर के दृश्य में बारह गन्धर्वों के द्वारा लिंग पूजा करते हुये अंकन किया गया जो हाथों में फूलों की माला धारण किये हैं। ये दृश्य तत्कालीन समाज के पूजन क्रिया को प्रस्तुत करते हैं।

ये सभी दृश्य एक दूसरे से लिंग पूजा के माध्यम से सम्बन्धित हैं। शैव धर्म का उद्भव आद्यैतिहासिक काल से माना गया है। समय के साथ इस धर्म में अनेकों परिवर्तन हुए तथा यह धर्म विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। शिव के साथ शक्ति को स्थापित करने से इन्हें शक्ति का देवता भी माना गया। जिससे अधिकांश राजवंशों ने इस धर्म को राजाश्रय पदान किया एवं इनसे सम्बन्धित उपाधियाँ भी धारण की। पूर्व मध्य काल में हर्ष ने भी शैव धर्म को प्रश्रय

प्रदान किया तथा मरणापेरान्त उत्तरी एवं मध्य भारत के राजवंशों ने शैव धर्म को स्वीकार किया। चन्देल शासकों ने बुन्देलखण्ड में शैव धर्म का प्रचार-प्रसार किया। इनकी धार्मिक राजधानी छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में शैव धर्म के विकास का अद्वितीय स्वरूप मंदिर स्थापत्य के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ से शिव के विभिन्न रूपों का अंकन चन्देल कला की ही देन रही। गुप्त काल में मंदिर निर्माण के बाद स्तम्भों पर मंडप के निर्माण कर मंदिरों के विस्तार का श्रेय इन्हे ही दिया जाता है। शैव धर्म का विकास छतरपुर जिले में अधिक देखने को मिलता है, परन्तु सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में इस धर्म का प्रभाव होने के बाद भी छतरपुर जिला चन्देलों की धार्मिक स्थिति को प्रस्तुत करता है।

संदर्भ सूची :-

1. शर्मा, मैत्रेयी, रिलीजन एण्ड वोमेन इन इंडियन सोसाइटी, शोध प्रबन्ध, गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, 2012, पृ. 02।
2. त्रिपाठी, डॉ. आनन्द प्रकाश, धर्म दर्शन, यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि., जयपुर, 2009, पृ. 02।
3. व्यास, रामनारायण, धर्म दर्शन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1972, पृ. 25।
4. मैक्समलूर, धर्म की उत्पत्ति, अनुवादक ब्रह्मदत्त दीक्षित 'ललाम', ग्रन्थ विकास, जयपुर, 2001, पृ. 15-16।
5. व्यास, रामनारायण, पूर्वोक्त, पृ. 56।
6. शर्मा, मैत्रेयी, पृ. 7।
7. व्यास, रामनारायण, पृ. 60।
8. शाह, कीर्ति के, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द बुन्देलखण्ड रीजन, शोध प्रबन्ध, डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र. 1976, पृ. 104।
9. मानव मूल्य परक शब्दावली का विश्वकोष, पृ. 848।
10. मार्शल, मोहनजादेडो एण्ड द इण्डस सिविलाइजेशन, पृ. 52।
11. तिवारी, श्रीधर, मध्यप्रदेश में शैव धर्म का विकास, शोध प्रबंध सागर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र. 1976, पृ 105।
12. फारनेल, कल्ट्स ऑद दी ग्रीक स्टेटस।
13. यदुवंशी, शैवमत, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना 1955, पृ. 27।

14. मिश्र, जयशंकर प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2006, पृ. 719–20।
15. तिवारी, श्रीधर, पूर्वोक्त, पृ. 32।
16. ऐतरये ब्राह्मण, 1–4–6।
17. यदुवंशी, वही, पृ. 42।
18. मत्स्य पुराण, अध्याय 129–132 तथा 187–188।
19. बनर्जी, पी., अर्ली इंडियन रिलीजन्स, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि. दिल्ली, 1973, पृ. 30।
20. श्रीवास्तव, के.सी. प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद, 2014–15, पृ. 109।
21. तिवारी, श्रीधर, वही, पृ. 110।
22. अग्रवाल, वी.एस., इंडिया एज नोन टू पाणिनी, इलाहाबाद, 1953, पृ. 35।
23. सहाय, शिव स्वरूप, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 2014, पृ. 93।
24. एपी इ., संस्करण –पृ. 137–43।
25. मैत्रा, एस.के. द अर्ली रूलर्स ऑफ खजुराहो, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1977, पृ. 195।

नारी दशा एक चिन्तन व बदलते आयाम

डॉ. चित्रा

सहायक प्रोफेसर (हिन्दी), विभाग – हिन्दी ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान (भारत)

अनिता जाट

शोध छात्रा (पीएच.डी.), ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान (भारत)

प्रस्तावना :- पुरुष और नारी समाज के दो मूल आधारभूत इकाई हैं। दोनों के संतुलित योगदान से समाज व नवजीन का सृजन होता है। नारी और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलु हैं पुरुष आकाश है तो नारी धरती है। आकाश और धरा के संतुलन योग से ही संसार का संचार सफल है। नारी ने नर को नर बनाया है। नारी के अस्तित्व को नकार करके विश्व निर्माण की रचना की आशा ही नहीं की जा सकती। नर को जन्म देने के कारण वह नारी सृष्टि धात्री कहलाती है। नारी शब्द अपने आप में ही एक सम्पूर्ण व निरपेक्ष सत्ता व सम्पूर्णता का बोध कराता है। नारी देवी स्वरूप है वह प्रेम, त्याग, निष्ठा, बलिदान, ममत्व, शक्ति, समर्पण, सौन्दर्य, शील, उत्सर्ग, सभी गुण इसमें समाहित होते हैं। समाज व परिवार के कल्याण में दोनों की समान भागीदारी होती है।

यह एक निर्विरोध सत्य है परन्तु फिर भी नारी विरोधी सोच न केवल उसके अहंकार व उसके दोगले चरित्र व समाज के यथार्थ स्वरूप को सत्य की भूमि पर ला देता है। नारी विरोधी विचार नारी की पीड़ा भरी इस जीवन को बताता है और उसके संघर्ष को आधुनिक युग में बदलते विचार और दृष्टिकोण को सामने रखता है।

नारी की दशा प्राचीन काल खण्ड में :- अगर प्राचीन समय से हम नारी के स्वरूप पर विचार करें तो स्थिति ज्यादा बदली नहीं है। आज तक प्राचीन समय की नारियों को देखें तो सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, तारा, रेणुका, दुःशाला, हिडिम्बा, सत्यभामा, कालिन्दि, सर्वणा, सत्यवती, देवयानी, उर्वशी, रोहिणी, सावित्री, सूर्या, विश्वपाला ये सभी शक्ति-सम्पन्न विदूषी महिमामयी रही हैं लेकिन समाज व पुरुष प्रधान समाज में इनके साथ भी अन्याय हुआ। सीता, दमयन्ती, यशोधरा देवी स्वरूप लेकिन समाज के इस दोगले चरित्र ने इन्हें भी अपमान का विष पीना पड़ा। नारी विरोध मंशा हर युग में कहीं अधिक व कहीं कम लेकिन इसका आभास हर युग में रहा है। नारी ने अपनी अस्मिता के लिए हर कालखण्ड में संघर्ष किया है।

नारी की प्राचीन अवस्था देवी स्वरूप भी रही है उसने बुद्धि शक्ति, संयम से नर चरित्र पतन को बचाया उसे मनुष्यत्व के गुण प्रदान किये, एक माँ, बहिन, पत्नी, पुत्री, सखी के रूप में। नर को नर बनाया, उसकी सहधर्मिणी बनकर उसे बल पुरुषत्व प्रदान किया। उसी नर ने उसको निर्वासित किया, चिर-हरण किया उसका नारीत्व समाप्त करने की असफल चेष्टा की है। नारी हर युग में इस अभिशाप से पीड़ित है कि उसे अपने ही सृजन संसार में अपनी अस्मिता अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है। यह भी विडम्बना है कि देव पुरुष भी नारी के प्रति क्रूर रहे हैं। अपनी व समाज की मंशा ने उसे पुरुषत्व से नीचे गिरा दिया है। रावण एक विद्वान था, पर उसके अहंकार ने उसे सीता हरण करने को विवरण किया, उसका विनाश निश्चित था पर राम तो देव अवतार थे उन्होंने सीता का त्याग कर समाज में नारी विरोधी सोच को कहीं न कहीं पल्लवित किया है। सीता देवी थी फिर भी समाज के इस कृत्य और पुरुष सोच को अपना कर न केवल स्वयं को दण्डित किया बल्कि भविष्य की कोख में नारी विवशता का बीज बो दिया जो समाज के दूषित विचारों और पुरुष के अहंकार को सलाति सी प्रतीत होती है। दमयन्ती एक पुरुष प्रेम में छली जाती है नल का दमयन्ती को भूल जाना और दमयन्ती का वन-वन भटकना उसके वेदनामय हृदय को उसकी दशा को उजागर करता है। उर्मिला का पति वियोग और उसकी साहित्य क्षेत्र में उपेक्षिता उसके बलिदान को नकारने जैसा है। प्राचीन समय में नारी केवल रमणीय रही, रसिकों इस का कारण रही ये प्राचीन बुद्धिबर्ग ने अपने साहित्य व मंशा द्वारा प्रकट किया है। नारी के पतन का कारण वह स्वयं नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक और पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जिसने यह घृणित कृत्य किया है। नारी का पतन तीव्र गति से आरम्भ हुआ विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन से। पूर्व में स्थिति विकट थी परन्तु इतनी नहीं थी जितनी इनके आगमन से आरम्भ हुई। पूर्व में नारियों में पर्दा प्रथा, जौहर, सती प्रथा जैसी कुरुरीतियाँ नहीं थी अपने सम्मान व आबरू रक्षार्थ इन प्रथाओं का आरम्भ हुआ।

ये प्रथाएँ न केवल इनके विकास में बल्कि इनके व्यक्तित्व के प्रभाव को भी कम किया। प्राचीनकालीन लेखकों ने केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन किया नारी जो देवी थी उसकी व्यथा द्वन्द्व, कुण्डा व संघर्ष को अपने अहम् में उजागर किया ही नहीं केवल सौन्दर्य, भक्ति, आत्मसुख दृष्टिकोण से लेखन किया है। अगर अपने अहं के इतर उसने भावनाओं से अपने को जोड़ा होता तो किंचित वह देवी के उस संघर्ष व्यथित मन को पढ़ पाता लेकिन उसकी अवहेलना ही उसके पांडित्य को संतोष देती रही। सीता हो या दमयन्ती हो या अन्य देवी स्वरूप नारी हो उसने अपने स्त्री होने के दंश को झेला है। “शक्ति उनमें समाहित क्या न कर सकती थी प्रलय, वह था नव निज सुख का ज्ञान उसे था, अपने सृजन संसार का सुख ज्ञान उसे।” नारी की त्यागमयता मूर्ति भी पुरुष को यह सबल प्रदान करती रही है कि वे अबला है उनका संयम उसे कायर व कोमल ही दर्शाता रहा। अगर साहित्य ने हर नारी में दुर्गा का रूप समाज व पुरुष को दिखाया होता तो शायद उसे देवी से नारी सफर पर न चलना पड़ता। प्राचीन समय में दुर्गा, सावित्री, मैत्रेयी, गार्गी ने माँ काली ने पुरुष व समाज के रूढ़ विचारों को अपने ज्ञान बल, सतित्व बल, सेवाबल व शक्तिबल से अपने वास्तविक रूप को दिखाया है। “है अगर सृजन बीज कोख में उसके तो, विनाश का ताड़व भी है उसके हृदय कोख में, ममत्व लुटाना वह जानती तो, क्रोधाग्नि भी बरसाना जानती।”

नारी दशा आधुनिक संदर्भ में :- आधुनिक काल में नारी ने देवी से नारी, औरत का सफर तय कर लिया है। जो अत्यधिक वेदनामयी, संघर्षमयी रहा। यह यात्रा अभी तक रूकी ही नहीं निरन्तर चलती जा रही है। नारी के इस बदलती दशा का चित्रण सभी बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने-अपने संदर्भ में किया है। नारी समाज की नींव है और हम उसी की उपेक्षा कर समाज को प्रगति के रहा पर ले जाने का असंभव प्रयास कर रहे हैं। जो न केवल निरर्थक बल्कि हास्यस्पद भी है। नर-नारी तो दो पहिये हैं जीवन रथ के, एक टूटा तो दूसरा कैसे सफर करेगा जीवन राह की। नारी स्थिति में प्राचीन समय से अब तक सुधार कम व बिगाड़ ज्यादा हुआ है। आज की नारी अपने सम्मान अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं लड़ रही है। पुरुष प्रधान समाज को चुनौती दे रही है। शायद यही कारण है जिसने पुरुष को पशु बना दिया है, जो पूर्व से और भी क्रूर बना दिया है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक शोषण से वह जूझ रही है जिससे उसमें द्वन्द्व, चिन्ता, भय, अस्थिरता को जन्म दे दिया। स्त्री आज सुरक्षित है कहा

हर जगह हर रूप में तो पुरुष उसका शोषण कर रहा है। उसके स्त्रीबल को दबाया जा रहा है उसकी बुद्धि पर संदेह किया जा रहा है, उसके चरित्र पर दाग लगाये जा रहे हैं, उसे अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है। पुत्री, बहन, माता, पत्नी हर रूप में उसका शोषण हो रहा है जो अन्याय है, पर क्या पुरुष इस समाज को आज तक यह लगा कि वे अन्यायी कैसे बने नारी के प्रति नहीं, उन्हें इसका भान तक न है कि वे समाज में अपने को स्थापित रखने के लिये वह अपराध हुआ है हमसे। लेकिन आधुनिक नारी ने इस विनाश इस पीड़ा इस द्वन्द्व को सहकर भी वह हारी नहीं है। आज भी चुनौती बनकर खड़ी है। इस घृणित विचार के समक्ष जो उसे पशु समान मानता है। अपने क्षमताओं व बुद्धिबल से अपना स्थान स्थापित करने का अथक प्रयास आज और भी तेज व बल से आरम्भ कर दिया है जो पुरुष को असहाय हो गया वह कभी नहीं चाहता स्त्री को उसके समान समझा जाये, बराबरी का स्थान प्रदान किया जाये इसी मंशा से एक पिता अपनी पुत्री की इच्छाओं की अवहेलना करता है, एक भाई उसे अपने समान स्वतंत्रता नहीं देना चाहता, पति उसे सदा अपने ऊपर आश्रित रखना चाहता है, पुत्र अपनी इच्छाओं से अहं से उस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, जो उसकी करुण वेदना का साक्षी है। अपनी इच्छा से वर न चुन पाना, प्रेम को बाहर न ला पाना, अपनों से मिलने के लिये पति पक्ष की अनुमति की राह देखना उसकी मूक-पीड़ा को बया करते हैं। लेकिन आज की नारी स्वयं अपने फैसले लेना चाहती है वह पिता तक का विरोध करती है, अपने को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर ही स्वयं को बदल रही है। यह सत्य है पराश्रित को सदा सपने छोड़ने पड़ते हैं। सपनों को उड़ान देना है तो सर्वप्रथम दूसरों की मदद की और ताकना बंद करना होगा स्वयं का बल स्वयं को बनाना ही होगा। तब नारी स्वेच्छा से जीवन व्यतीत कर पायेगी। आधुनिक युग में तो साहित्यकारों व बुद्धिवर्ग ने नारी की इस पीड़ा को उसकी मानसिकता को समझने का प्रयास किया है और उसे अपने लेखन का माध्यम बनाया है। नारी आज हर विषय में वर्णन का विषय बन चुकी है। आधुनिक युग के लेखकों ने नारी अस्मिता को अपने लेखन का आधार बनाकर उसे नये आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है। नारी गुणों को समझ कर समाज को एक नई सोच देने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। नारी ने अपने विद्रोही स्वरूप से आज अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इससे पुरुष का अहं जाग गया और वह रेप, हत्या, अपहरण, अक्षम्य

अपराध करने लग गया जिससे रोकना अति आवश्यक है। कुछ लेखकों ने नारी को महिमामण्डित कर समाज को दूषित भावना से बाहर लाने का प्रयास किया। आज साहित्यकार नारी संबंधित लेख इस उद्देश्य से लिख रहे हैं ताकि ऐसे पुरुष व समाज को इसके माध्यम से सही राह पर लाया जा सके। तसलीमा जैसी लेखिकाएँ जो पुरुष युग दृष्टा युग में पूरे नंगे यथार्थ के साथ समाज व पुरुष को आईना दिखाती हैं कि देखें तुने अपने कृत्य से क्या किया है कि आज बेटी, अबोध कन्या तक को तू हवस का शिकार कर रहा, आज तेरी मंशा के परिणामस्वरूप तेरी बेटी, पत्नी, माँ भी सुरक्षित नहीं है। क्या इसका दोषी भी तू नारी बुद्धि को ही मानेगा। अगर तूने अपने समान नारी को भी समझा होता तो शायद इस देश में न कोई द्रोपदी होती न निर्भया व न कटुआ प्रकरण सुर्खियों में होता। पर शायद यह नर अभी तक न रूका फिर सुर्खियों में लाने एक नये नाम नये इलाके को। आधुनिक युग में नारी सबल होती जा रही है। कोई भी कटुआ प्रकरण उसे रोक नहीं पायेगा। आधुनिक समाज भी नारी हितों के प्रति जागृत हुआ है और समाज की घृणित प्रवृत्ति थी उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ पर अपेक्षा अनुसार नहीं।

निष्कर्ष :- शोध पत्र में हम यह कह सकते हैं कि नारी दशा चिन्तन प्राचीन व आधुनिक समय में नये आयाम व बदलते परिवेश को उजागर किया है। नारी के देवी से नारी औरत बनने के पीछे पुरुष सत्ता की मंशा को भी उजागर करना रहा। नारी केवल अबला नहीं वह सबला भी है जो वर्तमान में उसके संघर्ष की गाथा हमें बता देती है। आधुनिक नारी हर परिस्थितियों के लिये अपने को तैयार कर रही है ताकि वह अपना संतुलन न खो बैठे। यह कार्य आज भी पुरुष को असहाय है। वर्तमान साहित्यकारों व बुद्धिजीवी वर्ग ने नारी पीड़ा को महसूस किया और आज वे नारी समानता के पक्ष में इनके साथ खड़े दिखाई देते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नारीत्व-शान्ति कुमार, 1998
2. औरत अस्तित्व व अस्मिता, 2001, अरविन्द जैन
3. औरत : कल आज और कल, आशा रानी बोहरा, 2005
4. स्त्री संघर्ष का इतिहास, राधा कुमार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ.सं. 165
5. स्त्री मुक्ति और अस्मिता की पहचान, डॉ. प्राची सिंह, 2017

6. नारी अस्मिता का विमर्श, प्रभा खेतान के उपन्यास छिन्नमस्ता के विशेष संदर्भ में, कंचन
7. एक इंच मुस्कान में नारी मुक्ति के स्वर, डॉ. विनीता चौरासिया, 2014
8. साहित्य में नारी योगदान, उमा अर्पिता, 2015
9. स्त्री विमर्श : पुरुष रचनाधर्मिता के विशेष संदर्भ में, डॉ. विनय कुमार पाठक, 2004
10. सुनीता जैन के कथा साहित्य में नारी चेतना, शोधार्थी-वैष्णवी स्नेहाल
11. स्वांतंत्र्योत्तर हिंदी कहानियों में नारी समस्याएँ : एक अध्ययन, शोधार्थी-भाग्यश्री प्रशान्त गिरी, 1992
12. नासिरा शर्मा का शात्मली : स्त्री अस्मिता की पताका, किरण ग्रोवर, 2015
13. स्त्री विमर्श और उपन्यास, विनोद आजाद, 2017
14. "स्त्रीत्ववादी विमर्श", क्षमा शर्मा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
15. "अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य", राजेन्द्र यादव, 2011
16. स्त्री चिन्तन की चुनौतियाँ, रेखा कस्तवार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
17. पच्चपन खम्भे लाल दीवारे (उपन्यास), उषा प्रियवदा
18. स्त्री मुक्ति : संघर्ष और इतिहास, रमणिका गुप्ता, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
19. भारतीय नारी दशा, आशा रानी बोहरा (नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली), 1983
20. स्त्री अस्मिता साहित्य और विचारधारा, जगदीश्वर चतुर्वेदी, 2004
21. "स्त्री विमर्श विविध पहलु", कल्पना शर्मा, 2009

साधन चतुष्टय एवं नैतिक उत्कर्ष

डॉ. जितेन्द्र शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट सतना (म.प्र.)

आलेख सार :- दुःखों का आत्यन्तिक विनाश जिससे पुनः उनकी प्राप्ति की आशा न रहे अर्थात् दुःखों का सदा सर्वदा के लिये विनाश मोक्ष के द्वारा ही सम्भव है। परन्तु इस मोक्ष की प्राप्ति के लिये कुछ प्रागपेक्षायें हैं, नैतिक अनुशासन है, जिन्हें शांकर वेदान्त की शब्दावली में 'साधन चतुष्टय' की संज्ञा दी गयी है। यह वह अधिकारी शिष्यता है—जिसकी सिद्धि के उपरान्त ही मनुष्य वेदान्तिक ज्ञान—श्रवण, मनन, निदिध्यासन का अधिकारी होता है। साधन चतुष्टय जहाँ मोक्ष प्राप्ति की साधना में सहायक होते हैं वही इनकी सिद्धि मनुष्य के व्यक्तित्व को वामन से विराट बना देती है। विकास का कोई भी पथ—चाहे वह भौतिक जीवन की छोटी से छोटी उपलब्धि हो अथवा आध्यात्मिकता की उन्नत उड़ान, नैतिकता के पावन परिवेश और नैतिक सद्गुणों की संजीवनी शक्ति से ही सिद्ध किया जा सकता है, नैतिक अनुशासन और नैतिक वर्जना/मर्यादा के रूप में साधन चतुष्टय का अत्यंत महत्त्व है। साधन चतुष्टय को यदि हम मानव प्रगति के अनिवार्य नैतिक सोपान के रूप में आत्मार्पित कर ले तो भौतिक दाहदग्ध मानव संस्कृति को दैवी अनुग्रह और दैवी सम्पदा से सम्पूरित किया जा सकता है।

'नैतिकता' भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्रागपेक्षा है। यह स्वयं में ही साधन और साध्य दोनों है। आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिये, व्यक्तित्व की विराटता के लिये नैतिकताजन्य अनुशासन की मर्यादाओं की कठिन साधना करनी पड़ती है। इस साधना के अभाव में आध्यात्मिक उत्कर्ष की उच्चतम उड़ान भरने वाले ऋषि—मुनि भी क्षणमात्र में पतित होकर सामान्य गृहस्थ जैसा आचरण करने लगते हैं। नैतिकता की साधना सिद्ध हो जाने के उपरान्त जीवन अनेक दैवी सम्पदाओं से भर जाता है। नैतिकता की सिद्धि ही आध्यात्मिक उत्कर्ष की पूर्ण सिद्धि है। साररूप में हम कह सकते हैं कि नैतिकता की सिद्धि व्यक्तित्व की विराटता का साधन एवं साध्य दोनों है।

नैतिकता अपने आप में तीन चीजों को समाहित किये हुये है—कर्तव्यपरायणता, विवेकदृष्टि और ऊँचा उठने की अभीप्सा। जीवन में नैतिकता के सधने

का तात्पर्य है—ऊर्जावान होना, विवेक दृष्टि का जागना और अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट एवं सजग रहना। भौतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय के लिये ये तीनों तत्व नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में जीवन आपदग्रस्त हो जाता है, समस्याओं के भँवर में उलझ जाता है। जीवन की सही समझ (कोऽहं भो।) उसकी क्षमता का विकास (तत्त्वमसि श्वेतकेतो, अहं ब्रह्मास्मि) कर्तव्य की पहचान (हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वमूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये) आदि नैतिकता के आधार पर ही सम्भव हो पाता है। वेदान्त की भाषा में इसे ही ज्ञान कहा जाता है, जिसके अभाव में मोक्ष सम्भव नहीं है। मानव जीवन से दुःखों का आत्यन्तिक विनाश संभव नहीं है। यह ज्ञान जब तक अभ्यास का विषय रहता है तब तक वह मोक्ष का साधन कहा जाता है। इसी साधन की सिद्धि की चरण परिणति मोक्ष कहलाती है। शांकर वेदान्त की शब्दावली में इसे साधन चतुष्टय कहा जाता है जिसकी सिद्धि के उपरान्त ही साधक मोक्ष का अधिकारी होता है। यही वेदान्त की अधिकारी शिष्यता है। जीवन में भौतिक उपलब्धियों की सिद्धि हो या प्रश्न हो व्यक्तित्व विकास की साधन का, साधन चतुष्टय का अभ्यास धर्मयुक्त अर्थ एवं काम की सिद्धि है। गीतानायक कृष्ण इसी धर्मसम्मत अर्थ एवं काम के सेवन का अर्जुन को उपदेश देते हुये कहते हैं—

'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ'¹

उक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में आइये नैतिक उत्कर्ष के संदर्भ में साधनचतुष्टय की मीमांसा की जाये। मोक्ष सिद्धि के निम्न चार सोपान हैं जिन्हें साधन चतुष्टय कहा जाता है—

1. नित्यानित्य वस्तुविवेक,
2. इहामुत्रार्थभोगविराग,
3. शमदमादिसाधनसम्पत्,
4. मुमुक्षुत्व

नित्यानित्य वस्तुविवेक :- क्या नित्य है क्या अनित्य है? यह ज्ञान साधक को होना चाहिये। बौद्ध शब्दावली में इसे ही सम्यक् दृष्टि कहा जाता है। बिना सम्यक्

दृष्टि के नैतिकता के कठोर नियमों का पालन सम्भव नहीं है। अर्थात् नैतिक उत्कर्ष के लिये विवेक ज्ञान, जगत् और जागतिक सम्बन्धों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अपरिहार्य एवं आवश्यक है। आचार्य शंकर ने जब जगत् को मिथ्या कहा तो इसका तात्पर्य यह था कि जगत् जिस रूप में हमें दिखलाई पड़ता है। वस्तुतः उस रूप में वह है नहीं। “संसार आकर्षण का आगार है। संसार आकर्षित करता है अपनी ओर खींचता है। आकर्षण के इस खिंचाव का कोई अंत नहीं है। संसार आकांक्षा, तृष्णा, वासना व कुछ होने की चाहत में बसता है। जितनी अधिक आकांक्षा होगी, वासनाओं के जाल होंगे उतना ही अधिक संसार के प्रति आकर्षण होगा। इस सत्य के बावजूद संसार न किसी न हुआ है और न किसी का हो सकता है। संसार आभासी सत्य है, सुख की प्रतीति है, इसलिए यह न तो सत्य है कि और न यहां सुख मिलता है।

“संसार एक मृगतृष्णा है, जैसे रेगिस्तान में फँसा हुआ हिरण भ्रान्ति के कारण रेत के टीलों में जलस्रोत को देखता है और फिर वहाँ जल न मिल पाने पर आगे बढ़ता चला जाता है और एक समय भटक कर जीवन गँवा बैठता है—संसार के प्रति आकर्षण भी कुछ इसी तरह की भ्रान्ति है किसी चीज के पा जाने से उसके प्रति जो आकर्षण था वह समाप्त हो जाता है, फिर उसका जो मूल्य और महत्व पाने के आकर्षण में रहता था वह मंद पड़ जाता है। जितनी त्वरा और तीव्रता से उसे पाने की ललक रहती है उसे पाते ही वह समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार संसार अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे पाने की ललक और चाहत कभी समाप्त नहीं होती।¹ केवल जगत् ही नहीं जागतिक पदार्थों का भी यही हाल है। वे अनित्य, अनात्म, क्षणिक और दुःखकर हैं परन्तु अज्ञानता के कारण हम उन्हें नित्य, आत्मस्वरूप, स्थायी और सुखकर मान बैठते हैं। भावनायें ही क्रियारूप में परिणत होती हैं। परिणाम स्वरूप संसार और सांसारिक भोगपदार्थों में हम सुख और अपनेपन की खोज करते हुये अनैतिक से अनैतिक कृत्य कर बैठते हैं। साम्प्रतिक युग की सबसे बड़ी समस्या चाहे आर्थिक भ्रष्टाचार हो या चरित्र सम्बंधी दुराचार, बलात्कार हो, हमारी अज्ञानता हमें दैहिक सुखों के प्रति बाँध देती है परिणाम स्वरूप हम अनैतिकता के विकट भँवर में फँस जाते हैं। देह के प्रति अनुराग हमें परस्त्रीगमन से लेकर नानाविध कामाचार और व्यभिचार हेतु बाध्य कर देता है। ऐसे में भला नैतिकता और नैतिक मूल्यों की रक्षा कैसे की जा सकता है।

रत्नावली, तुलसी के इसी देहानुराग का उपहास उड़ाते हुये उनका हृदय परिवर्तन कर देती है। तुलसी की वेगवती देहानुराग की ऊर्जा को एक ही उपहास में भगवान के श्री चरणों में नियोजित कर देती है। फिर तो काया की माया छूटी और तुलसी का अंतःकरण प्रभुकृपा प्रसूत नैतिकता के दिव्य आलोक से आलोकित हो उठा। हॉड़ मांस मम चर्म सो तासो ऐसी प्रीति, हो जाती रघुनाथ से कट जाती भवभीति।³

संसार भोग पदार्थों से भरा पटा है। किन-किन का नाम लिया जाये, किन-किन के साथ मानवीय आसक्ति का विवेचन किया जाये, संभव ही नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के रूप में सांसारिक उपादानों को भोग लेने की, भोगते रहने की हमारी इच्छा हमें प्रतिक्षण, प्रतिदिन अनैतिकता के गम्भीर गह्वर में ढकेलती चली जाती है। एक छोटा सा उदाहरण कुछ महिलाओं में आभूषण, वस्त्र-परिधान आदि की ओर आकर्षण होता है, किसी नारी को आभूषण पसंद है तो वह उसे पाने की चेष्टा करती है और उसे पा लेने के बाद अन्य आभूषणों के प्रति आकर्षित हो उठती है। इस तरह पहले वाले आभूषणों की ढेरी लग जाती है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मात्र किसी अन्य महिला को एक दूसरा आभूषण पहने देख मन में ऐसा विचार जन्म लेता है कि हमें भी ऐसे ही आभूषण खरीदने की आवश्यकता है। इस प्रकार आवश्यकता न होने पर भी एक और आभूषण के प्रति आकर्षण हो जाता है। प्रेयसी की यह स्वर्णमृग प्राप्ति की तृष्णा पती को नानाविध अनैतिक तरीकों से धनार्जन और उसके संग्रह के लिये बाध्य कर देती है।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद ज्ञान का अभाव अर्थात् विवेकशून्यता या विवेकमन्दता ही अनैतिकता की मूल है। नैतिक उत्कर्ष हेतु हमें जीवन के प्रत्येक आयाम पर विवेक दृष्टि रखनी पड़ेगी। कर्तव्यपंथ पर आगे बढ़ते हुये हमें प्रतिपल सजग और समर्थ रहना पड़ेगा अन्यथा मायावी संसार का आकर्षण हमें नैतिक रूप से पतित कर देगा।

इहामुत्रार्थ भोग विराग :- भोगेच्छा समस्त दुष्कर्म्मों एवं अनैतिकता की मूल है। एक बार भोग के उपरान्त यदि तृप्ति मिल जाये, दुबारा भोग की ज्वाला से हमें संतप्त न होना पड़े, तो बहुत बुरा नहीं है। दिन भर भटकने के उपरांत पथिक शाम को यदि घर पर लौट आये तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। परन्तु भोग

वासनाओं के साथ ऐसा नहीं है। भोगी एक ऐसी भिखारी की तरह होता है, जिसकी मांग कभी पूरी नहीं होती। वह घोर अतृप्ति और असंतुष्टि की ज्वाला में यावज्जीवन जलता रहता है। आचार्यश्रीराम शर्मा कहते हैं “वासना और तृष्णा की खाई इतनी चौड़ी और गहरी है कि उसे पाटने में कुबेर की सम्पदा और इन्द्र की समर्थता भी कम पड़ती है। अतृप्ति फिर भी बनी रहती है।

तृष्णा न जीर्णाः वयमेव जीर्णाः।
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता॥

भोग-वासनाओं की चादर न कभी छोटी होती है और न कभी झीनी या कमजोर। भोग-वासनाओं की पंकिल गलियों में जीव जन्मजन्मान्तर तक भटकता रहता है। तभी तो भोगवासनाओं के दलदल से निजात हेतु असहाय ऋषि भगवद आराधना का निर्देश देता है-

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे
शयनम्।

इहं संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते

अतृप्ति की यह ज्वाला चंचल मन का साथ पाकर और भड़क उठती है। “लौकिक संसार का आकर्षण अत्यंत प्रबल होता है। इतना प्रबल होता है कि आंतरिक जीवन के मर्मज्ञ भी कभी-कभी प्रभावित हो जाते हैं। सहज नहीं है कि इस आकर्षण की सुनहली, स्वप्निल और इन्द्रधनुषी आभा से पार पाना। इसमें इन्द्रियों के भोग के सभी रस विद्यमान हैं। मन को इन्द्रियों में रमने के लिये सभी आकुल अभिव्यंजनायें हैं। मन इन्द्रियों में रमता भी है और अपने स्वरूप की यथार्थता इसी रस में डूबकर खोजता भी है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं-मन तो इन्द्रियों का राजा है, इन्द्रियां मन के कहे चलती हैं और मन के नियन्त्रण में अपने कार्य-व्यापार को चलाती हैं, परन्तु संसार का आकर्षण बड़ा प्रबल है। मन भी अपना आपा खो इन्द्रियों की गुलामी करने को तत्पर है। इस व्यामोह के खेल में अंतर की व्याकुल पुकार जाने कहीं खो गयी, पता तक नहीं। इसी कारण जीवन की सारी सच्चाई इस बाह्य जीवन में सिमटी-लिपटी हुई नजर आती हैं।”⁴

मन की इसी चंचलता पर प्रकाश डालते हुये गीता नायक कृष्ण कहते हैं-

“चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं
मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।”⁵

“असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन कु
कौन्तेयः वैराग्येण च गृह्यते।।”⁶

मन के रथ पर सवार इन्द्रियों विषय भोगों का अधिकतम मात्रा में और अधिकतम काल तक भोग करना चाहती है। अधिकतम मात्रा और अधिकतम काल तक की यही भोगेच्छा मनुष्य के अन्दर संग्रह का भाव पैदा करती है। भविष्य की दुश्चिन्ता और संग्रह का भाव उसे नीच से नीच अत्यंत नीच कर्मों को करने के लिये बाध्य कर देता है। मन में उमड़ती हुई भोग पदार्थों के संग्रह के भाव रूपी सरिता नैतिकता के तटबन्धों को तोड़कर मानवीय दैवी अस्तित्व को कब बहा ले जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। कदाचित इसीलिये धन-पद, प्रतिष्ठा में डूबे मनुष्यों को ऋषि ‘मूढ’ की संज्ञा देता है-

“न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्त मोहेन मूढम्
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वश मापद्यते
मे।”⁷

तभी तो आचार्य शंकर कहते हैं “यदि तुझे मोझ की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का आदरपूर्वक सेवन करो।

मोक्षस्यकांक्षा यदि वै तवास्ति। त्यजात् दूरात् विषयान्
विषं यथा
पीयूषवत्तोष, दया क्षमार्जव प्रशान्तिदान्तीर्भज
नित्यमादरात्⁸

उल्लेखनीय है कि भोग की कामना तो वासना ही है चाहे वह लौकिक भोग हो या लोकात्तर। वासना तो बंधनकारक एवं दुःखवाहक ही होगी चाहे वह अपने परिष्कृतरूप में हो या अपरिष्कृत।

यम-नचिकेता सम्वाद के माध्यम से कठोपनिषदकार लोकोत्तर सुख (स्वर्गसुख) को भी नैतिक उत्कर्ष में बाधक मानते हुये आत्मतत्त्व के ज्ञान के लिये इससे भी ऊपर उठने का, लोकोत्तर सुख के प्रति उपरामता भाव लाने का निर्देश देता है-“नचिकेता! मैं इस बात को भली-भांति जानता हूँ कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोगसमूह की जो निधि मिलती है वह चाहे कितनी महान क्यों न हो एक दिन उसका विनाश निश्चित है अतएव वह अनित्य है और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती।”⁹

सारतः कहा जा सकता है, कि समस्त प्रकार की (लौकिक या लोकोत्तर) वासनाओं का परित्याग करके ही नैतिक उत्कर्ष की प्राप्ति की जा सकती है यही तत्त्वज्ञान हमें नैतिकता के कष्टकारी दुःसाध्य प्रतिमानों/मापदण्डों पर खरा उतरने की, सदाचरण हेतु सर्वस्व त्याग की दैवी शक्ति प्रदान करता है। माता मदालसा अपने पुत्रों को जीवन का प्रथम पाठ पढ़ाते हुये इसी नैतिक सदाचरण का आग्रह करती है—

“शुद्धोऽसि, बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि। संसार माया
परिवर्जितोऽसि
संसार स्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसारवाक्यमुवाच पुत्रम्।”

शमदमादि साधन सम्पद् :- नित्यानित्यवस्तुविवेक इहामुत्रार्थभोगविराग, नैतिक उत्कर्ष के आध्यात्मिक सिद्धांत है। ऋषियों के आदर्शात्मिक निर्वचन है, जीवन की नैतिकता रूपी प्रयोगशाला के सैद्धान्तिक पक्ष है। नैतिक उत्कर्ष का क्रियात्मक पक्ष प्रारम्भ होता है, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा की व्यावहारिक साधना द्वारा। शम का तात्पर्य इन्द्रिय निग्रह से है। स्रष्टा ने मनुष्य को पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेन्द्रिय और मन का उपहार देकर मनुष्य के रूप में सृष्टि की सर्वोत्तम सर्जना थी। पंचकर्मेन्द्रियों के द्वारा जहाँ हमारा दैनिक कार्य व्यापार चलता है, जीव नाना प्रकार के कर्म करता है वहीं शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के रूप में पंचज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भौतिक संसार का भोग करता है। इन्द्रियों जहाँ विषयों में आसक्त होकर मनुष्य को पशुवत व्यवहार के लिये विवश कर देती हैं वहीं विषयों से पराडमुख होकर वे मुक्ति की साधक भी बन जाती है। इसीलिये इन्हें नैतिक उत्कर्ष की प्राग्पेक्षा भी कहा जा सकता है। इन्द्रियों के वशीभूत हो जाने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। इसीलिये आचार्य शंकर कहते हैं—

“मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजात दूरात विषयान
विषं यथा
पीयूषवत्तोषदयाक्षमार्जव प्रशान्ति दान्तीर्भज
नित्यमादरात्।”¹⁰

इन्द्रियों स्वाभाविक रूप से विषयों की तरफ भागती है। ढाल की तरह बहने के लिये पानी को न तो कोई योजना बनानी पड़ती है और न प्रयास। ठीक इसी तरह से इन्द्रियों की गति भी है। इन्हें नियंत्रण में रखने से मनुष्य नैतिक पथ पर प्रगतिशील हो जाता है। स्वतंत्र छोड़ देने से इन्द्रियां उन्मत्त घोड़े की भांति

सवार को अनैतिकता की पंकिल गलियों में पटक ही देती हैं। इस इन्द्रिय निग्रह से ही धर्म का आचरण संभव है विषयाभिमुख इन्द्रियों धार्मिक कार्यों में बाधा पहुँचाती है। अतः यदि इनकी गति का नियंत्रण न किया जाये तो विपत्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

“आपदां कथितः पन्थाः इन्द्रियाणामसंयमः
तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्।”¹¹

इन्द्रियों द्वारा किये जाने वाले भोग की ज्वाला कभी शान्त नहीं होती है। भोग वासनाओं की चादर न कभी छोटी होती है और न कभी झीनी या कमजोर। अग्नि में घी डालने से अग्नि ज्वाला और भड़क जाती है वैसे ही विषय-वासनायें बारम्बार और अधिकतम मात्रा में भोग के लिये मनुष्य को अपनी तरफ खींचती रहती हैं। अतः इन्द्रियों का नियन्त्रण या निग्रह धर्मचर्या और नैतिक उन्नयन के लिये नितान्त आवश्यक है।

मन पर नियन्त्रण दम कहलाता है। मन को एक महाशक्ति माना गया है। जिस तरह हमारे समूचे कार्यतन्त्र का नियमन-संचालन मन द्वारा होता है उसी प्रकार सृष्टि का समूचे विश्व ब्राह्मण्ड का नियमन-संचालन विराट मन से होता है। मानवीय मन चेतन और अचेतन नामक दो प्रमुख भागों में विभक्त होता है। अचेतन मन रक्ताभिसरण, आकुंचन-प्रकुंचन श्वास-प्रश्वास जैसे अनवरत गति से होते रहने वाले क्रियाकलापों का नियन्त्रण करता है। चेतन मन के आदेश से ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ एवं दूसरे अवयव काम करते हैं। अनियन्त्रित मन अस्त-व्यस्त हो जाता है और विभिन्न प्रकार की अनैतिक हरकतें-हलचलें करने लगता है। शरीर को निरोग एवं परिपुष्ट रखने के लिये मन को संयमी, सदाचारी, निर्मल और पवित्र बनाना पड़ता है। निष्कपट, पवित्र, सुसंस्कारित एवं प्रखर मन जब विराट मन से जुड़ जाता है तो वह सुपर चेतन स्तर को प्राप्त कर लेता है। आत्मा को परमात्मा से, व्यष्टि से समष्टि को मिलाने में यही मन सेतु का काम करता है। भगवद्गीता में आध्यात्मिक अभ्युदय एवं नैतिक विकास के लिये मन का नियंत्रण आवश्यक बताया गया है। “मन का नियन्त्रण किये बिना मनुष्य अगाध विषय सागर को पार नहीं कर सकता। “आपूर्ण माणः मचलप्रतिष्ठः समुद्रमापःप्रतिशान्ति तद्वत्। तद्वत्कामा ये प्रविशान्ति सर्वे स शान्तिमान्पोति न कामं कामी।”¹²

उक्त शास्त्रीय विवेचन से स्पष्ट है कि मन और इन्द्रियों का निग्रह सभ्य समाज की, नैतिक जीवन

की अनिवार्य शर्त है। शास्त्र में निष्ठा रखना ही श्रद्धा है। मनुष्य जब कर्तव्य और अकर्तव्य के मध्य अनिर्णय की स्थिति में, संशय की स्थिति में पहुँचता है तो शास्त्र ही उसे कर्तव्य का निदर्शन करते हैं। अतः नैतिक उत्कर्ष के लिये शास्त्रों में श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा से रहित किये गये कर्म का फल नहीं। अतः धार्मिक कार्यों में विश्वास ही फलदायक होता है। श्रद्धा से रहित किये गये कर्म का फल नहीं।

चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना ही समाधान है। चित्त अत्यंत चंचल होता है विषयविमुख होने के कारण यह निरन्तर भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में साधना संभव ही नहीं है। साधना हेतु चित्त को एकाग्र करना ही पड़ेगा। भौतिक जीवन में जहाँ चित्त को बिना एकाग्र किये किसी कार्य में सफलता की आशा नहीं की जा सकती वहीं आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिये भी चित्त शान्त रहना आवश्यक है। चित्त को विषयों से खींचकर ज्ञान के साधन में लगाना नितान्त आवश्यक है अन्यथा न तो नैतिक जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति ही हो सकती है और न समाधि की साधना ही। निरन्तर अभ्यास एवं सजगता से चित्त को अन्तर्मुखी बनाया जा सकता है।

विक्षेपकारी कार्यों से अलग होना ही उपरति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की आँधी मन को आंकुल-व्याकुल किये रहती है। नकारात्मक विचार और आदतें मनुष्य की कट्टर शत्रु हैं। प्रगति के लिये इनका तुरंत परित्याग कर देना उचित है। वस्तुतः हम सब अपने विचारों के ही उत्पाद हैं। हम जिस किसी पर भी केन्द्रित होते हैं बस समझिये कि वही हम हैं। मनुष्य के मन में नित्यप्रति इस प्रकार के विचार उत्पन्न होना कि हम वह उच्चतम मानव हैं, जिसको इस धरती पर दिव्य कार्यों की सिद्धि के लिये भेजा गया है। और हममें वह योग्यता भी है तथा हमें अवसर भी है कि हम उनकी सिद्धि कर सकते हैं इससे मनुष्य को बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस विश्वास के बल पर ही वह आश्चर्यजनक कार्य करता है। यही विचार उसे महान और महामानव बना देते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये विचारों को महान बनाये। गीतानायक कृष्ण, परंतप अर्जुन को हृदय की इसी क्षुद्र दुर्बलता, का परित्याग कर सिंह पराक्रम के साथ युद्ध में तत्पर हो जाने के लिये उत्साहित करते हैं। भला दीन-हीन, परास्त मन से जीवनसंग्रह में विजय कैसे पायी जा सकती है, नैतिकता का वरण कैसे किया जा सकती है। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ

नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं व्यक्तोत्तिष्ठ परंतप।¹³

क्षुद्र हृदय के साथ नैतिकता की कंटीली राहों पर नहीं चला जा सकता। अर्जुन के हृदय की दुर्बलता के निवारण में ही सम्पूर्ण गीता का पर्यवसान होता है। विक्षेपकारी कार्यों से विरत सबल मन ही पुरुषार्थ का निमित्त बनता है। अन्यथा तो मन का पतन निश्चित ही है। शीत और उष्ण को सहन करने की सामर्थ्य ही तितिक्षा कहलाती है। लक्ष्य की साधना नाना प्रकार के कष्टों को सहने की क्षमता प्रदान करती है। लक्ष्य के प्रति जितनी दृढ़ता होगी, साध्य के प्रति जितना समर्पण होगा, सर्दी, गर्मी, पावस आदि बाधाएँ ऐसे योगी के नैतिकता के पथ से विरत नहीं कर पाते हैं। आरामतलबी और निष्कर्मण्यता तो भौतिक जीवन में ही अद्यःपतन का कारण बन जाती है अध्यात्म की घोर साधना में, नैतिकता की ऊँची-नीची राहों में यह पैर में बंधे पत्थर के समान होती है, जिसके साथ लक्ष्य की प्राप्ति कभी संभव ही नहीं हो सकती। इसी कारण योगी तितिक्षा को आध्यात्मिक उत्कर्ष की, नैतिक अभ्युदय का प्रथम एवं प्रधान सोपान मानते हैं।

नैतिक उत्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में मुमुक्षुत्व का अर्थ दुःख प्रदान करने वाली नकारात्मक सोच दीनता के छुटकारे के भाव से लिया जा सकता है। नकारात्मक विचार निश्चित रूप से हमें दुःख प्रदान करेंगे। मनुष्य का आदर्श ही उसके जीवन को वास्तविक जीवन बनाता है। मनुष्य का जैसा आदर्श होगा उसके मुख पर उसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट परिलक्षित होता है। मनुष्य की मुखाकृति उसके आदर्श की छवि को छिपाने में समर्थ नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिये कि उसके विचार, उसका आदर्श, उसके मानसिक भाव ये सभी उत्तम, दिव्य और श्रेष्ठ हो।

संदर्भ :-

1. श्रीमद्भगवद्गीता (शांकर भाष्य) 7/11, गीता प्रेस गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
2. अखण्ड ज्योती (फरवरी 2018), अखण्ड ज्योति संस्थान मथुरा, (उत्तर प्रदेश), पृ.सं.18
3. गोस्वामी तुलसीदास, रामचरित मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर
4. अखण्ड ज्योती (जुलाई 2007), अखण्ड ज्योति संस्थान मथुरा, (उत्तर प्रदेश), पृ.सं.5

5. श्रीमद्भगवद्गीता (शांकर भाष्य) 6/34, गीता प्रेस
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
6. वही 6/35
7. कठोपनिषद 1.2.6 अन्तर्गत ईशादि नौ उपनिषद,
गीता प्रेस गोरखपुर
8. श्रीमदाद्यशंकराचार्य, विवेक चूड़ामणि श्लोक सं.
298, गीता प्रेस, गोरखपुर
9. कठोपनिषद 1/2/10 अन्तर्गत ईशादि नौ
उपनिषद गीता प्रेस, गोरखपुर
10. आचार्य शंकर : विवेक चूड़ामणि, श्लोक सं. 84,
गीता प्रेस गोरखपुर
11. मनुस्मृति 2/88
12. श्रीमद्भगवद्गीता (शांकर भाष्य) गीता प्रेस,
गोरखपुर
13. वही 2/3

स्त्री-जीवन : चुनौतियाँ एवं संघर्ष

प्रीती सिंह

शोधार्थी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वर्तमान समय चुनौतियों का समय है और इस समय हर वर्ग, समुदाय को अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी वर्ग संघर्ष में स्त्री समुदाय भी शामिल है जो अपने अस्तित्व तथा अस्मिता के लिए निरंतर संघर्षरत है।

भारतीय समाज में स्त्री लम्बे समय से भेदभाव की शिकार रही है। स्त्री के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया मिटाना एक बड़ी चुनौती है। आज की नारी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उसकी पहचान है क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री की स्वतंत्र पहचान से इन्कार करती है। वह संबंधों के जाल में बांधकर ही उसकी पहचान चाहती है। आज की नारी अपने अस्तित्व अपनी पहचान को पाना चाहती है घर की चहारदिवारी से बाहर आकर तथा अपने साथ जुड़े संबंधों के जाल से निकल कर अपना अस्तित्व पहचानना चाहती है। ऐसा नहीं है कि वह रिश्ते-नाते नहीं चाहती, बल्कि इस सब के अलावा भी उसका कोई वजूद है जिसे वह पाना चाहती है। उसकी चाहत है कि लोग उसे उन संबंधों यानी अमूक की बेटी, पत्नी, मां से न पहचाने बल्कि अपनी पहचान वह खुद बनना चाहती है।

स्त्री-जीवन को केन्द्रित कर बहुत सारा साहित्य लिखा जा चुका है और निरंतर लिखा भी जा रहा है। पहले तो पुरुष ही अपनी दृष्टि से अपनी सुविधानुसार स्त्री-जीवन को अभिव्यक्त करता आ रहा था किंतु नारी ने जब यह महसूस किया कि उसके जीवन का सच थोड़ा अलग है उसके जीवन के बहुत से पहलू अभी अनकहे हैं। जीवन के उसी अनछुए कोने को अपनी अनुभूति से वह अपने लेखन/स्त्री-लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करती है।

स्त्री-जीवन में स्वतंत्र पहचान के महत्व को दर्शाती नीलिमा सिन्हा की कहानी 'तैंतीस परसेंट' में राजनीति में महिलाओं को मिले आरक्षण के कारण स्त्री राजनीति में प्रवेश करती है और घर से बाहर पहचान बनाने का मौका प्राप्त करती है। घर की चहारदिवारी से बाहर आकर खुली हवा में सांस लेने से वे आनंदित भी

हैं। घर के घुटन भरे माहौल से क्षण भर को भी बाहर निकलने का अवसर पाकर नारी किस प्रकार स्वतंत्रता को महसूस करती है और उसके लिए आजादी के क्या मायने हैं इसी का चित्रण कहानी 'तैंतीस परसेंट' में किया गया है। कहानी में नीरा नाम की स्त्री पार्टी की मीटिंग के लिए घर से बाहर निकलती है तथा वहां जब उसे उसके नाम से संबोधित किया जाता है तो उस समय उसके चेहरे पर खिली हंसी उसके स्वतंत्रता के अहसास को उजागर करती है। उदाहरणस्वरूप "आज यहां आकर नीरा खुश है। दूर-दूर तक न तो आज उसे रामसिंहासन बाबू नज़र आ रहे हैं, न उनके घर की ऊंची दीवारें, न उनके जवान होते और नजरों में उपहास भरे बच्चे। आज उसे यहां कोई भी 'सिंहासन बाबू' या पंकज की अम्मा कहकर नहीं बुला रहा है...यहां सभी नीरा को 'नीरा देवी', नीरा चौधरी अथवा नीरा जी कहकर बुला रहे हैं। अपने नाम से बुलाए जाने में कितना बड़ा सुख होता है, यह कोई आज नीरा से पूछे!...आज नीरा जैसे शापमुक्त हो उठी है, अपनी उस पिशाच-खोह से आज़ाद।"¹ हेमन्त की कहानी 'मंगलसूत्र' में भी आजादी के एहसास का अनुभव करती स्त्री का चित्रण है। दुलारी अपने देवर की कामुकता की शिकार है लेकिन इसका विरोध नहीं कर पाती। एक बार सास के कहने पर उसके साथ एक मौनी बाबा के पास जाती है तो पास बैठा देवर उसे रास्ते भर तंग करता रहता है जिससे चिढ़ कर वह उसे वहां से उठने को कहती है। लेकिन अगले ही स्टेशन पर जब देवर कहीं उतर जाता है तो वह अकेली रह जाने से सहम जाती है। लेकिन जैसे ही उस अकेलेपन में उसे अपनी आजादी का अहसास होता है तो वह प्रसन्नचित हो अपने से ही बात करती हुई कुछ इस तरह कहती है "जिस व्यक्ति से वह लगातार पीड़ा झेल रही है...जिसने उसकी जिंदगी में ज़हर घोल दिया, उसके गुम होने पर वह डर गई! उसी को ढूँढ-ढूँढ कर पागल हुए जा रही है। भीड़ छंटने तक उसे आजाद होने, खुली हवा में पहली बार अपने दम पर सांस लेने का बोध हुआ!..."²

इस पितृप्रधान समाज में कहीं स्त्री का अनुकूलन किया जा रहा है तो कहीं उन्मूलन। इसी अनुकूलन तथा उन्मूलन के विरुद्ध ये मानव समुदाय

अपने अस्तित्व तथा अस्मिता को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष अपने उन्हीं अधिकारों को पाने का भी है जिन्हें कानूनी तौर पर तो मुहैया करवा दिया गया है किन्तु व्यवहार में लागू नहीं होते।

आधुनिक नारी न केवल स्वयं ही बल्कि अपने अधिकारों से अनभिज्ञ स्त्रियों को भी उनके वास्तविक अधिकारों की जानकारी दे, उन्हें हासिल करने की मुहिम को तेज किए हुए है। वह एक स्वस्थ (समतामूलक) समाज के निर्माण की कामना करती हुई उसके लिए अपनी भूमिका का भी निर्वाह कर रही है। अंजली काजल की कहानी 'हौंसले की तरफ' में इसका उदाहरण देखते ही बनता है। गांव में जीवन बिताने वाली कमला अपने भाई के पास शहर आती है तो वहां कथावाचिका से भेंट होने पर वह उसके समक्ष जिन्दगी न जीने की इच्छा प्रकट करती है। कथावाचिका उसके जीवन की टूटन को समाप्त कर उसमें जीवन के प्रति उत्साह बंधाती हुई कहती है "हम इन्सान हैं, हमें जीने का हक है। अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार है। कमला मुझसे वादा करो, तुम मरने जैसा ख्याल कभी नहीं लाओगी। तुम एक बहादुर लड़की हो हमें अपने हिस्से की खुशी छीन लेनी है दुनिया से, वादा करो।"³

विश्वास व्यक्ति की सकारात्मक सोच को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। आज नारी पूरे विश्वास के साथ अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है। उसे यह यकीन है कि कठोर परिश्रम कर वह अपनी सफलता यानी आजादी को हासिल कर लेगी। अतः इसके लिए वह प्रयत्नशील है। अवधेश प्रीत की कहानी 'तीसरी औरत' में हवेली में बंद तीसरी स्त्री यानी तीसरी पीढ़ी की औरत बाहर निकलने के प्रयास में लगी हुई है। अपने पति की मृत्यु हो जाने पर उसके शोक में न डूबकर वह बाहर निकलने के प्रयास में है। उसे यह दृढ़ विश्वास भी है कि एक-न-एक दिन वह जरूर सफल होगी। उसके विश्वास की झलक उसके चेहरे पर स्पष्टतः देखी जा सकती है— "मुझे अपनी मुक्ति का विश्वास है... उसके चेहरे पर चमक थी... हाथों में रोशनी के कतरे चिपके हुए थे और वह उन्हें छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी।"⁴ पंरपरा के बंधन में जकड़ी हुई स्त्री जिसे अपनी गुलामी का एहसास ही नहीं था, वर्तमान समय में वह न केवल एक तरफा संबंधों को निभाते-निभाते घर-परिवार में घुटन महसूस करने लगी है बल्कि वह उस घुटन से बाहर निकलने की भी कोशिशों में जुटी है।

जहां पहले की स्त्री ससुराल वालों की मार, प्रताड़ना को भी अपनी किस्मत समझकर चुपचाप सहन करती थी और एक पल के लिए भी उसके विरोध का विचार मन में नहीं ला पाती थी, आज वही स्त्री इसे नियति न मानकर इस पीड़ा, प्रताड़ना के खिलाफ खड़ी हो गई है। उसके मन में मुक्ति की कामना जागृत हो गई है। निरूपमा अग्रवाल की कहानी 'अनिर्णीत' में विट्टन को ससुरालवालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। वह उस घर के घुटन भरे माहौल से आजादी चाहती है। उसकी इसी सोच को उसके ही शब्दों में एक तोते से बातचीत में देखा जा सकता है "तेरी-मेरी एकई-सी हालत है तू अपने पिंजरा में इकल्लो है। सारे दिन सीकचन से सिर मारतो है तऊं मुकती नाय मिलती...जेई हमारी हालत है। मन करता है पिंजरा तोर के आकास में दूर उड़ि जाऊं डोकरी पकर न पाए।"⁵ इस तरह आज की नारी अपने मुक्ति के रास्ते खोज रही है। वह पारिवारिक केंद्र को अपनी नियति न स्वीकार कर उस पितृसत्ता-निर्मित बंधनों के जाल से मुक्ति चाहती है जो उसके अस्तित्व के लिए विरोधी हैं।

शिक्षा ने नारी की संकीर्ण तथा संकुचित मानसिकता को समाप्त कर उसे विस्तारपूर्वक सोचने, समझने की क्षमता प्रदान की है। आज वह अपनी नियति स्वयं निर्धारित करने में जुटी हुई है। अवधेश प्रीत की कहानी 'तीसरी औरत' में पहली स्त्री पुरुष निमित्त नियमों का विरोध तो करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती और उन्हीं नियमों के पालन के लिए विवश हो जाती है। दूसरी पीढ़ी की औरत यानी उसकी बहू बिना किसी विरोध के पति के ही नियमों का पालन करती है लेकिन तीसरी पीढ़ी की औरत इसे अपनी नियति नहीं मानती और हवेली से बाहर निकलने के लिए मार्ग की खोज में जुट जाती हैं पति की मृत्यु हो जाने पर उसे वैधव्य धारण करने को कहा जाता है लेकिन इसे वह स्वीकार नहीं करती। उसी के शब्दों में "यह प्रारब्ध हमारी मर्जी के बगैर हमारे मर्दाने लिखा? कौन औरत वैधव्य को अपना प्रारब्ध बनाना चाहती है? तीसरी औरत के भीतर लावा खदक रहा था, अम्मा तुम ही बताओ, हम उनका लिखा प्रारब्ध भोगने को अभिशप्त क्यों हो? 'मरने वाले तो मर गए उन्हें कोसने से क्या फायदा?...अम्मा मरे चाहे कोई, मारे चाहे कोई, कभी किसी ने सोचा कि उनके किए की सज़ा अंततः औरत को ही भुगतनी पड़ती है?...काश कि तुमने यह बात उन्हें समझाई होती! 'वे समझने वाले नहीं थे...तुमने विद्रोह किया होता!...हर विद्रोह सफल हो जरूरी नहीं।"⁶

समाज में स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह समाज के दमघोटू वातावरण से मुक्ति चाहती है तथा इसके लिए पुरुष से सहयोग चाहती हुई वह अपनी मुक्ति का आह्वान करती है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हमारे देश में आज भी लड़कियों की खरीद-फरोख्त की जाती है। इसका कारण है- लड़कियों की कमी। लगभग हर राज्य में कन्या-भ्रूण हत्याएं हर रोज़ की जा रही हैं जिसके कारण पुरुष की तुलना में लड़कियां बहुत कम हैं। इन राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। इसी के कारण वहां के लड़कों को भादी के लिए बाहर से लड़कियां लानी पड़ती हैं। कभी बहला-फुसलाकर तो कभी खरीदकर। गरीबी के वशीभूत मां-बाप भी अपनी बेटी को शादी के नाम पर बेचने को तैयार हो जाते हैं। एक पुरुष शादी करके तो उसे ले जाता है लेकिन वहां वह उस परिवार के लगभग सभी पुरुषों की रखेल बनकर रह जाती है। डॉ. स्वप्निल सुधाकर अजबे की कहानी 'पता' में इस यथार्थ को उजागर किया गया है। गंगा नाम की लड़की को उसके ससुराल में पति की अनुपस्थिति में जेठ की हवस का शिकार होना पड़ता है। पति को पता चलने पर वह भी इस संबंध को मौन स्वीकृति देता नज़र आता है। गंगा के ही शब्दों में उसकी पीड़ा का चित्रण "जब उसने सुना तो थोड़ी देर के लिए वातावरण गर्म हो गया...अन्त में ...बूढ़े ससुर की दलील से मेरे सारे सपने चूर-चूर हो गए. छोटे को रोज़ खाना मिले और बड़ा भूखा सोए, यह नहीं चलेगा आखिर मेरे चालीस हजार में आधा हक उसका भी है और गांव में कौन जानता है उसे, की वह कौन है. सबको यही लगता है कि नई नौकरानी लाई है।"⁷ सदियों से गुलामों जैसी जिंदगी जीती आई नारी अब इस जिंदगी से थक चुकी है। वह गुलामी के दलदल से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहती है। उपरोक्त कहानी में गंगा यही कामना करती दिखाई देती है। वह किशाना नाम के लड़के को एक पत्र के माध्यम से अपनी स्थिति से अवगत करवाती है साथ ही उससे यह भी प्रार्थना करती है कि उसे आकर इस नारकीय जीवन से मुक्त करा दो। उसी के शब्दों में "बापू ने मुझे क्या बेचा, तबसे, यही सिलसिला शुरू हुआ. अब तक जाने कितनी बार बिक चुकी हूं, कई बार सोचती हूं कि जिन छह जिंदगियों के लिए सौदा हुआ था, वह खुश हैं कि नहीं... मेरा परिवार मुझे दिखा दो कृष्णा...अब यह जिंदगी मुझसे सही नहीं जाती बस एक बार इस दलदल से मुझे निकालो...मैं धंसती जा रही हूं ...कहीं देर न हो जाए।"⁸ यह कहानी केवल एक ही लड़की के

जीवन को नहीं दर्शाती बल्कि लेखक का प्रयास उन सभी लड़कियों की स्थिति को उजागर करना है जिन्हें उनके मां-बाप अपनी गरीबी को कम करने के लिए बेच देते हैं और एक बार बिक चुकी लड़की बार-बार बिकती चली जाती है। वे लड़कियां इस नरक-तुल्य जीवन से बाहर आने के लिए मुक्ति का आह्वान कर स्थिति-परिवर्तन की बात कर रही हैं जिसकी अनुगूँज हम उपर्युक्त वर्णित कहानियों में सुन सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अवधेश प्रीत, तीसरी औरत, सं. राजेन्द्र यादव, हंस, अप्रैल 2002, पृ. 28
2. निरूपमा अग्रवाल, अनिर्णीत, सं. राजेन्द्र यादव, हंस, मई 2010 पृ. 41
3. अवधेश प्रीत, तीसरी औरत, सं. राजेन्द्र यादव, हंस, अप्रैल 2002, पृ. 28
4. डॉ. स्वप्निल सुधाकर अजबे, पता, सं. राजेन्द्र यादव, हंस, सितम्बर 2009, पृ. 66
5. नीलिमा सिन्हा, तैंतीस परसेंट, सं. राजेन्द्र यादव, हंस, अप्रैल 2005
6. हेमन्त, मंगलसूत्र, सं. राजेन्द्र यादव, हंस, मार्च 2002, पृ. 89
7. अंजली काजल, हौसले की तरफ, सं. राजेन्द्र यादव, हंस, मई 2003, पृ. 77
8. वही, पृ. 66

कृषि में रासायनों के प्रयोग का समुचित ज्ञान किसानों तक पहुँचाने में समाचार पत्रों की भूमिका

लक्ष्मी कुमार श्रीवास्तव

शोधार्थी, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि. चित्रकूट, सतना (म. प्र.)

प्रो. शिवशंकर सिंह

पी.एच.डी. जे.एम.सी., कृषि संकाय (हार्टीकल्चर), म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि. चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

शोध सार :- देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए देश के आर्थिक विकास का इंजन भी कृषि पर ही निर्भर करता है। कृषि से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर ही निर्भर है। मिट्टी की सेहत बिगाड़ने में एक बड़ा योगदान रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का है। जो एक जटिल समस्या का रूप लेता जा रहा है। 21वीं सदी के इस दौर में विज्ञान और तकनीक के विकास ने कृषिगत जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है जिसमें जनसंचार के प्रिन्ट माध्यम (समाचार पत्रों) की भूमिका सराहनीय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र को मान्यता देते हुए आई.पी.जी मीडिया के सी.ई.ओ. शशि सिंह ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कहा था कि प्रिन्ट माध्यम आज के युग में भी विश्वसनीय है।

संपादकीय जागरण गुरुवार, 12 सितम्बर 2019: भाद्रपद शुक्ल 14 वि. 2076 के संपादकीय अंक में प्रकाशित इस साल स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के नाम सम्बोधन में प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण अनुकूलन खेती पर जोर देते हुए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग को धीरे-धीरे कम करने और अन्तः इसको बन्द करने का आवाहन किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि एक किसान के रूप में हमें धरती को बीमार करने का हक नहीं है। देश में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अन्धा-धुन्ध प्रयोग से एक ओर धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है तो दूसरी ओर अनाज सब्जियों के माध्यम से वह जहर लोगों के शरीर में भी पहुँच रहा है। जिससे लोग तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अभी तक यह भ्रामक धारणा थी कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बन्द कर देने से उत्पादन घट जायेगा। लेकिन कई अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक युक्त खेती से न केवल लागत में कमी आयेगी बल्कि उत्पादन में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.डी.) द्वारा भारत और चीन में किये गए शोध अध्ययनों के आधार पर यह पुष्टि की गई कि प्राकृतिक खेती अपनाने से किसानों की आमदनी में काफी वृद्धि होती है।

सेन्टर फॉर साइंस एण्ड एन्वायरनमेन्ट की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 30 फीसदी जमीन बन्जर होने की कगार पर है। इसका कारण रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं फफूँदीनाशकों का अन्धा-धुन्ध इस्तेमाल हो रहा है। जिसे हरित क्रांति के दौर में उत्पादन बढ़ाने का अचूक मन्त्र मान लिया गया था। उनके इस्तेमाल के दुष्प्रभाव के अध्ययन के लिए वर्ष 2004 में सरकार ने सोसायटी फॉर कन्जरवेशन ऑफ नेचर की स्थापना की थी। उसने भी धरती में रासायनों के प्रयोग को घातक बताया था। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक आधारित खेती की शुरुआत यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ हुई थी कि कम भूमि में अधिक पैदावार लिया जाए जिसका अनुकरण विकासशील देशों ने किया भारत में भी देशभर में उर्वरक कारखाने लगे तथा खाद्य फसलों एवं सब्जियों के संकरित बीजों को रासायनिक उर्वरकों के साथ उगाया जाने लगा जिससे शुरु में तो उत्पादकता बढ़ी लेकिन आगे चलकर मिट्टी की नमी और भुरभुरेपन में कमी आयी और कृषक मित्र जीव-जन्तुओं का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ तथा जैसे-जैसे मिट्टी की प्राकृतिक शक्तियाँ घटी वैसे-वैसे रासायनिक उर्वरकों की जरूरतें बढ़ी और इसके साथ ही अर्थशास्त्र के क्रमागत ह्रास नियम के अनुरूप उत्पादकता में अनुपातिक कमी आना शुरु हो गई। उदाहरण 1960 में 1 किग्रा रासायनिक खाद डालने पर उत्पादन में 25 कि.ग्रा. की बढ़ोत्तरी होती थी जो 1975 में 15 किग्रा, 2006 में मात्र 6 किग्रा रह गई है। इस प्रकार अधिक रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ाने से जहाँ एक ओर लागत बढ़ी दूसरी ओर उत्पादकता में गिरावट आने से किसानों के लाभ में कमी आयी। रासायनिक उर्वरकों

की बढ़ती खपत का सीधा असर सब्सिडी पर पड़ा। 1976-77 में 60 करोड़ रुपये सब्सिडी थी जो 2017-18 में 40.338 करोड़ रुपये तथा 2018-19 में 80 करोड़ रुपये पहुँची है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश का आदर्श अनुपात 4:2:1 है। हरियाणा में 28:6:1, पंजाब में 31:8:1 कमावेश यही स्थिति हर राज्यों में है। नाइट्रोजन चक्र बिगड़ना मिट्टी, पानी तक ही सीमित नहीं है अपितु नाइट्रा ऑक्साइड के रूप में यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है जिसका वैश्विक जलवायु परिवर्तन में इसका बड़ा योगदान प्रदर्शित करता है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाई ऑक्साइड के मुकाबले नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना अधिक घातक है। इसीलिये आज वैश्विक स्वस्थ खाद्य जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रधानमंत्री जी का स्वस्थ धरा, खेत हरा जैसे ध्येय वाक्य जलवायु एवं मानवीय संरक्षण की दृष्टि से प्रेरणास्पद है। ऐसे उत्प्रेरक का कार्य जनसंचार माध्यमों की आधारशिला है।

संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन 1994-95 में बताया कि जनसंचार मानव विकास की कुंजी है। जिसने समाज के सभी पक्षों के साथ-साथ ग्रामीणों के उन्नयन के लिए सकारात्मक भूमिका निभायी है।

रोजर्स ने भी माना कि जनसंचार कृषकों को नये अविष्कारों और ज्ञान बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

जहाँ जनसंचार माध्यमों ने विकास की नई ऊँचाईयों को छुआ है वहीं समाचार पत्र पत्रिकाओं ने किसानों को कृषिगत जानकारी हेतु नये आयाम खोल दिये हैं। समाचार पत्र केवल मनोरंजन का साधन नहीं है अपितु किसानों को कृषिगत खबरें तथा नवाचारों के प्रति प्रेरित भी करते हैं। समाचार पत्र का उपयोग उनकी आदत में शुमार हो गया है।

शोध समस्या – कृषि में रासायनों के प्रयोग का समुचित ज्ञान किसानों तक पहुँचाने में समाचार पत्रों की भूमिका।


शोध कार्य प्रणाली – प्रस्तुत शोध के लिए चित्रकूट धाम के महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना मध्य प्रदेश के कृषि संकाय के ऐसे 100 छात्र/छात्राओं का चयन किया गया है।

इन चुने हुए कृषि संकाय के छात्र/छात्राओं से एक प्रश्नावली द्वारा समाचार पत्रों द्वारा कृषि क्षेत्र में मिट्टी उर्वरता में सुधार का प्रस्तुतीकरण का अध्ययन किया गया है। आँकड़े संकलित करने के लिए प्रश्नावली बनायी जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों को शामिल किया गया है और दिए गए शोध शीर्षक का डाटा लिया गया है।

1. आप समाचार पत्रों में कैसी खबरें पढ़ना पसन्द करते हैं।
2. समाचार पत्रों की विश्वसनीयता आपकी दृष्टि में कैसी है।
3. समाचार पत्रों में कृषि समाचार की प्रस्तुतियों का सबसे कमजोर पक्ष।


प्रश्नों के उत्तरों का डाटा शीट में संकलित कर उनका विश्लेषण किया गया तो विश्लेषण उपरान्त प्रश्नावली आँकड़ों का ग्राफकीय प्रस्तुतीकरण निम्नलिखित रूप से किया गया है।

1. समाचार पत्रों को माध्यम के रूप में उपयोग करने वाले 100 प्रतिभागियों/उपभोक्ताओं में से 30 फीसदी उपभोक्ता ऐसे पाये गये जो समाचार पत्रों को कृषि खबरों के मामले में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। 55 फीसदी कभी कभार, बाकी 11 फीसदी एक आधबार और 4 फीसदी ऐसे भी हैं जो कभी भी प्रयोग नहीं किया है।




2. समाचार पत्रों की विश्वसनीयता उन समाचार के प्रसारित माध्यमों से जुड़ी होती है। समाचार पत्रों पर उपलब्ध खबरों पर उपभोक्ताओं की विश्वसनीयता का आकलन करने हेतु उनसे विश्वसनीयता आधारित प्रश्न किए गए

जिसमें पाया गया कि 35 फीसदी उपभोक्ता मुद्रित समाचारों को अल्प विश्वसनीयता मानते हैं। 27 फीसदी विश्वसनीयता कहते हैं। 22 फीसदी अधिक विश्वसनीयता, 11 फीसदी उपभोक्ता पूर्ण विश्वसनीयता, जबकि 5 फीसदी अविश्वसनीय मानते हैं।



3. समाचार पत्रों में विचारों का आदान-प्रदान एक सामान्य अवस्था है। समाचार पत्रों पर उपभोक्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

सम्पादकीय पेज पर उपभोक्ताओं से जानने का प्रयास किया गया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर वह कितनी बार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो पाया गया कि— 55 फीसदी सबसे ज्यादा, 17 फीसदी ने कहा हमेशा, 18 फीसदी ने कहा महत्वपूर्ण खबरों पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। 12 फीसदी ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।



निष्कर्ष :- समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों में अधिकांश उपभोक्ताओं ने विश्वसनीयता माना है जबकि संसय 35 प्रतिशत और 18 प्रतिशत लोग खबरों से प्रकाशित होकर किसी न किसी मुहिम का हिस्सा बनें।

अतः अधिकांश उपभोक्ता समाचार पत्रों की खबरों से संतुष्ट पाए गए ये समाचार पत्र किसानों का हित साधते हैं।

संदर्भ-सूची :-

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रगति रिपोर्ट, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, जून 2018, पृ.स. 53.
2. भारतीय कृषि उद्योग विश्लेषण मार्च 2019.
3. संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन, 1994-95
4. मजूमदार 1958. भारतीय गाँव में जाति एवं संचार नामक पुस्तक
5. भारतीय कृषि उद्योग विश्लेषण मार्च 2019

आदिवासी समुदाय में संचार की प्रणाली और प्रवृत्तियों का अध्ययन (मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में)

आलोक अग्रवाल

शोधार्थी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि, चित्रकूट जिला—सतना (म.प्र.)

प्रस्तावना :- हजारों सालों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में करती है। इसके बाद भी 6-7 दशक में उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। स्वास्थ्य सुविधायें, पीने का साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिये वे आज भी तरस रहे हैं। इन सभी बातों को जानने के बावजूद आदिवासियों की समस्या को तय कर पाना कतई आसान नहीं है। हर जिले की परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं, जैसे कि कई क्षेत्रों के आदिवासी बिना मूलभूत सुविधा के ही संतुष्ट हों तो कहीं इन सब की दरकार भी हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि समस्या अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों की भिन्न-भिन्न हो सकती है। वैसे सामान्यतः ऐसा होता नहीं है क्योंकि आदिवासी समाज की अपनी अलग पहचान है जिसमें उनके रहन-सहन, आचार-विचार एक जैसे ही होते हैं। इधर बाहरी प्रवेश, शिक्षा और संचार माध्यमों के कारण इस ढांचे में भी थोड़ा बदलाव जरूर आया है। वैसे वर्षों से शोषित रहे इस समाज के लिये परिस्थितियां और समस्यायें बहुत अधिक हैं। ये समस्यायें प्राकृतिक तो होती ही हैं साथ ही यह मानवजनित भी होती है। विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों की समस्या थोड़ी बहुत अलग हो सकती है किन्तु बहुत हद तक यह एक समान ही होती है।

1. **ऋणग्रस्ता आदिवासी** – गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी तथा अपने दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण ऋण लेने को मजबूर होते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग इनका फायदा उठाते हैं। आदिवासियों के लिये ऋणग्रस्तता की समस्या सबसे जटिल है, जिसके कारण जनजातीय लोग साहूकारों के शोषण का शिकार होते हैं।
2. **भूमि हस्तांतरण** – आदिवासी समाज मुख्य रूप से अपनी जीविका के लिये कृषि पर ही आश्रित होता है। आकड़ों के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत जनजातीय आबादी कृषक है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों को अपनी भूमि

से बहुत लगाव होता है। जबकि जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की मांग में वृद्धि हुई है। साथ ही संचार व्यवस्था का विस्तार होने से समस्त जनजातीय क्षेत्र बाहरी लोगों के लिये खुल गया है।

3. **गरीबी** – निश्चित रूप से कहीं न कहीं आदिवासी समस्याओं का महत्वपूर्ण तत्व गरीबी से जुड़ा है। ऋणग्रस्तता हो या भूमि हस्तांतरण सभी के पीछे गरीबी ही मुख्य कारक है। पूरे भारत के लिये गरीबी एक अभिशाप है, हमारे यहां गरीबी का स्तर यह है कि बहुत से लोगों को बमुश्किल दो वक्त का ही भोजन नसीब हो पाता है। यह हालात अनुसूचित जनजातियों के लिये और भी सोचनीय है।
4. **बेरोजगारी** – आदिवासी हमेशा से दूर-दराज के क्षेत्रों में मुख्य धारा के लोगों से दूर रहे हैं, किन्तु इधर बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण आज उनकी उपजाऊ जमीन खुद उनकी नहीं रही। साथ ही जंगलों पर अपना अधिकार समझने वाले आदिवासियों का इनपर भी अब कोई अधिकार नहीं रहा। अशिक्षित और कम शिक्षित होने के कारण इनके रोजगार के साधन भी सीमित ही हैं।
5. **स्वास्थ्य** – आदिवासियों की एक समस्या स्वास्थ्य भी है। आम तौर पर उनका स्वास्थ्य बढ़िया होता है पर कम पढ़े-लिखे होने के कारण और जागरूकता के अभाव में अक्सर आदिवासी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण उनको काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।
6. **मदिरापान** – आदिवासियों में मदिरापान काफी लोकप्रिय है। चाहे वह अपने प्रमुख पेशे के रूप में हो या सेवन के लिये अधिकांशतः आदिवासी मदिरा का निर्माण स्वयं करते हैं। मदिरा बनाने के लिये वह महुआ के फल को इस्तेमाल में लाते हैं। मदिरापान सदियों से उनकी सामाजिक परम्परा रही है। आदिवासी महुआ के अलावा बाजरे और चावल से भी मदिरा का निर्माण करते हैं।

7. **शिक्षा** – शिक्षा मानव के विकास में सहायक होता है। आदिवासी समाज का शिक्षित न होना बहुत बड़ी समस्या है। आदिवासी समाज का शिक्षा से कम सरोकार होना उनके कई समस्या से जुड़ा हुआ है। ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य आदि कई समस्याएँ हैं जो शिक्षा से प्रभावित होती हैं। जनजातीय समूहों पर औपचारिक शिक्षा का प्रभाव बहुत कम पड़ा है।

आदिवासी और संचार माध्यम :- सदियों से आदिवासी समाज के लोग जंगलों और दूरवर्ती क्षेत्रों में रहते आये हैं, जहाँ आम लोगों का पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। यही कारण है कि वहाँ संचार माध्यम की कमी है। आज के परिवेश में ये मानी हुई बात है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में संचार व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। आज जिस समाज में टेलीविजन, समाचारपत्र, रेडियो तथा टेलीफोन जैसे संचार माध्यम का अभाव हो वहाँ का विकास स्वतः ही धीमा पड़ जाता है। यहाँ कमी सरकार के प्रयास की भी है जिन्होंने इन बातों पर प्रभावी ढंग से विचार नहीं किया। हालांकि इधर कुछ सालों से आदिवासी क्षेत्रों में संचार माध्यमों का विकास बहुत तेजी से हुआ है, किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। आज हम भले ही कितना भी क्यों न कह लें कि आदिवासी क्षेत्रों में संचार माध्यमों का विकास बहुत तेजी से हुआ है, किन्तु हकीकत है कि मेरे अध्ययन में संचार माध्यमों का विकास कुछ ही प्रतिशत तक सीमित है और उसकी भी क्या सार्थकता है यह हमें समझने की जरूरत है। जनजातियों के लिये सड़कें सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं पर इसी के बन जाने मात्र से ही विकास संभव नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह संचार माध्यम से होने वाले विकास के प्रति आदिवासियों को जागरूक करें और साथ ही इसके विपरीत पड़ने वाले प्रभाव के प्रति भी उन्हें सचेत रखें।

साहित्य का पुनरावलोकन :- प्रस्तावित शोध की वैज्ञानिक प्रमाणिकता के परीक्षण हेतु समरूप शोधों के वैज्ञानिक निष्कर्षों का परीक्षण आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें से प्रभावशाली वैज्ञानिक निष्कर्षों को शोध अध्ययन में प्रस्तुत किया जायेगा।

1. **सोनल और डी- राजकुमार (2001)** सामाजिक आर्थिक स्तर, विकास व संचार माध्यमों की भूमिका का धनात्मक सहसम्बन्ध है।
2. **सामले (2002)** – आदिवासी पहाड़ी के इलाकों और टोलों में रहते हैं और मूलतः वन पर ही निर्भर

हैं। बारिश में थोड़ी बहुत फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी का उत्पादन करके अपना गुजारा करते हैं। बाकी समय में पशु पालन, वन और वनोपज के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं।

3. **दोषी और जैन (2002)** ने अपने अध्ययन में कहा है कि आदिवासियों को जंगल का निवासी समझा जाता है। यह एक ऐसा समाज है जो अशिक्षित है और उसमें उद्यमिता नहीं है। विकास का अभाव है और गरीबी बहुत अधिक है।
4. **दी भील किल्स ,स-सी- वर्मा (1978)** – ने अपना अध्ययन “दी भील किल्स” नामक पुस्तक प्रस्तुत किया है। आपने अपने अध्ययन में मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के भील अपराधियों का अध्ययन किया है। प्रस्तुत अध्ययन में आपने भील जनजाति के अपराधियों की जानकारी पुलिस थानों और न्यायालयों में उपलब्ध प्रकार के आधार पर अध्ययन किया। प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर भीली जनजाति की अपराधी प्रवृत्ति, अपराध किये जाने की आदत और अपराध की प्रकृति आदि पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन भील जनजाति के अपराध के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है।
5. **‘भील आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में विकास योजनाओं की भूमिका’** (विशेष संदर्भ-झाबुआ जिला)- प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने पाया कि मध्यभारत के आदिवासी जिलों में विकास प्रक्रिया आदिवासी समाज को एक ओर छोड़ती हुई अग्रसर हो रही है। शोधार्थी के अनुसार 60 प्रतिशत भील जो दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। उनका सभ्य समाज से सांस्कृतिक सम्पर्क नहीं है और 40 प्रतिशत का सभ्य सांस्कृतिक सम्पर्क है इसलिए सुदूर क्षेत्रों में भीली भाषा बोली जाती है, जबकि सांस्कृतिक सम्पर्क वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भीली व हिन्दी मिश्रित भाषा बोली जाती है। वर्तमान में भीलों की वेशभूषा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आर्थिक स्थिति तथा सांस्कृतिक सम्पर्क से हैं।

अध्ययन की आवश्यकता :- ग्रामीण आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन करना वर्तमान समाजशास्त्रियों एवं शोधवेत्ताओं के लिये एक अपरिहार्य एवं अनिवार्य विषय बन गया है। यह वास्तविकता है कि आदिवासियों पर विशेष ध्यान की जरूरत है। भारत के निर्माण में ग्रामीण आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाने एवं उन्हें सशक्त करने

की नितांत आवश्यकता है। अतः 'आदिवासी समुदाय में संचार की प्रणाली और प्रवृत्तियों का अध्ययन' विषय को शोध हेतु चयनित किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. आदिवासी समुदाय के परम्परागत स्तर का अध्ययन।
2. आदिवासी समुदाय में संचार माध्यमों की प्रणाली एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
3. आदिवासी समुदाय में संचार माध्यमों की उपलब्धता एवं प्रभाव का अध्ययन।
4. आदिवासी समुदाय की प्रवृत्तियों में सार्थक विकास हेतु प्रभावी संचार माध्यमों एवं राजनीतियों को प्रस्तावित करना।

उपकल्पना :-

1. आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्तर, विकास व संचार माध्यमों की भूमिका का नकारात्मक सहसम्बन्ध है।
2. आदिवासी समुदाय में प्रवृत्तियों के परिवर्तन एवं विकास में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव नहीं है।
3. आदिवासी समुदाय में संचार माध्यमों की उपलब्धता और उपयोग अत्यधिक न्यून है।

अध्ययन क्षेत्र :- प्रस्तुत अध्ययन में मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले का चयन किया गया है। टीकमगढ़ जिले के चार ब्लकों में आदिवासी समुदाय के लोगों को चिन्हित कर उनका दैवनिदर्शन विधि से चयन किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक ब्लक से 100-100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। पूरे टीकमगढ़ जिले से 400 उत्तरदाताओं का चयन कर उनमें संचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा संचार माध्यमों के विभिन्न प्रकारों में से दो संचार माध्यम का चयन किया गया है। आदिवासी समुदाय में सबसे ज्यादा प्रचलित संचार माध्यम रेडियो है। अशिक्षित होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों में समाचार पत्रों की पहुंच काफी कम है। इसके अलावा टेलीविजन की पहुंच भी ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है। इसलिये सोशल मीडिया में से एक माध्यम और एक समाचार पत्र का संचार माध्यम के रूप में चयन किया गया है।

तथ्य संकलन के उपकरण :- अध्ययन को गहन और वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से अनुसंधान की निम्नलिखित प्रविधि का सहारा लिया गया है। प्रस्तुत

अध्ययन सामाजिक विज्ञान, संचार विज्ञान से संबंधित है। इसलिये शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। आकड़े जुटाने के लिये द्वितीयक आकड़ों के साथ ही पूर्व साहित्य के अध्ययन के माध्यम से आदिवासी समुदाय की संचार प्रवृत्तियों, उनकी आदतों, उनकी प्रवृत्तियों का भी अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण शोध प्रविधि के निम्न चरणों का उपयोग किया गया है।

1. **अनुसूची** – अनुसूची को तैयार कर उत्तरदाताओं से उनकी राय जानने का प्रयास किया गया। उत्तरदाताओं का चयन कर अनुसूची के माध्यम से उद्देश्य के अनुरूप प्रश्नों का संकलन कर उनकी राय जानने और उनकी मीडिया अभिरुचियों को समझने का प्रयास किया गया है।
2. **साक्षात्कार** – आदिवासी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं, इसलिये इनकी प्रवृत्तियों, रुचियों को समझने और अध्ययन करने के लिये साक्षात्कार विधि का भी उपयोग किया गया है।
3. **अवलोकन** – आदिवासी समुदाय अशिक्षा और एकल प्रवृत्ति का जीवन जीने का आदी है। आदिवासी समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जल्दी घुलमिल नहीं पाया है। इसलिये अवलोकन विधि के माध्यम से आदिवासी समुदाय की मीडिया और संचार अभिरुचियों को समझने का प्रयास किया गया है।

आकड़ों का विश्लेषण और सारणीयन :- प्रस्तुत शोध में प्राथमिक और द्वितीयक आकड़े जुटाकर उनका विश्लेषण किया गया है। अनुसूची में शामिल किये गये प्रश्नों को आधार पर अध्ययन किया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में सहसंबंध का भी परीक्षण किया गया है।

इसके अलावा सामाजिक शोध होने के कारण स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के बीच में सहसंबंध का परीक्षण करने के पहले मीन, मीडियम और स्टैंडर्ड डायवैसन के माध्यम से आदिवासियों की मीडिया अभिरुचियों, प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण किया गया है।

सारांश और निष्कर्ष :- प्रस्तुत अध्ययन में टीकमगढ़ जिले के विभिन्न ब्लकों में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय के बीच अध्ययन में पाया कि आदिवासी समुदाय भूलभूत यानि बुनियादी सुविधाओं से

अभी भी वंचित है। आजादी के करीब 70 साल से ज्यादा के बाद भी आदिवासी समुदाय में शिक्षा की अलख नहीं जग पायी है। विभिन्न इलाकों में जहां पर आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, उन स्थानों में संचार माध्यमों की पहुंच भी कम है। यही कारण है कि आदिवासियों को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी कम है। जानकारी के अभाव में आदिवासी समुदाय इसका फायदा नहीं ले पा रहा है। इसके अलावा संचार माध्यमों में अभी भी ज्यादातर आदिवासी परंपरागत संचार साधनों पर आश्रित है। आधुनिक संचार के माध्यमों का उपयोग तो आदिवासी काफी कम संख्या में कर रहे हैं। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि

1. आदिवासी क्षेत्रों में समाचार पत्रों की पहुंच 5 फीसदी से भी कम है।
2. आदिवासी क्षेत्रों में डीटीएच कनेक्शनों की संख्या मात्र 1 फीसदी के आसपास है।
3. दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में केबिल कनेक्शनों की संख्या भी नगण्य है।
4. आदिवासी अभी भी संचार के परंपरागत माध्यमों पर ही आश्रित है।
5. राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी संचार माध्यमों के कारण आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पुस्तक वार्ता, मासिक पत्रिका, राकेश श्रीमाल, अंक 48-49, सितम्बर दिसम्बर पृष्ठ-23
2. समकालीन जनमत, सं० सुधीर सुमन अंक 2 वर्ष 25 मई 06, पेज-42
3. आदिवासी कौन, रमणिका गुप्ता, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008।
4. अनुसंधान मासिक शोध पत्रिका अप्रैल-जून-2014

वेब संचार माध्यमों के व्यावहारिक पहलू

संदीप कुमार वर्मा

जनसंचार विभाग, म.गां.अं.हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 442001 (महाराष्ट्र)

सारांश :- सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने समूची दुनिया की तस्वीर बदली है यह तस्वीर कार्य क्षेत्र, शिक्षा, प्रसारण, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग सहित वैश्विक स्तर पर लागू की जा रही है। आगामी समय में इसके प्रयोग और विस्तार कल्पना से परे होंगे। डिजिटलीकरण और संचार प्रौद्योगिकी मल्टीमीडिया के दौर वेब माध्यमों के आधार होंगे! हालांकि इसके कुछ वह पहलू भी देखने को मिल सकेंगे जो हमें नई दिशा में चिंतन करने की ओर भी इंगित करेंगे। साइबर युग अनेक चुनौतियों से भरा होगा। हमारा समाज उसके उपयोग और अनुसरण के लिए कितना तैयार रहेगा वहीं दूसरी ओर नए प्रकार के हस्तक्षेप, साइबर अपराध और साइबर आक्रमण भी संभावित होंगे। ऐसे में तकनीकी पक्षों की व्यावहारिकता और उनसे निपटने के भविष्यगामी आयाम भी सुनिश्चित करने होंगे। अनेक स्थापित संचार नियमावलियों के सापेक्ष नए संचार के लिए नई नियंत्रण नीति भी निर्धारित करनी पड़ेगी।

कूट शब्द :- सूचना समाज, साइबर व्योम, साइबर अपराध, डिजिटल डिवाइड।

प्रस्तावना :- मीडिया ही नहीं बल्कि ज्ञान और सामान्य व्यवहार के सभी क्षेत्र में तीव्रता और सतत अद्यतन की कल्पना डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी के बिना अधूरी है। वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तन में विस्तार और विकास की संकल्पना को प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई गुना तेजी के साथ स्थापित किया जा रहा है। आज के युग में सूचना तंत्र का धनी व्यक्ति ही विविध क्षेत्रों की शीर्षता को निश्चित कर रहा है।

आगामी कुछ वर्षों तक डिजिटल संचार के जददोजहद और सूचनाओं की कसौटियों को लेकर एक हार्दिक चिंतन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित ही! क्योंकि, मनुष्य सामाजिक व्यक्ति है इसके नाते वह किसी भी अवस्था में अकेले रहना नहीं चाहता। एडम स्मिथ भी मानते हैं कि समाज पारस्परिक अर्थ-प्रबंधन के विकास हेतु निर्मित एक कृत्रिम उपाय है। नितदिन होने वाली घटनाओं, सूचनाओं से जुड़ना तथा जिज्ञासाओं का उत्पन्न होना हमारा व्यवहार है। इतिहास गवाह है कि इस क्रम में विभिन्न सभ्यताओं के

विकास हुए हैं। संचार मानव की प्रथम आवश्यकता एवं अतिमहत्वपूर्ण क्रिया है। मुख की चीख, भावभंगिमाएं, संकेत इत्यादि से होने वाला संचार एवं संप्रेषण आज कई सभ्यताओं को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल संचार तक की यात्रा कर चुका है। मानवीय सभ्यताओं में उत्कीर्ण शिल्पकला आदि से आरंभ सूचना, संचार और संप्रेषण का विस्तार मुख्यतः छपाई से आरम्भ हुआ और आज डिजिटल टेक्नालॉजी के दौर में सूचना क्रांति की सर्वोच्चता को हासिल कर चुका है और, अभी डिजिटल सूचना क्रांति की अति सूक्ष्म प्रणालियों के नए प्रयोग हमारे सामने व्यवहार में आने वाले हैं।

समाज और मानव-व्यवहार में जो भी विकास व परिवर्तन होते हैं उनके पीछे भी सूचनाओं के सम्प्रेषण अथवा बात रखने और अभिव्यक्ति करने के तरीकों एवं माध्यमों के कुशल प्रयोग विचारोत्तेजक बहस में सबसे आगे हैं। आज डिजिटल सूचना तकनीकी ने सामाजिक संरचना को एक करने का प्लेटफार्म दिया है जो कि सामाजिक दूरी को समाप्त कर सकता है। दैनंदिन में होने वाले आधुनिक संचार सूत्र सामाजिक विनिमय सिद्धांतों की दृष्टि में अंतर्क्रिया को स्थापित कर रहे हैं जिनके केंद्र में विचारों का व्यवहार निर्धारण करना है। और, मनुष्य इस व्यवहार को लगातार जारी रखेगा। क्योंकि व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से स्वयं को किसी व्यवहार में तब तक लगाए रखता है जब तक उस व्यवहार में लगने वाली समस्त लागत से मिलने वाला पुरस्कार अधिक हो! यह पुरस्कार आधुनिक संचार व्यवस्था में विशेषकर युवाओं में अनूठे ढंग का है। वर्किंग साइट हो या सोशल नेटवर्किंग करोड़ों लोग विचारों के समागम में इस तकनीकी के भागीदार हो रहे हैं। इन नीतियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुधा काल समय की पद्धतियों के समानांतर नए मार्ग उपलब्ध कराने होते हैं।

विमर्श के बिंदु :- सूचना-संदेशों को प्रस्तुत करने वाले स्रोतों की आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। सूचना प्रसार के क्षेत्र, सूचना, समाचार और घटनाओं के संप्रेषण समाज के विभिन्न वर्गों, भाषाओं तथा क्षेत्रों को समाप्त करता है। एमएमएस, एसएमएस, इलेक्ट्रॉनिक लेटर, व्यक्तिगत पहुंच के विज्ञापन और आकर्षक तरीकों से व्यक्तिगत सूचना पहुचाना, लुभावने

अंदाज में चीजों की स्मृति बनाने में सक्षम है। यूं कहें 'डिजिटल माइंड रिमाइंडर' जैसा। स्वाभाविक है कि आम लोगों के लिए किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध होगा, शोध के विषयों में जुड़ा रहेगा।

- यदि आज के समाज में मानव के समग्र विकास की बात की जाए तो तकनीक इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अंग स्थापित है। क्योंकि, तकनीक ने भाषा, संप्रेषण स्तर, आयु, भौगोलिक सीमाओं एवं समय से भी आगे एक ऐसा स्वरूप बना दिया है। जिसको व्यक्ति के आवश्यक अंग की संज्ञा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
- मानवीय संकल्पना स्थापित करना किसी भी युग में सर्वोपरि विचारधारा सिद्ध होती हुयी पायी गयी है। मानव सभ्यता के साथ सह-अस्तित्व के विविध क्रम प्राचीन सभ्यताओं, रूढ़ियों, कथाओं और समयांतर में लोक संसार और वैचारिक स्तर द्वारा रचे-गढे जाते रहे हैं। प्रति-पल हमारे सामने संचार क्रांति परिवर्तन एवं परावर्तन भी दिखला रहे हैं जिनमें प्रौद्योगिकी माध्यमों का प्रमुख मार्ग है।
- हम जिस माध्यम से आरम्भ में सूचनाओं के प्रसार या संप्रेषण करते आए हैं उनमें भी समय-समय पर ऐसे परिवर्तन या विकास हुए हैं जो अभूतपूर्व हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि तकनीक के असमान स्थापन से सभ्यताओं में एक उथल-पुथल की स्थिति भी उभर कर सामने आयी है।
- वर्तमान सूचना युग में व्यक्तिगत और व्यावहारिक कार्यों को तकनीक के माध्यम से ही संचालित करना सरल, सुगम व व्यवस्थित होना आवश्यकताओं की प्राथमिकता की पुष्टि करता है। भारत की स्थिति में देखा जाए तो सूचना-प्रौद्योगिकी और बीपीओ की तुलना में मीडिया इंटरटेन्मेंट की आउटसोर्सिंग के स्तर विकसित देशों से बस थोड़ा ही पीछे हैं।

सूचना समाज की उपयोगी दृष्टि : हम पाते हैं कि भारत में मनोरंजन और मीडिया उद्योग तेजी से समृद्ध हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तेजी से नई तकनीक से वृहद मुकाम हासिल कर रहे हैं। मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, 3D- एनिमेशन, विजुअल और साउण्ड आदि के स्पेशल इफेक्ट्स, सोशल नेटवर्क साइट के प्रयोग आज नए उद्योग का रूप ले चुका है। यही कारण है कि आउटसोर्सिंग की नजर से भारत सबसे पसंदीदा जगह है। वैसे इसके पीछे प्रमुख कारण यह भी है कि भारत में बेहतर तकनीक

प्रशिक्षित लोग भी कम पैसे में काम कर रहे हैं। केपीएमजी के सर्वेक्षण को देखा जाए तो मालूम होता है कि स्टीरियोस्कोपिक, 3D- एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स का कारोबार लगभग 18 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। 3G, 4G तकनीक की लोकप्रियता आने वाले समय में गेमिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन सेवाएं, व्यवसाय आदि को सालाना कई गुना रफ्तार से बढ़ा रही हैं। आने वाले समय में देश भी डिजिटल निर्भरता से आगे निकलकर बड़े योगदान कर सकेगा। इसी आधार पर भविष्य में सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कर सकेगा।

मनोरंजन ही नहीं सामान्य दैनंदिन के कार्यों में भी एक सिविल लाइफ इंटरनेट-मोबाइल द्वारा समाज और तकनीक माध्यम के संयुक्त युग ने नया संस्करण रच दिया है। हम डिजिटल शेयरिंग और वर्चुअल ताने बाने के आदी होते जा रहे हैं। आज हम ऐसे युग में आ चुके हैं जहाँ हमारी अगली पीढ़ी के जन्म के लिए ऑनलाइन हॉस्पिटल सुविधाएं चुनने व तय करने के विकल्प देखने होते हैं। उनके विकास के लिए शिक्षा और तकनीक ज्ञान भी इंटरनेट/कम्प्यूटर प्रयोगों के बिना पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हमारे व्यवसाय, शेयर बाजार, बैंकिंग आदि भी सूचना संचार के नियंत्रण में हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल क्रम में मीडिया के बदलते स्वरूप में मल्टी-मीडिया, इंटरैक्टिव मीडिया ने पुरानी सभी तकनीक को कमजोर साबित कर डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी को गहराई के साथ स्थापित किया है। ऑप्टिकल फाइबर तकनीक, डिजिटल कंप्रेशन तकनीक, डीटीएच तकनीक ने मिलकर सूचना प्रसारण व मनोरंजन को ग्लोबल, प्रतिस्पर्धात्मक व पैसा खर्च करानी की अनूठी विधा को तीव्र प्रवाहवान बना दिया है।

साइबर युग की भविष्य दृष्टि : साइबर समय में वर्चुअल रियलिटी इन दिनों की रियलिटी से ज्यादा प्रभावी हो रही है। इंटरनेट मात्र इंटरनेट नहीं बल्कि ई-कॉमर्स हो चुका है। सूचना संचार माध्यमों के द्वारा ग्लोबल इकनॉमी भी इसी पर निर्भर करेगी। ऐसे में यह संसार जिसे ग्लोबल गाँव कहा जा रहा है उसमें तकनीकयुक्त और गैर तकनीक के लोगों में एक बड़ी खारिगी तैयार होती सकती है। इस तनकीकी समाज के सापेक्ष चुनौती होगी कि वह तकनीक और तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग करे। वहीं उपकरणों के निर्माता भी तकनीक के अद्यतन संस्करणों से लोगों को

नए तरीकों से बाध्य कर सकेंगे कि उपयोगकर्ता अपनी मूल आवश्यकताओं को छोड़कर तकनीक के पीछे वशीभूत होकर रहने को मजबूर हो सकता है!

संचार युग में ऑनलाइन पद्धति सूचनाओं की गति को बढ़ाती है जो इस प्रकार के माध्यमों की विशेषता भी है। यह तेजी जहां एक वर्ग को तेजी से शिक्षित और प्रशिक्षित कर आगे ले जा रही है वहीं तकनीक से दूर रहने वालों के लिए विकल्प और समझ के माध्यम उनके विकास के समक्ष पहाड़ बन रहे हैं। इनके दूसरे रूप भी हैं उदाहरण के लिए समाज में नव-तकनीक माध्यमों से सूचनाओं के आदान-प्रदान में वर्गों के विभाजन की स्थिति को विकृत अवस्था में स्थापित किया जा रहा है। संचार व्यवस्था में विकास को ध्यान में रखते हुए प्रमुखता नहीं दी जा रही है।

भारतीय संदर्भ में तकनीक का आगमन विचित्र है इसकी लगाम विकास के लिए पूर्णतः सुव्यवस्थित नहीं है। इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह तकनीक का विकास और संचार की बेहतरी तो है परंतु अभी भी यह उन व्यक्तियों के लिए बेहद उपयोगी और सुगम नहीं हो पायी है। डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी की कसौटियों को जनमानस के हितों पर भी खरा उतरना होगा। उदाहरण के लिए— भूमि रिकार्ड कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के अंतर्गत देश के 3915 तहसीलों में नामांतरण प्रकाशन (अपडेट) तथा अधिकार रिकार्ड प्रिंट को तहसील कम्प्यूटर केंद्र से मांग होने पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकाधिक राज्यों में भूमि रिकार्ड डेटा जन अभिगम हेतु ऑन लाइन उपलब्ध है। भारत जैसे देश में यह संख्या बहुत सीमित है और इसकी पहुँच आमजन तक नहीं है। परिणामतः भूमाफियाओं द्वारा कब्जा आदि की घटनाओं के साथ ऋण के बदले जमीन हथियाना जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। फलस्वरूप प्रशासन व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं में भी चीजें स्पष्ट होने में अधिक समय लगता है जिससे अधिकाधिक नुकसान का भागी आम आदमी होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि इन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामान्य कार्य-क्षेत्रों को आच्छादित किया जाए जिससे कि विविध सामान्य उपक्रम आदि सुगम हो सकें।

भारतीय संदर्भ में वर्तमान स्थित के अनुसार औसतन कुछ स्थानों को छोड़कर शेष देश भर में लोग इंटरनेट पर देखने और पढ़ने को उस गति के साथ

नहीं पा रहे हैं जिस गति से लोग इस तकनीक से जुड़ते जा रहे हैं। नए अनुभव के रूप में लगातार बढ़ती संख्या व्यक्ति ग्राही नहीं हैं। भारत में भौगोलिक स्तर पर जमीनी हकीकत यह भी है कि सामान्य इंटरनेट की तेजी तो दूर की बात है व्यावसायिक बैंको, सेवाओं और ग्राहक सुविधा केंद्रों की हालत ब्राडबैंड की परछाइयों के सहारे लड़खड़ाते हुए चल रही है। उदाहरण के लिए अवकाश के दिनों में ई-माध्यमों की सामान्य सेवाएं सुलभ नहीं रह पाती। फिर भी इंटरनेट के उपयोगकर्ता जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उससे यह कहा जा सकता कि आने वाले समय में दुनिया मूलतः साइबर आधारित बनेगी। जिस प्रकार से व्यक्ति, व्यवसाय, मीडिया ई-स्थानों पर स्थापित की जा रही है उसके कारणों को इस प्रकार से देखा जा सकता है— प्रथम यह कि यह एक वनअपमैनशिप तकनीक है। इसलिए प्रतिस्पर्धा के दौर में इंटरनेट पर जाना ही होगा। दूसरी ओर वैश्विक होने को अवसर मिलता है जिससे वैश्विक स्तर पर सामान्य स्थान मिलने की संभावना अधिकाधिक रहती है।

डिजिटल पद्धतियों न केवल इंटरनेट पर सामग्री दे रही हैं बल्कि यह समग्री मीडिया की एकरूपता को भी निश्चित कर सकेगी। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं (क्रमशः 9वीं, 10 वीं, व 11 वीं) को देखा जाए तो संचार, परिवहन, व भंडारण क्षेत्र के लक्ष्यों में प्रत्येक वर्ष क्रमशः 8.9, 13.8, 12.5 प्रतिशत का इजाफा रहा जबकि गत वर्ष मंदी के कारण अन्य देशों की अपेक्षा यह विकास दर बेहतर मानी गई। वहीं वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक क्षेत्र इस क्रम में क्रमशः 8.0, 9.9, 10.7 प्रतिशत रहे।

निष्कर्षत : इस विकास क्रम में प्रौद्योगिकी का अहम भूमिका रही है जिसमें कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग के ग्रामीण विकासक्रम, ऑनलाइन सेवाएं, असंगठित क्षेत्रों से संगठित व्यासाय, राष्ट्रीयकरण, ई-गवर्नेंस, अनुसूचित बैंको का निरीक्षण, शेयर बाजार प्रमुख हैं। 21 वीं सदी में डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका अनेक गतिविधियों की तुलना में कहीं अधिक योगदायी साबित होगी। फिर भी सूचना-संचार के वैश्विक परिदृश्य में इसके प्रवाहों-अंतर्प्रवाहों-वाह्यप्रवाहों को समाज की विभिन्न इकाई में हितकारी होने की कसौटी को सिद्ध करके ही सूचना-संचार प्रणाली को सुदृढ़ रूप में स्थापित किया जा सकेगा। इंटरनेट से जुड़कर एक अनोखा उद्योग जैसा उपक्रम होगा जबकि उसके दूसरे पहलू में यह भी होगा जैसा कि समाजशास्त्री मानते हैं

कि औद्योगिक समाजों में लोगों की भूमिकाएं खंडित होती हैं। अत्यधिक तकनीकी समृद्धियुक्त संसार में व्यक्ति की स्थिति अपेक्षाकृत अधिकाधिक केंद्र विषयक रहेगी और मनुष्य की अभिरूचियों की जटिलता में सामाजिक बोध कैसे होगा? संस्कृतियों एवं तर्क में व्यक्ति के सामंजस्य की विसम स्थिति में संभव होगा कि ग्लोबल विलेज की संकल्पना के समानांतर 'डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक विलेज' का महत्व ज्यादा होगा।

संदर्भ :-

1. विद्याभूषण, सचदेव जी.आर., समाजशास्त्र के सिद्धांत, किताब महल, इलाहाबाद
2. रावत हरिकृष्ण, समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन, जयपुर.
3. दुबे अभय कुमार, भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
4. चॉमस्की नोम, जनमाध्यमों का माया लोक, ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली
5. Steinfield Charles, Telecommunication in Transition, SAGE Publication, New Delhi.
6. Joshi P.C, Communication and National Development, Anamika Publication, New Delhi.
7. सिंह डॉ. श्रीकांत, मीडिया विमर्श (अक्टूबर-दिसंबर 2011)
8. योजना, जनवरी 2015
9. कम्प्यूटर संचार सूचना, इंडिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली
10. योजना, फरवरी 2015

इंटरनेट : एक परिचय

कु. पायल चकवर्ती

(सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय), डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. संगीता सिंह

(पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय), डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

आज के इस क्रांतिकारी युग में जैसे-जैसे कम्प्यूटर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार इंटरनेट के आ जाने के बाद इस युग में और भी अधिक क्रांति ला दी है। आज इंटरनेट का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है इस लेख के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किस तरह से ग्रंथालय में किया जाता है इसका वर्णन किया जा रहा है।

प्रस्तावना :- सामान्य भाषा में यदि कहा जाए कि इंटरनेट क्या है? तो उसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट कम्प्यूटर नेटवर्कों का एक जाल होता है। इसमें नेटवर्क के माध्यम से दो कम्प्यूटरों या हमारों कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। और यह सब नेटवर्क कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करते हैं जिसे हम प्रोटोकाल के नाम जानते हैं। जैसे ही कम्प्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है तब उससे हम सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम करोड़ों सूचनाओं को जब चाहे तब उपयोग कर सकते हैं। आज के इस क्रांतिकारी युग में इंटरनेट का उपयोग शोधार्थी/विद्यार्थी/गृहणी/बच्चे/बूढ़े सभी करते हैं।

दैनिक जीवन में इंटरनेट का उपयोग :- इंटरनेट का उपयोग हमारे दैनिक कार्यों में भी बहुत होता है जैसे सोशल मीडिया के क्षेत्र में जैसे facebook, Twitter, Skype, Whatsapp, Instagram, Teligram इत्यादि जो सभी इंटरनेट के कारण ही संभव है। इंटरनेट का उपयोग निजी व संस्थानों के लिए किया जाता है। इंटरनेट को कम्प्यूटर का Backbone भी कहा जा सकता है। आज इंटरनेट के कारण कई सुविधाएं हमारे दैनिक जीवन में संभव हो पाया है। जैसे ई-टिकट (E-ticket), एयर टिकट (Air Ticket), परिणाम (Result), ऑनलाईन फार्म (Online Form), मनी ट्रांसफर (Money Transfer) और भी अनेक सुविधाएं हैं।

इंटरनेट का विभाजन :- नेटवर्किंग को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

(1) LAN (Local Area Network)

(2) MAN (Metropolitan Area Network)

(3) WAN (World Area Network)

(1) LAN (Local Area Network) लोकल एरिया नेटवर्क – LAN में अनेक कम्प्यूटरों को इंटरनेट में माध्यम से जोड़ा जाता है। इसमें एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में आकड़ों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

(2) MAN (Metropolitan Area Network)

मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क – MAN में नेटवर्क एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के मध्य कार्य करता है।

(3) WAN (Wide Area Network) बाईंड एरिया

नेटवर्क – WAN इसमें पूरे विश्व के कम्प्यूटर एक दूसरे कम्प्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसमें एक क्षेत्र से बैठ कर हम दूसरे देशों में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं।

इंटरनेट एड्रेस :- सभी कम्प्यूटर जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसका अपना एक विशिष्ट इंटरनेट एड्रेस (IP) होता है। जो कि दो प्रकार से हो सकता है।

(1) डोमेन (Domin)

(2) इंटरनेट प्रोटोकाल (IP)

इंटरनेट में प्रयुक्त इन एड्रेस का प्राधिकरण संस्था IANA है। डोमेन का नाम स्थान या अपनी संस्था। संगठनों पर आधारित रहता है। IP Address नंबरों का एक सेट होता है। जिसमें कि इंटरनेट पर कम्प्यूटर की स्थिति को विशेष रूप से बनाया जाता है। IP का उपयोग हम कम्प्यूटर की पहचान के लिए करते हैं। IP Address में कुल 4 भाग होते हैं और वह dot के माध्यम से अलग होते हैं।

उदाहरण :

डोमेन – .org

gmail.com

IP 192.168.2.201

डोमेन का परिचय :-

- .com – कम्पनियों के लिए।
- .edu – शैक्षणिक संस्थाओं के लिए।
- .gov – सरकारी संस्थानों के लिए।
- .mil – रक्षा संगठन के लिए।
- .net – प्रमुख नेटवर्क सहायक के लिए।
- .org – संगठन के लिए।

इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं एवं सुविधाएं :- जैसा कि इंटरनेट को सूचनाओं का जाल कहा गया है। जैसे संसार का नियमित परिवर्तन होता है उसी प्रकार इंटरनेट के संसाधनों का भी परिवर्तन हो रहा है।

इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन :-

1. ई-मेल
2. सोशल – साइट्स
3. सर्च इंजिन
4. वर्ल्ड वाइड वेबसाइट
5. फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकाल।

इंटरनेट के प्रसिद्ध खोज इंजन :-

- gmail.com
- Google - <http://www.google.com>
- Gmail - <http://www.gmail.com>
- Yahoo - <http://www.yahoo.com>
- Alta Vista - <http://www.altavista.com>
- Khoj - <http://www.khoj.com>
- Fast - <http://www.alltheweb.com>
- Hot Bot - <http://www.hotbot.com>
- Web Crowler - <http://www.webcrawler.com>

इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन :-

- ग्रंथालय एवं ग्रंथालयित्व
- संघ
- शब्दकोश
- विश्वकोश
- संगठन

- ई-बुक शॉप।
- प्रकाशन
- समाचार पत्र

और भी अनेक संसाधन उपलब्ध हैं।

सारांश :- इस लेख में हमें यह ज्ञात होता है। कि इंटरनेट का उपयोग आज के मानव युग में कितना ज्यादा है। आज हमारे द्वारा चाही गई हर सूचना हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ :-

- “शर्मा, अरविन्द कुमार “ई-सूचना स्रोत एवं सेवाएं”
- www.google.com
- www.hotbot.com
- www.yahoo.com